देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम्।। ऋ० १/८९/२

ISSN : 2395-7115
Impact Factor 8.642
August 2025
Vol.-22, Issue-2

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

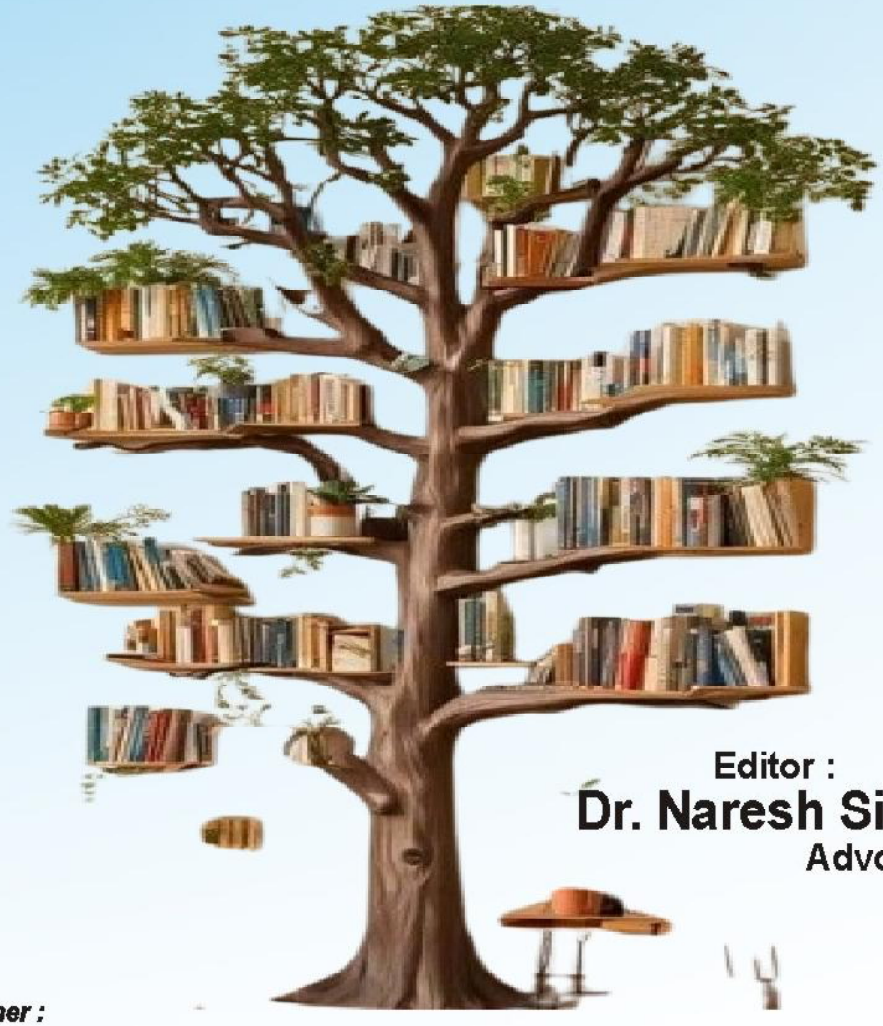

Editor :
Dr. Naresh Sihag
Advocate

Publisher :
Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)
#202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

स्व. चौ. गुगनराम सिहाग व उनकी छोटी बहन स्व. श्रीमती गीना देवी के शुभाशीर्वाद से प्रकाशित

JOURNAL OF HUMANITIES, COMMERECE, SCIENCE, MANAGEMENT & LAW

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Vol. 22 **ISSUE-2(1)** **(अगस्त 2025)** **ISSN : 2395-7115**

प्रेरणा :

चौ. एम. सिहाग

सम्पादक :

डॉ. नरेश सिहाग 'बोहल', एडवोकेट

एम.ए. (समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, हिन्दी शिक्षा शास्त्र, पत्रकारिता),
एम.फिल (समाजशास्त्र, हिन्दी) एम. लिब., एल-एल.बी. (ऑनर्स),
डिप्लोमा पंचायती राज (रजत पदक विजेता), पी.एच.डी. (हिन्दी)
डी.लिट् (मानद उपाधि), काठमांडू, नेपाल

प्रकाशक :

गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी (रजि.)

202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी-127021 (हरियाणा)

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL REFEREED/REVIEWED AND INDEXED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL
ISSN 2395-7115

सम्पादकीय सम्पर्क :
डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट
202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड,
भिवानी-127021 (हरियाणा)
Email : nksihag202@gmail.com
मो. 09466532152

Published by :
Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)
202, Old Housing Board,
Bhiwani-127021 (Haryana) INDIA
Email : grsbohal@gmail.com
Facebook.com/bohalshodhmanjusha
Website : www.bohalsm.blogspot.com
WhatsApp : 9466532152

All Right Reserved by Publisher & Editor

Price

Individual/Institutional : 1100/-

Disclaimer :
1. Printing, Editing, Selling and distribution of this Journal is absolutely honorary and non-commercial.
2. All the Cheque/Bank Draft/IPO should be sent in the name of Gugan Ram Educational & Social Welfare Society payable at Bhiwani.
3. Articles in this journal do not reflect the Views or Policies of the Editor's or the Publisher's. Respective authors are responsible for the originally of their views/opinions expressed in their articles.
4. All dispute will be Subject to Bhiwani, Hry. Jurisdication only.

Printed by : Manbhawan Printers, Old Bus Stand Road, Naya Bazar, Bhiwani (Hry.)

बोहल शोध मंजूषा परिवार*

मानद संरक्षक

प्रो. राधेमोहन राय
पूर्व उप प्राचार्य,
राजकीय स्नातकोत्तर महा.,
अलवर, राजस्थान।

डॉ. राजेन्द्र गोदारा
परीक्षा नियंत्रक,
टांटिया विश्वविद्यालय,
श्रीगंगानगर, राजस्थान।

डॉ. विनोद तनेजा
पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
गुरूनानक वि.वि. अमृतसर
पंजाब।

सम्पादक मण्डल

सह सम्पादिका :
डॉ. रेखा सोनी
उप प्राचार्या, शिक्षा विभाग
टाटिया वि.वि. श्रीगंगानगर।

सह सम्पादिका :
डॉ. सुशीला आर्या
हिन्दी विभाग, चौ. बंसीलाल
विश्वविद्यालय, भिवानी।

प्रबंध सम्पादक :
समुन्द्र सिंह
भिवानी, हरियाणा।

विधि विशेषज्ञ

डॉ. रामफल दलाल, एडवोकेट
जिला न्यायालय
भिवानी, हरियाणा।

अजीत सिहाग, एडवोकेट
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट,
चंडीगढ़।

चरणवीर सिंह, एडवोकेट
जिला न्यायालय
पटियाला, पंजाब।

विषय विशेषज्ञ/परामर्शदात्री/शोधपत्र निरीक्षण समिति

माई मनीषा महंत
किन्नर अधिकार ट्रस्ट
भूना, जिला कैथल, हरियाणा

डॉ. विश्वबंधु शर्मा
पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
बाबा मस्तनाथ वि.वि. रोहतक

डॉ. संजय एल. मादार
विभागाध्यक्ष, पी.जी. केन्द्र
द.भा.हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद।

डॉ. गीता दहिया, प्राचार्या,
नैशनल टीटी कॉलेज फॉर गर्ल्स
अलवर, राजस्थान

डॉ. विनोद कुमार
हिन्दी विभाग, लवली प्रोफेशनल
यूनिवर्सिटी, पंजाब

डॉ. मो. रियाज़ खान
बीएमएस वूमैन कॉलेज आटोनोमेस
बेगलूरू

डॉ. वनिता कुमारी
च. दादरी (हरियाणा)

श्री सहदेव समर्पित
सम्पादक, शान्तिधर्मी, जीन्द

डॉ. अंजली उपाध्याय
उत्तर प्रदेश

डॉ. लता एस. पाटिल
राजीव गांधी बीएड कालेज
धारवाड़, कर्नाटक

प्रो. अमनप्रीत कौर
गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज
फॉर वूमैन, दसूहा, पंजाब

डॉ. वर्षा रानी
संस्कृत विभाग, डॉ. भीमराम
अम्बेडकर, वि.वि., आगरा

प्रो. कमलेश चौधरी
राजकीय रणबीर महाविद्यालय
संगरूर, पंजाब

डॉ. किरण गिल
दीनदयाल टी.टी. महाविद्यालय
बारी, जिला सीकर, राज.

डॉ. सविता घुड़केवार
पीजी विभाग, दक्षिण भारत
हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास

डॉ. परमजीत कौर
बरेली कॉलेज बरेली,
उत्तर प्रदेश।

डॉ. राजकुमारी शर्मा
नेपाल

डॉ. श्रीविद्या एन.टी.
श्री शंकराचार्य संस्कृत वि.वि.
केरल।

डॉ. बी. संतोषी कुमारी
पी.जी.विभाग, दक्षिण भारत हिन्दी
प्रचार सभा, मद्रास

श्री राकेश ग्रेवाल
सन जॉस,
कैलिफोर्निया, यू.एस.ए.

डॉ. पंडित बन्ने
भारत महाविद्यालय,
सोलापुर (महाराष्ट्र)

डॉ. पायल लिल्हारे
अमरशहीद चंद्रेशेखर आजाद
शा.स्ना.महा. निवाड़ी, मध्यप्रदेश

श्री राकेश शंकर भारती
यूक्रेन।

डॉ. उमा सैनी
आई.ए.एस.ई. विश्वविद्यालय
सरदारशहर, राजस्थान

डॉ. मनमीत कौर
राधा गोविन्द वि.वि.,
रामगढ़, झारखण्ड।

डॉ. रीना उन्नीयाल तिवारी
शिक्षा संकाय, डी.ए.वी. पीजी
कालेज, देहरादून

डॉ. सुरजीत सिंह कस्वां
डीन फिजिकल एजुकेशन
टांटिया वि.वि., श्रीगंगानगर,

डॉ. शबाना हबीब
त्रिवन्तपुरम, केरल

डॉ. शिवकरण निमल
राजस्थान

डॉ. राधाकृष्णन गणेशन
वाराणसी

डॉ. मानसिंह दहिया
हरियाणा

डॉ. नीलम आर्या
उत्तर प्रदेश

डॉ. रवि सुण्डयाल
जम्मू कश्मीर

प्रो. नरेन्द्र सोनी
डी.एन. कॉलेज, हिसार।

प्रो. रोहतास
डी.एन. कॉलेज, हिसार।

प्रो. सत्यबीर कालोहिया
पूर्व प्राचार्य, कैलिफोर्निया।

डॉ. इस्पाक अली
प्राचार्य, लाल बहादुर शास्त्री
शिक्षा महाविद्यालय, बेंगलूरू

प्रो. रेखा रानी
गवर्नमेंट कॉलेज
संगरूर, पंजाब

डॉ. के.के. मल्हौत्रा
पूर्व विभागाध्यक्ष
गवर्नमेंट कॉलेज, गुरदासपुर

डॉ. संजीव कुमार विश्वकर्मा
शासकीय महाविद्यालय,
लवकुश नगर, मध्य प्रदेश

डॉ. परमानन्द त्रिपाठी
एचओडी एजुकेशन, एल.एन.डी.
कालेज, मोतिहारी, बिहार

डॉ. करमजीत कौर
प्राचार्या, दशमेश गर्ल्स कॉलेज
चक आला, मुकेरिया, पंजाब

*सम्पूर्ण बोहल शोध मञ्जूषा परिवार/सम्पादक मण्डल अवैतनिक है।

देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम्।। ऋ० १/८९/२

ISSN : 2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Publisher : Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Table 2

Methodology for University and College Teachers for calculating Academic/Research Score

(Assessment must be based on evidence produced by the teacher such as: copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificates issued by the University and acknowledgements for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc,.)

S.N.	Academic/Research Activity	Faculty of Sciences /Engineering / Agriculture / Medical /Veterinary Sciences	Faculty of Languages / Humanities / Arts / Social Sciences / Library /Education / Physical Education / Commerce / Management & other related disciplines
1.	**Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals**	08 per paper	10 per paper
2.	**Publications (other than Research papers)**		
	(a) Books authored which are published by ;		
	International publishers	12	12
	National Publishers	10	10
	Chapter in Edited Book	05	05
	Editor of Book by International Publisher	10	10
	Editor of Book by National Publisher	08	08
	(b) Translation works in Indian and Foreign Languages by qualified faculties		
	Chapter or Research paper	03	03
	Book	08	08
3.	**Creation of ICT mediated Teaching Learning pedagogy and content and development of new and innovative courses and curricula**		
	(a) Development of Innovative pedagogy	05	05
	(b) Design of new curricula and courses	02 per curricula/course	02 per curricula/course

अनुक्रमाणिका – अगस्त 2025

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	सम्पादकीय	डॉ. नरेश सिहाग	09–09
2.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत बहुभाषिक शिक्षा और हिंदी का महत्व : एक समग्र अध्ययन	डॉ. वैशाली सिंह	10–15
3.	डॉ. राधाकृष्णन के शैक्षिक विचारों का आधुनिक भारत की शिक्षा नीति पर प्रभाव	Dr. Mahesh Chand Gurjar	16-20
4.	कुशवाहा (कोइरी) जाति का एक अध्ययन : भारत के परिप्रेक्ष्य में, विशेष संदर्भ : बिहार एवं वाराणसी	डॉ. चन्द्रशेखर सिंह	21–28
5.	Digital Evidence in Domestic Violence Cases : Admissibility, Ethics, and Emerging Challenges in Indian Courts	Hema Shrivastava, Dr. Surendra Singh Baghel	29-34
6.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 2020 का तुलनात्मक विश्लेषण : भारतीय शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की दिशा में एक दृष्टि	रोहिताश कुमार, डॉ. रघुराज सिंगोदिया	35–41
7.	शैक्षिक उपलब्धि पर ई-लर्निंग के प्रभाव का अध्ययन	पवनेश कुमार, डॉ. राजपाल सिंह यादव	42–46
8.	National Education Policy (NEP) 2020 : An Analytical Study of Implementation Challenges and Opportunities in Urban India	Usha Chaudhary	47-53
9.	छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में सब्जी उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन का अध्ययन	डॉ. निरंजन कुजूर	54–61
10.	संस्कृत वाङ्मय के भक्ति तत्व काव्यो में पं. नथमलशास्त्री दाधीच के विरचित काव्यो का अनुशीलनात्मक अध्ययन	बृजेश्वर शर्मा, डॉ. भेषराज शर्मा	62–66
11.	असम का लोकगीत	डॉ. अनिरूद्ध वायन	67–75
12.	प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिक सहभागिता : एक तुलनात्मक अध्ययन	डॉ० शिवचन्द्र झा	76–83
13.	The Walnut Tree: A Crop of Economic and Health Importance in Uttarakhand	Bharti Bahuguna	84-89
14.	Gender Equality in Indian Politics : An Exploration of Women's Reservation through a Constitutional Lens	ARCHANA JADON	90-97

15.	रांगेय राघव के उपन्यासों में स्त्री शोषण के रूप	लक्ष्मण कुमार	98–101
16.	National Policy on Education (NPE) 1986 and National Education Policy (NEP) 2020 : A Comparative Study	Dr. Pramod Kumar Yadav	102-109
17.	Influence of Technological Innovation on Students' Academic Performance and Psychological Impact : A Review	Nikhil Sidana, Narender Yadav	110-113
18.	Role of Teachers in Transforming Forthcoming Education System in view of NEP, 2020	Dr. Manisha Sharma	114-118
19.	नई शिक्षा नीति 2020 : विशेष संदर्भ हरियाणा	रेनु अत्री	119–122
20.	उर्वशी में मिथकीय चेतना : एक साहित्यिक और सांस्कृतिक विश्लेषण	अतुल अग्निहोत्री	123–128
21.	FUZZY TOPOLOGICAL SPACE	Dr. Brajesh Kumar	129-133
22.	Take of Shashi Deshpande of Alice Walker on Feminism in their works	Priya, Dr. Farah Naz Farrukh	134-138
23.	India's Relations with Major Powers	Dr. Ravi	139-146
24.	भारत में महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान	रामचन्द्र, डॉ. अमिता	147–149
25.	डॉ. सत्यनारायण के डायरी साहित्य में अस्तित्व की तलाश एवं जिजीविषा	डॉ. महेन्द्र सिंह	150–155
26.	मानव वन्य जीव सह-अस्तित्व एवं संघर्ष	डॉ. नीरज कारगवाल	156–159

संपादकीय...

शोध की दिशा में संवाद का सौंदर्य

'बोहल शोध मंजूषा' के अगस्त 2025 अंक में आपका हार्दिक स्वागत है।

समय सतत् प्रवाहमान है और शोध एक ऐसी प्रक्रिया है, जो इस प्रवाह को संज्ञान में लेकर ठहराव का अवलोकन करती है, विश्लेषण करती है और भविष्य के लिए दिशा तय करती है। वर्तमान अंक भी इसी क्रम की एक सशक्त कड़ी है, जिसमें विविध विषयों पर विद्वानों की सशक्त लेखनी ने विचार और विमर्श का एक समृद्ध वितान रचा है।

'अगस्त का यह महीना', भारतीय इतिहास में विशेष महत्त्व रखता है – स्वतंत्रता, स्वाधीनता संग्राम की स्मृतियाँ, और साथ ही स्वतंत्र विचार की नींव रखने वाले विचारकों को याद करने का अवसर। यह अंक भी 'स्वतंत्र चिंतन', 'सृजनात्मकता' और 'संवाद की संस्कृति' को समर्पित है। जब हम राष्ट्र की स्वाधीनता की बात करते हैं, तब यह भी अनिवार्य हो जाता है कि बौद्धिक और वैचारिक स्वराज की भावना को हम अपने शोध और लेखन में प्रतिबिंबित करें।

इस अंक में जहाँ एक ओर साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति, इतिहास, भाषा और संस्कृति पर सारगर्भित शोध आलेख प्रस्तुत किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर समकालीन रचनाशीलता की कुछ ऐसी प्रस्तुतियाँ भी सम्मिलित हैं जो समय और समाज से सीधा संवाद करती हैं।

'बोहल शोध मंजूषा' का उद्देश्य केवल शोध पत्रों का संकलन करना नहीं, बल्कि एक ऐसी बौद्धिक चेतना को विकसित करना है जहाँ शोध, सोच और समाज के बीच एक सजीव पुल स्थापित किया जा सके। हम यह मानते हैं कि कोई भी शोध तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक वह समाज के किसी कोने में रोशनी न बन जाए।

आज के इस तकनीकी युग में जहाँ सूचनाओं की बाढ़ है, वहाँ शोध की वास्तविकता और प्रामाणिकता की कसौटी और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए इस पत्रिका में प्रकाशित प्रत्येक लेख, प्रत्येक पंक्ति, एक विशेष चयन और संपादन प्रक्रिया से गुजरकर ही आप तक पहुँचती है।

हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस बार हमें देश के विभिन्न राज्यों से ही नहीं, विदेशों से भी शोधार्थियों एवं प्राध्यापकों की सहभागिता प्राप्त हुई है। यह न केवल 'बोहल शोध मंजूषा' की स्वीकार्यता का प्रमाण है, बल्कि शोध संवाद के अंतरराष्ट्रीय विस्तार की ओर भी संकेत करता है।

हम अपने पाठकों, लेखकों और समीक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपने शोध से न केवल इस अंक को समृद्ध किया, बल्कि पत्रिका के उद्देश्य को भी पुष्ट किया।

अंत में, मैं यही कहना चाहूँगा कि शोध केवल डिग्री या पद की नहीं, दृष्टि और दिशा की यात्रा है। आइए, इस यात्रा को और भी सार्थक, उपयोगी और मानवीय बनाएँ।

आप सभी पाठकों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन की अग्रिम शुभकामनाएँ।

–डॉ. नरेश सिहाग, एडवोकेट

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 10-15

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत बहुभाषिक शिक्षा और हिंदी का महत्व : एक समग्र अध्ययन

डॉ. वैशाली सिंह
हिन्दी संकाय
House No. 64, Main Gali 12, Dabar Enclave Rawta Mor,
Near Rao Tula Hospital South West, Delhi-110073

सारांश :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है, जिसका उद्देश्य केवल अकादमिक सुधार नहीं, बल्कि भाषायी समावेशन, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और जड़ों से जुड़ाव सुनिश्चित करना भी है। इस नीति के अंतर्गत बहुभाषिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया है, जिसमें मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा और भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। हिंदी, जो कि भारत की प्रमुख संपर्क भाषा है, इस नीति के क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभा सकती है। हिंदी न केवल शिक्षा का सशक्त माध्यम बन सकती है, बल्कि राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक पहचान और रोजगार के नए अवसरों की वाहक भी हो सकती है। यह शोध–पत्र बहुभाषिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हिंदी की प्रासंगिकता, व्यावहारिक चुनौतियों और संभावनाओं का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि हिंदी कैसे भारत को आत्मनिर्भर और ज्ञान–आधारित समाज बनाने की दिशा में सहायक बन सकती है।

कुंजी शब्द :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बहुभाषिकता, मातृभाषा में शिक्षण, हिंदी भाषा, भाषा नीति, संपर्क भाषा, शिक्षा में हिंदी, रोजगार, सांस्कृतिक समरसता।

प्रस्तावना :-

भारत में भाषायी विविधता अत्यधिक है, जहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा और बोली बदल जाती है। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ और 100 से अधिक बोलियाँ सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना को दर्शाती हैं। ऐसी स्थिति में एक ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता थी जो भाषायी समरसता और संप्रेषण की सहजता को समावेशित कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। यह नीति न केवल गुणवत्ता शिक्षा की बात करती है, बल्कि भारतीय भाषाओं को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने की भी बात करती है।

NEP 2020 और बहुभाषिक शिक्षा की आवश्यकता :–

NEP 2020 में यह अनुशंसा की गई है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में दी जाए। यह सिद्ध किया जा चुका है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में अधिक सहजता से और गहराई से सीखते हैं।

प्रमुख लाभ :–

- बच्चों का संज्ञानात्मक विकास तेज होता है।
- भाषा के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न होता है।
- विषयवस्तु की गहरी समझ होती है।
- सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य गहराते हैं।

यह नीति तीन–भाषा सूत्र को सुदृढ़ करती है, जिसमें विद्यार्थी हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान अर्जित करते हैं। यह व्यवस्था उन्हें वैश्विक और स्थानीय दोनों स्तर पर सक्षम बनाती है।

हिंदी का स्थान और भूमिका :–

हिंदी को भारत में 43 प्रतिशत से अधिक लोग मातृभाषा के रूप में बोलते हैं और यह अधिकांश राज्यों में संपर्क भाषा की तरह उपयोग की जाती है। ऐसे में NEP 2020 हिंदी को शिक्षा, संवाद और राष्ट्र निर्माण के साधन के रूप में देखती है।

हिंदी की शिक्षा में भूमिका :–

- माध्यम भाषा के रूप में विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ती है।
- तकनीकी और पेशेवर शिक्षा में सहजता आती है।
- हिंदी माध्यम के छात्रों को बराबरी का अवसर मिलता है।
- हिंदी को 'ज्ञान की भाषा' के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।

मातृभाषा में शिक्षण : सिद्धांत और व्यवहार :–

NEP 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक (या यदि संभव हो तो कक्षा 8 तक) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। यह सुझाव अंतरराष्ट्रीय शोधों द्वारा भी समर्थित है।

उदाहरण :

UNESCO की 2016 की रिपोर्ट "If you don't understand, how can you learn?" में कहा गया है कि बच्चों को यदि उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए तो उनकी सीखने की क्षमता और शिक्षा में सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।

भारत में प्रभाव :–

- हिंदी भाषी राज्यों में लागू करना सहज है।
- गैर–हिंदी भाषी क्षेत्रों में संतुलन बनाना आवश्यक है।
- शिक्षकों की प्रशिक्षण प्रणाली को सशक्त बनाना होगा।

हिंदी और रोजगार :–

हिंदी भाषा केवल साहित्य और संस्कृति तक सीमित नहीं रह गई है। आज हिंदी भाषा मीडिया, प्रशासन,

न्याय, तकनीकी क्षेत्र और डिजिटल संचार में व्यापक रूप से उपयोग में लाई जा रही है।

हिंदी और करियर :–

- पत्रकारिता और जनसंचार में हिंदी का वर्चस्व।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म (ब्लॉग, यूट्यूब, सोशल मीडिया) में हिंदी कंटेंट की मांग।
- सरकारी सेवाओं में हिंदी का अनिवार्य प्रयोग।
- अनुवाद और भाषा सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार के अवसर।

NEP 2020 यदि हिंदी को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के साथ जोड़े, तो यह ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए नए रास्ते खोल सकती है।

राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समरसता में हिंदी की भूमिका :–

हिंदी न केवल एक भाषा है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक अस्मिता का दर्पण भी है। विविध भाषा–भाषी राज्यों में हिंदी संवाद और समझ का माध्यम बनती है।

राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की भूमिका :–

- उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम भारत को जोड़ने वाली भाषा।
- भारतीय फिल्मों, गीतों और साहित्य के माध्यम से सांस्कृतिक आदान–प्रदान।
- राष्ट्रभाषा नहीं, परंतु 'राष्ट्र संपर्क भाषा' के रूप में प्रचलित।
- विविधता में एकता का प्रतीक।

NEP 2020 में हिंदी को समावेशी तरीके से बढ़ावा देने की संभावनाएँ हैं, बशर्ते इसे थोपे जाने की बजाय प्रेरित किया जाए।

तकनीकी एवं उच्च शिक्षा में हिंदी का स्थान :–

NEP 2020 यह भी सुनिश्चित करती है कि उच्च शिक्षा केवल अंग्रेजी तक सीमित न रहे, बल्कि भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो। हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विज्ञान और विधि जैसे क्षेत्रों में शिक्षा देना नीति का प्रमुख उद्देश्य है।

मुख्य बिंदु :–

- AICTE और UGC ने हिंदी में पाठ्यक्रम विकसित करने शुरू किए हैं।
- तकनीकी शब्दावली को हिंदी में रूपांतरित किया जा रहा है।
- 'नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर' (NDEAR) के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी संसाधनों की वृद्धि।
- IITs और NITs में क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री का प्रयोग आरंभ।

इससे हिंदी माध्यम के छात्रों को वहनशील और सुलभ शिक्षा प्राप्त होगी।

प्रौद्योगिकी और हिंदी का समन्वय :–

NEP 2020 के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण में हिंदी को प्रमुख स्थान मिल सकता है।

तकनीकी क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग :–

- सरकारी पोर्टलों पर हिंदी इंटरफेस।

- OCR, AI और NLP तकनीकों द्वारा हिंदी आधारित एप्लिकेशन।
- ई–पाठशालाएँ, MOOCs (SWAYAM), और डिजिटल पुस्तकालय हिंदी में।
- Chatbot और वॉयस असिस्टेंट में हिंदी का प्रयोग।

परिणामस्वरूप :–

ग्रामीण भारत, जहाँ हिंदी अधिक प्रचलित है, डिजिटल समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाएगा।

शिक्षा में हिंदी सामग्री और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता :–

NEP 2020 में डिजिटल शिक्षा और ई–लर्निंग को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। हिंदी जैसे प्रमुख भारतीय भाषाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री उनकी भाषा में उपलब्ध कराई जा सके।

प्रमुख पहलें :–

- SWAYAM और DIKSHA पोर्टल पर हिंदी में हजारों ई–कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- NCERT और CBSE द्वारा हिंदी में डिजिटल पाठ्यपुस्तकें और ऑडियो–विजुअल सामग्री विकसित की जा रही है।
- AICTE द्वारा हिंदी तकनीकी शब्दकोश और तकनीकी पुस्तकों का अनुवाद आरंभ किया गया है।
- मोबाइल एप्स जैसे 'ePathshala' और 'Bhasha Sangam' हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में बहुभाषिक शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं।

चुनौतियाँ :–

- सभी विषयों की गुणवत्ता युक्त सामग्री का अभाव।
- शिक्षक प्रशिक्षण की कमी।
- डिजिटल पहुँच में क्षेत्रीय विषमता।

इनका समाधान करके हिंदी में शिक्षा को पूर्णतः डिजिटल और सुलभ बनाया जा सकता है।

बहुभाषिकता, हिंदी और शिक्षा में समावेशन :–

NEP 2020 केवल भाषाई बहुलता को मान्यता नहीं देता, बल्कि उसे शिक्षा की बुनियाद बनाता है। बहुभाषिकता का उद्देश्य सिर्फ भाषाएँ सिखाना नहीं है, बल्कि भाषा के माध्यम से सामाजिक समावेशन, सहिष्णुता और सांस्कृतिक स्वीकार्यता को बढ़ावा देना है।

हिंदी की भूमिका :–

- हिंदी को मध्यवर्ती भाषा (link language) के रूप में प्रयुक्त कर सभी क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ा जा सकता है।
- हिंदी माध्यम से विभिन्न सामाजिक–आर्थिक वर्गों के बीच संवाद और समानता संभव है।
- हिंदी का प्रयोग अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ग्रामीण छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने में सहायक हो सकता है।

केस उदाहरण :–

छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्यों में बहुभाषिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए हिंदी व स्थानीय

भाषाओं के बीच संतुलन बनाकर समावेशी शिक्षा का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।

वैश्विक संदर्भ में हिंदी की भूमिका :–

वर्तमान वैश्वीकरण के युग में हिंदी केवल एक भारतीय भाषा नहीं रही, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक, व्यावसायिक और कूटनीतिक भूमिका निभा रही है।

हिंदी का वैश्विक परिदृश्य :–

- विश्व के 25 से अधिक देशों में हिंदी बोलने वाले समुदाय सक्रिय हैं।
- गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी वैश्विक कंपनियाँ हिंदी को समर्थन देती हैं।
- संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के प्रयास चल रहे हैं।
- विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग स्थापित किए जा चुके हैं (जैसेरू हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, टोक्यो यूनिवर्सिटी)।

यदि हिंदी को NEP 2020 के तहत वैश्विक संपर्क और सांस्कृतिक कूटनीति का माध्यम बनाया जाए, तो भारत शिक्षा के साथ–साथ भाषायी नेतृत्वकर्ता भी बन सकता है।

निष्कर्ष :–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के साथ–साथ भाषायी पुनरुत्थान की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। बहुभाषिकता के माध्यम से जहां विविध भाषाओं को संरक्षित करने का प्रयास हो रहा है, वहीं हिंदी जैसी संपर्क भाषा को एक नई ऊर्जा मिली है। हिंदी अब केवल साहित्यिक या सामाजिक संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि एक डिजिटल, तकनीकी और वैश्विक भाषा बन रही है। यदि नीति के उद्देश्यों को पूर्णतः क्रियान्वित किया जाए, तो हिंदी न केवल भारत की आत्मा की आवाज बन सकती है, बल्कि विश्वमंच पर भारत की भाषा शक्ति का प्रतिनिधित्व भी कर सकती है।

संदर्भ सूची :–

1. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नई दिल्ली : शिक्षा मंत्रालय। https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_Hindi.pdf
2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)। (2019)। मातृभाषा–आधारित शिक्षा पर स्थिति–पत्र। नई दिल्ली : एनसीईआरटी।
3. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)। (2021)। हिंदी भाषा शिक्षण दिशा–निर्देश। नई दिल्ली : सीबीएसई।
4. यादव, जी.एन. (2011)। हिंदी भाषा का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। मैसूर : भारतीय भाषा संस्थान।
5. युनेस्को। (2016)। यदि आप समझते नहीं, तो आप कैसे सीखेंगे? वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट। युनेस्को। https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243713
6. कुलश्रेष्ठ, अर्चना। (2018)। हिंदी भाषा और रोजगार के अवसर। भाषा विज्ञान शोध पत्रिका, खंड 12(3), पृष्ठ 45–52।
7. इग्नू (IGNOU)। (2021)। हिंदी और सूचना प्रौद्योगिकी। बी.ए. हिंदी ऑनर्स पाठ्यक्रम सामग्री, नई

दिल्ली : इग्नू।
8. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)। (2021)। भारतीय भाषाओं में तकनीकी पुस्तकों के अनुवाद हेतु परियोजना। https://www.aicte-india.org/initiative/translations
9. श्रीवास्तव, आर.एन. (2020)। भारत में बहुभाषिकता और शिक्षा नीति। भारतीय भाषाविज्ञान पत्रिका, खंड 15(2), पृष्ठ 78–90।
10. कुमार, संजय। (2022)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और हिंदी की वैश्विक संभावनाएँ। भाषा विमर्श पत्रिका, पृष्ठ 34–40।
11. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार। (2023)। संयुक्त राष्ट्र व अन्य देशों में हिंदी का प्रचार–प्रसार। https://www.mea.gov.in/hindi&language&promotion.htm
11. सिन्हा, दीपाली। (2021)। भारत में बहुभाषिक शिक्षा : नीतियाँ और व्यावहारिक पहलू। भाषा और शिक्षा नीति शोध पत्रिका, खंड 4(1), पृष्ठ 10–18।

ईमेल : Vaishalisingh6433@gmail.com
Phone : 7053199389

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 16-20

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

डॉ. राधाकृष्णन के शैक्षिक विचारों का आधुनिक भारत की शिक्षा नीति पर प्रभाव

Dr. Mahesh Chand Gurjar
Assistant Professor, Education Department,
Smt. ANAR DEVI TEACHER'S TRAINING COLLEGE
BAKHARANA (KOTPUTLI -BEHROR) 303105

सारांश :–

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा को मानवता के उत्थान और समाज के परिवर्तन का आधार माना। यह शोध पत्र उनके शैक्षिक विचारों का विश्लेषण करता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करता है। राधाकृष्णन ने शिक्षा को समग्र विकास और नैतिकता का साधन माना, जो भारतीय वेदांत और पश्चिमी दर्शन का समन्वय दर्शाता है। शोध में ऐतिहासिक और तुलनात्मक विश्लेषण पद्धति का उपयोग किया गया, जिसमें उनकी रचनाएँ, भाषण, और एनईपी 2020 के दस्तावेजों का अध्ययन शामिल है। विश्लेषण से पता चलता है कि उनके विचारों ने समग्र शिक्षा, बहुभाषी शिक्षा, और शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर देने में योगदान दिया। हालांकि, व्यावसायीकरण और संसाधनों की कमी चुनौतियाँ हैं। यह शोध नीति निर्माताओं के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और मूल्य–आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है।

कुंजी शब्द – डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, शैक्षिक दर्शन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समग्र शिक्षा, नैतिक शिक्षा, शिक्षक की भूमिका, भारतीय दर्शन, वेदांत, शिक्षा नीति, तुलनात्मक दर्शन।

परिचय :–

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888–1975) भारत के एक प्रख्यात दार्शनिक, शिक्षाविद्, और राजनेता थे, जिन्होंने शिक्षा को समाज के नैतिक, सांस्कृतिक, और आध्यात्मिक उत्थान का आधार माना। उनकी शैक्षिक विचारधारा भारतीय दर्शन, विशेष रूप से अद्वैत वेदांत, और पश्चिमी आदर्शवादी दर्शन का अनूठा समन्वय प्रस्तुत करती है। राधाकृष्णन ने शिक्षा को केवल सूचना संग्रहण या व्यावसायिक कौशल तक सीमित नहीं माना, बल्कि इसे व्यक्तित्व के समग्र विकास, नैतिकता, और वैश्विक एकता का साधन माना। उनके विचारों ने न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रभावित किया। उनके जन्मदिन, 5 सितंबर, को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उनके शिक्षा के प्रति समर्पण और शिक्षकों की भूमिका को रेखांकित करता है।

राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अपने आंतरिक गुणों को पहचानने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने में सक्षम बनाना है। उन्होंने शिक्षकों को समाज के शिल्पकार के रूप में देखा, जो विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। उनकी पुस्तकों, जैसे Indian Philosophy और An Idealist View of Life, में शिक्षा को मानवता के उत्थान और वैश्विक शांति का माध्यम बताया गया है। उनके विचारों ने 1948–49 के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों को आकार दिया, जो भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधारों की नींव बनी।

यह शोध पत्र राधाकृष्णन के शैक्षिक दर्शन का विश्लेषण करता है और उनके विचारों का आधुनिक भारत की शिक्षा नीति, विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, पर प्रभाव का मूल्यांकन करता है। यह पत्र उनके विचारों की प्रासंगिकता, उनकी नीतिगत अभिव्यक्ति, और कार्यान्वयन की चुनौतियों को समझने का प्रयास करता है। यह अध्ययन राधाकृष्णन के वैश्विक दृष्टिकोण को आधुनिक शिक्षा में लागू करने की संभावनाओं को भी उजागर करता है, जो डिजिटल युग और वैश्वीकरण के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है।

शोध की आवश्यकता/महत्त्व :–

- **आवश्यकता :** राधाकृष्णन के शैक्षिक विचार आज भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे समग्र विकास, नैतिकता, और वैश्विक दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा प्रणाली कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे व्यावसायीकरण, नैतिक मूल्यों की कमी, और तकनीकी बदलावों के साथ तालमेल की आवश्यकता। राधाकृष्णन के विचार इन समस्याओं के समाधान में मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। उनकी शिक्षक–केंद्रित दृष्टि और मूल्य–आधारित शिक्षा पर जोर आधुनिक शिक्षा नीतियों को और अधिक समावेशी बनाने में सहायक हो सकता है। यह शोध उनके विचारों को वर्तमान संदर्भ में लागू करने की संभावनाओं का विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए, उनके समग्र शिक्षा के दृष्टिकोण को डिजिटल और तकनीकी शिक्षा के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है ताकि विद्यार्थी आधुनिक और नैतिक दोनों दृष्टिकोण से सशक्त हो सकें।
- **महत्त्व :** यह शोध शिक्षा नीति निर्माताओं को राधाकृष्णन के विचारों को एनईपी 2020 के कार्यान्वयन में शामिल करने में मदद करेगा। यह शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास, और नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिशा–निर्देश प्रदान करता है। साथ ही, यह शोध राधाकृष्णन के वैश्विक दृष्टिकोण को आधुनिक शिक्षा में लागू करने की संभावनाओं को उजागर करता है, जिससे शिक्षा वैश्विक शांति और एकता का साधन बन सके।

उद्देश्य :–

1. डॉ. राधाकृष्णन के शैक्षिक विचारों का विश्लेषण करना।
2. उनके विचारों का आधुनिक भारत की शिक्षा नीतियों, विशेष रूप से एनईपी 2020, पर प्रभाव का मूल्यांकन करना।
3. राधाकृष्णन के विचारों की प्रासंगिकता और सीमाओं का अध्ययन करना।
4. शिक्षा नीति में उनके विचारों को लागू करने के लिए सुझाव देना।

शोध प्रश्न :–

1. डॉ. राधाकृष्णन के शैक्षिक विचारों की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
2. उनके विचारों ने भारत की शिक्षा नीतियों को किस प्रकार प्रभावित किया?

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राधाकृष्णन के विचारों की अभिव्यक्ति कैसे देखी जा सकती है?
4. उनके विचारों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में लागू करने की क्या चुनौतियाँ हैं?

शोध पद्धति :–

- **प्रकार :** यह शोध गुणात्मक और ऐतिहासिक–विश्लेषणात्मक है।
- **डिजाइन :** तुलनात्मक विश्लेषण, जिसमें राधाकृष्णन के शैक्षिक विचारों और आधुनिक शिक्षा नीतियों की तुलना की जाएगी।
- **स्रोत :** द्वितीयक डेटा, जैसे राधाकृष्णन की पुस्तकें (Indian Philosophy, An Idealist View of Life), उनके भाषण, सरकारी दस्तावेज (एनईपी 2020), और शैक्षिक पत्रिकाएँ।
- **विश्लेषण :** थीमैटिक और तुलनात्मक विश्लेषण, जिसमें उनके विचारों को एनईपी 2020 के प्रमुख तत्वों के साथ तुलना की जाएगी।

डेटा संग्रहण एवं विश्लेषण :–

- **डेटा संग्रहण :**

– राधाकृष्णन की रचनाओं (Indian Philosophy] Religion and Society) और उनके भाषणों का अध्ययन।
– एनईपी 2020 के दस्तावेज, सरकारी रिपोर्ट, और शैक्षिक नीतियों का विश्लेषण।
– शैक्षिक पत्रिकाओं और लेखों से संबंधित जानकारी।

- **विश्लेषण :**

– **थीमैटिक विश्लेषण :** राधाकृष्णन के विचारों को थीम्स (जैसे समग्र शिक्षा, नैतिकता, शिक्षक की भूमिका) में वर्गीकृत करना।
– **तुलनात्मक विश्लेषण :** उनके विचारों को एनईपी 2020 के तत्वों (जैसे बहुभाषी शिक्षा, समग्र विकास) के साथ तुलना करना।
– **ऐतिहासिक विश्लेषण :** राधाकृष्णन के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) और अन्य नीतियों के प्रभाव का अध्ययन।

मुख्य चर्चा/विवेचन

1. **राधाकृष्णन के शैक्षिक विचार :–**

- **समग्र शिक्षा :** राधाकृष्णन ने शिक्षा को केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं माना, बल्कि इसे शारीरिक, मानसिक, और आध्यात्मिक विकास का समन्वित साधन माना। उन्होंने शिक्षा को व्यक्तित्व के समग्र विकास और आत्म–साक्षात्कार का माध्यम माना।
- **शिक्षक की भूमिका :** उन्होंने कहा, "शिक्षकों को देश का सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क होना चाहिए।" शिक्षक समाज के शिल्पकार हैं, जो विद्यार्थियों में नैतिकता और चरित्र निर्माण करते हैं। उनके विचारों में शिक्षक को एक मार्गदर्शक और प्रेरक के रूप में देखा गया है।
- **नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा :** राधाकृष्णन ने वेदांत दर्शन के आधार पर नैतिकता और आध्यात्मिकता को शिक्षा का अभिन्न अंग माना। उन्होंने शिक्षा को मानवता के नैतिक उत्थान का साधन माना।
- **वैश्विक दृष्टिकोण :** उन्होंने विश्व को एक विद्यालय माना और शिक्षा को वैश्विक शांति और एकता का

साधन माना। यह दृष्टिकोण आज के वैश्वीकरण के युग में विशेष रूप से प्रासंगिक है।

2. आधुनिक भारत की शिक्षा नीति पर प्रभाव :–

• **विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) :** राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने उच्च शिक्षा में सुधारों की सिफारिश की, जैसे शिक्षक प्रशिक्षण, अनुसंधान को बढ़ावा, और नैतिक शिक्षा। इन सिफारिशों ने बाद की नीतियों, जैसे कोठारी आयोग और एनईपी 2020, को प्रभावित किया।

• **एनईपी 2020 के साथ तुलना :**

– **समग्र शिक्षा :** एनईपी 2020 में समग्र और बहु–विषयक शिक्षा पर जोर राधाकृष्णन के विचारों से मेल खाता है। उदाहरण के लिए, एनईपी का लचीला पाठ्यक्रम और क्रेडिट सिस्टम उनके समन्वित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

– **बहुभाषी शिक्षा :** राधाकृष्णन की मातृभाषा में शिक्षा की वकालत एनईपी 2020 की त्रि–भाषा नीति में देखी जा सकती है, जो स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देती है।

– **नैतिकता और मूल्य :** एनईपी में मूल्य–आधारित शिक्षा का समावेश राधाकृष्णन के विचारों से प्रेरित है।

• **शिक्षक प्रशिक्षण :** राधाकृष्णन ने शिक्षकों के लिए उच्च प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया, जो एनईपी 2020 में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जैसे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) के सुधारों में परिलक्षित होता है।

• **प्रभाव के अन्य क्षेत्र :** राधाकृष्णन के विचारों ने शिक्षा को सामाजिक समानता और सांस्कृतिक संरक्षण का साधन बनाने में योगदान दिया। उदाहरण के लिए, उनके विचारों ने ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार को प्रेरित किया।

3. प्रासंगिकता और चुनौतियाँ :–

• **प्रासंगिकता :** उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे शिक्षा को सामाजिक और नैतिक परिवर्तन का साधन मानते हैं। वैश्वीकरण और डिजिटल युग में उनकी वैश्विक एकता की अवधारणा विशेष रूप से उपयोगी है।

• **चुनौतियाँ :** उनके विचारों को लागू करने में व्यावसायीकरण, तकनीकी बदलाव, और संसाधनों की कमी बाधाएँ हैं। साथ ही, आधुनिक शिक्षा में तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक कौशल पर बढ़ता जोर उनके दार्शनिक दृष्टिकोण के साथ संतुलन की आवश्यकता है।

सुझाव :–

1. **शिक्षक प्रशिक्षण :** राधाकृष्णन के विचारों के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नैतिकता और समग्र शिक्षा पर जोर देना चाहिए।
2. **मूल्य–आधारित शिक्षा :** पाठ्यक्रम में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल करना चाहिए।
3. **मातृभाषा में शिक्षा :** मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिक शिक्षा में और अधिक बढ़ावा देना चाहिए।
4. **अनुसंधान और नवाचार :** राधाकृष्णन की अनुसंधान पर जोर देने की सलाह को लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों में अनुसंधान सुविधाएँ बढ़ानी चाहिए।
5. **जागरूकता अभियान :** राधाकृष्णन के शैक्षिक दर्शन को शिक्षकों और नीति निर्माताओं के बीच प्रचारित

करने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिए।

निष्कर्ष :-

डॉ. राधाकृष्णन के शैक्षिक विचारों ने आधुनिक भारत की शिक्षा नीति को गहराई से प्रभावित किया है। उनके समग्र शिक्षा, नैतिकता, और शिक्षक की भूमिका पर विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) के माध्यम से उनके सुझावों ने उच्च शिक्षा में सुधारों की नींव रखी। उनके विचार आज भी शिक्षा को अधिक समावेशी, मूल्य–आधारित, और वैश्विक दृष्टिकोण से युक्त बनाने में प्रासंगिक हैं। हालांकि, उनके विचारों को लागू करने में आधुनिक चुनौतियाँ, जैसे व्यावसायीकरण, तकनीकी बदलाव, और संसाधनों की कमी, को संबोधित करना आवश्यक है। यह शोध दर्शाता है कि राधाकृष्णन का दर्शन शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और वैश्विक एकता का साधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उनके विचारों को नीति निर्माण और शिक्षक प्रशिक्षण में और अधिक प्रभावी ढंग से शामिल करने से भारत की शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाया जा सकता है।

संदर्भ सूची :-

1. राधाकृष्णन, एस. (1918). द फिलॉसफी ऑफ रबीन्द्रनाथ टैगोर. मैकमिलन।
2. राधाकृष्णन, एस. (1927). इंडियन फिलॉसफी. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. राधाकृष्णन, एस. (1932). एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ. जॉर्ज एलेन एंड अनविन।
4. भारत सरकार. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. शिक्षा मंत्रालय।
5. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग रिपोर्ट (1948–49). भारत सरकार।
6. जागरण जोश. (2024). शिक्षक दिवस 2024 : डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो राष्ट्रपति के रूप।
7. जनसत्ता. (2024). शिक्षक दिवस 2024 : डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन परिचय और उनके।
8. विकिपीडिया. (2020). सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
9. इंटरनेट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी. राधाकृष्णन, सर्वपल्ली।
10. दीपावली. (2023). डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जीवन परिचय।

Email - Jangalmahesh@Gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 21-28

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

कुशवाहा (कोइरी) जाति का एक अध्ययन : भारत के परिप्रेक्ष्य में, विशेष संदर्भ : बिहार एवं वाराणसी

डॉ. चन्द्रशेखर सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रस्तावना :–

भारत एक विविधतापूर्ण सामाजिक संरचना वाला देश है, जहाँ जाति व्यवस्था का गहरा प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर पड़ा है। इस व्यवस्था में 'कुशवाहा' या 'कोइरी' जाति एक प्रमुख कृषक समुदाय के रूप में जानी जाती है, जिसकी ऐतिहासिक भूमिका, सामाजिक पहचान और राजनीतिक भागीदारी ने समय के साथ उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है। मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और कुछ अन्य राज्यों में निवास करने वाली यह जाति पारंपरिक रूप से कृषि कार्यों से जुड़ी रही है, विशेषकर सब्जी उत्पादन (बारीकृषि) में इसकी विशेष दक्षता मानी जाती है।

'कुशवाहा' शब्द की उत्पत्ति प्राचीन कुश वंश से मानी जाती है, जिससे इस जाति का वैदिक काल से जुड़ा हुआ गौरवशाली इतिहास दर्शाया जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार, यह जाति भगवान राम के पुत्र लव–कुश की वंशज मानी जाती है, जिससे इसकी सामाजिक पहचान में गौरव का भाव समाहित होता है। हालांकि, भारत में जाति केवल वंश की पहचान नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति की भी सूचक रही है।

आधुनिक काल में कुशवाहा जाति ने शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। कई राज्यों में यह जाति सामाजिक न्याय आंदोलनों का हिस्सा बनी है तथा ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के रूप में मान्यता प्राप्त करके आरक्षण और सशक्तिकरण की नीतियों से लाभान्वित भी हुई है।

इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में कुशवाहा (कोइरी) जाति की ऐतिहासिक उत्पत्ति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक विकास, राजनीतिक भूमिका और सांस्कृतिक पहचान का समग्र मूल्यांकन करना है। साथ ही, यह विश्लेषण भी किया जाएगा कि कैसे सामाजिक न्याय, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व ने इस जाति को मुख्यधारा में लाने में योगदान दिया है।

भारत की सामाजिक संरचना में जाति व्यवस्था एक केंद्रीय भूमिका निभाती रही है, जिसने न केवल

सामाजिक पहचान, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया है। इस व्यवस्था में कुशवाहा (या कोइरी) जाति एक महत्त्वपूर्ण कृषक समुदाय के रूप में उभरी है, जिसकी पहचान मुख्यतः सब्जी उत्पादक और बागवानी कार्यों में पारंपरिक विशेषज्ञता से जुड़ी हुई है।

कुशवाहा जाति की ऐतिहासिक उत्पत्ति वैदिक काल से मानी जाती है, जिसे कुछ स्रोतों में भगवान राम के पुत्र 'कुश' के वंशजों के रूप में देखा गया है। यह जाति कुश वंश से अपने संबंध को सामाजिक गौरव और सम्मान से जोड़ती है। पारंपरिक रूप से यह समुदाय कृषि, विशेषकर सब्जी उत्पादन और छोटे स्तर की व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न रहा है, जिसने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक सशक्त स्तंभ बना दिया।

बिहार और वाराणसी के विशेष संदर्भ में :–

बिहार में कुशवाहा/कोइरी जाति की जनसंख्या अत्यधिक है और यह राज्य के सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्य में प्रभावशाली भूमिका निभा रही है। स्वतंत्रता के बाद से ही यह जाति सामाजिक न्याय के आंदोलनों में सक्रिय रही है, विशेषकर मंडल आयोग के पश्चात इसे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के रूप में संरक्षित किया गया। बिहार की राजनीति में कई प्रमुख नेता, जैसे उपेन्द्र कुशवाहा, नीतिश कुमार (पार्श्ववर्ती जातियों से) आदि, इस समुदाय से आते हैं और इसके उत्थान में योगदान करते रहे हैं।

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) क्षेत्र में भी कुशवाहा जाति की उपस्थिति उल्लेखनीय है, जहाँ यह समुदाय पारंपरिक सब्जी उत्पादकों के रूप में जाना जाता है। वाराणसी के ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों में यह जाति न केवल कृषि कार्यों में अग्रणी है, बल्कि स्थानीय पंचायतों, नगरपालिका और राजनीतिक संगठनों में भी इसकी भागीदारी बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में शिक्षित युवाओं के बीच उच्च शिक्षा, व्यवसाय और सरकारी सेवाओं की ओर रुझान ने जाति की सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन लाया है।

कोइरी (कुशवाहा) जाति की उत्पत्ति : एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण :–

कोइरी, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में कुशवाहा, मौर्य, या मुराव भी कहा जाता है, भारत की एक प्रमुख कृषक जाति है। इनकी उपस्थिति मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाई जाती है। इस जाति की उत्पत्ति के विषय में पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोणों के आधार पर विभिन्न मत उपलब्ध हैं।

1. पौराणिक और वंशानुगत उत्पत्ति :–

कोइरी या कुशवाहा समुदाय स्वयं को भगवान श्रीराम के पुत्र "कुश" का वंशज मानता है। इस आधार पर वे अपने को "कुशवंशी क्षत्रिय" कहते हैं। इस पहचान के माध्यम से यह समुदाय अपने को क्षत्रिय वर्ण से जोड़ने का प्रयास करता है। समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित "संस्कृतिकरण (Sanskritization)" की अवधारणा के अनुसार, यह जाति सामाजिक स्तर ऊँचा करने हेतु उच्च वर्ण की परंपराओं को अपनाती है, जैसे– गोत्र, उपनाम, पूजा–पद्धति आदि।

2. पारंपरिक पेशा और सामाजिक पहचान :–

इतिहास में कोइरी जाति का मुख्य कार्य कृषि, विशेष रूप से सब्जी उत्पादन और बागवानी रहा है। यही कारण है कि इनका ग्रामीण समाज में एक "उत्पादक जाति" के रूप में विशेष स्थान रहा है। 'कोइरी' शब्द की उत्पत्ति भी संभवतः 'कोरा' या 'कोड़ा' (कृषि उपकरण) अथवा 'कोउरी' (एक प्रकार की फसल) से हुई मानी जाती

है।

इनकी सामाजिक स्थिति पारंपरिक रूप से शूद्र वर्ण में रखी गई थी, लेकिन मेहनत और उत्पादकता के कारण इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी।

3. मध्यकालीन एवं औपनिवेशिक काल में स्थिति :–

मध्यकाल में कोइरी जाति ने कृषि को ही अपना मुख्य आधार बनाए रखा, जबकि सामाजिक रूप से यह जाति ऊँच–नीच के जातीय ढाँचे में निम्न स्तर पर बनी रही। ब्रिटिश काल में की गई जातीय जनगणनाओं में कोइरी जाति को कृषक जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया, जो कि अत्यंत मेहनती और संपन्न मानी जाती थी।

औपनिवेशिक लेखकों और जातीय सर्वेक्षणों में इस जाति की पहचान एक समृद्ध लेकिन सामाजिक रूप से सीमित वर्ग के रूप में की गई।

4. 19वीं–20वीं शताब्दी में जातीय पुनरूत्थान :–

इस काल में भारत में जातीय संगठनों की लहर चल रही थी। कुशवाहा/कोइरी समाज ने भी "कुशवाहा क्षत्रिय महासभा", "अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा" जैसे संगठनों का निर्माण किया। इन संगठनों ने वंश–गौरव, शिक्षा, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने का कार्य किया। इसी दौरान कई लोगों ने 'मौर्य' उपनाम भी अपनाया, जिससे उनका संबंध सम्राट अशोक और मौर्य वंश से जोड़ने का प्रयास किया गया।

5. आधुनिक काल में सामाजिक और राजनीतिक पहचान :–

स्वतंत्रता के बाद कोइरी जाति को OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) के अंतर्गत मान्यता मिली। मंडल आयोग (1980) की सिफारिशों ने इस जाति को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिलाने में भूमिका निभाई। इसके बाद से इस जाति ने राजनीति, शिक्षा, प्रशासन, व्यापार आदि क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की।

आज यह जाति बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत की राजनीति में एक सशक्त सामाजिक शक्ति बन चुकी है। अनेक नेता जैसे उपेन्द्र कुशवाहा, महुआ मुर्जी, आदि इसी समुदाय से आते हैं।

6. क्षेत्रीय नाम और विविधताएँ :–

कोइरी जाति अलग–अलग राज्यों में विभिन्न नामों से जानी जाती है :

- **कुशवाहा** – सामान्य रूप से पूरे उत्तर भारत में।
- **मुराव (Murao)** – पूर्वी उत्तर प्रदेश में।
- **मौर्य (Maurya)** – नव–जागृत राजनीतिक पहचान हेतु।
- **शाक्य, सैनी, माली** – कुछ क्षेत्रों में जातिगत समानता के आधार पर जुड़ी उपजातियाँ।

अध्ययन की आवश्यकता और उद्देश्य :–

भारत में जातिगत असमानताओं को समझने के लिए, विशेष समुदायों का गहराई से अध्ययन आवश्यक है। कुशवाहा जाति जैसे समुदाय, जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों में आते हैं लेकिन लगातार मुख्यधारा की ओर बढ़ रहे हैं, उनके सामाजिक–आर्थिक विकास, राजनीतिक सशक्तिकरण, शिक्षा की स्थिति और सांस्कृतिक पहचान को समझना आज के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस अध्ययन के माध्यम से बिहार और वाराणसी जैसे क्षेत्रों में कुशवाहा जाति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि,

वर्तमान सामाजिक–आर्थिक स्थिति, चुनौतियाँ तथा उपलब्ध अवसरों का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाएगा।

सैद्धांतिक पृष्ठभूमि :–

जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक जटिल और ऐतिहासिक सामाजिक संरचना है, जिसकी जड़ें वैदिक काल तक फैली हुई हैं। यह व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण और श्रम विभाजन पर आधारित थी, जिसने कुछ जातियों को सामाजिक वर्चस्व प्रदान किया, जबकि अन्य जातियाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर रहीं। कुशवाहा (कोइरी) जाति को इसी संदर्भ में एक कृषि–प्रधान, परंपरागत रूप से पिछड़ा वर्ग माना गया है, जिसने अपने परिश्रम, संगठन और संघर्ष के माध्यम से सामाजिक उत्थान की दिशा में कदम बढ़ाया।

इस अध्ययन की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि निम्नलिखित समाजशास्त्रीय अवधारणाओं और सिद्धांतों पर आधारित है :

1. वर्ण व्यवस्था और जाति सिद्धांत (Caste Theory) :–

भारतीय समाज में जाति को 'जन्म आधारित सामाजिक श्रेणी' के रूप में देखा गया है। डॉ. भीमराव अंबेडकर, लुई ड्यूमों (Louis Dumont) और एम.एन. श्रीनिवास जैसे समाजशास्त्रियों ने जाति को सामाजिक पदानुक्रम, जातीय पहचान, और सामाजिक गतिशीलता की दृष्टि से विश्लेषित किया। लुई ड्यूमों ने 'हायरार्की बनाम इक्वैलिटी' की संकल्पना के माध्यम से दिखाया कि किस प्रकार जातीय श्रेष्ठता–बोध सामाजिक संरचना का आधार बनती है।

2. सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) :–

एम.एन. श्रीनिवास की 'संस्कृतिकरण (Sanskritization)' अवधारणा के अनुसार, भारत की कई निम्न जातियाँ अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा दिखाने के लिए उच्च जातियों के रीति–रिवाजों और जीवनशैली को अपनाती हैं। कुशवाहा जाति का भी एक वर्ग संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए स्वयं को 'कुश वंशज' और 'क्षत्रिय मूल' का हिस्सा मानने लगा है। यह उनके सामाजिक स्वाभिमान और जातीय अस्मिता को सुदृढ़ करता है।

3. सामाजिक परिवर्तन और शैक्षिक सशक्तिकरण :–

पॉल्टीकल इकनॉमी ऑफ एजुकेशन और सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत यह दर्शाते हैं कि जैसे–जैसे शिक्षा, शहरीकरण और राजनीतिक चेतना बढ़ती है, वैसे–वैसे पारंपरिक जातिगत ढाँचे में परिवर्तन आने लगता है। बिहार और वाराणसी क्षेत्र में कुशवाहा समाज ने शिक्षा और नौकरियों में प्रवेश कर अपने आर्थिक और सामाजिक स्तर को मजबूत किया है। यह परिवर्तन Pierre Bourdieu के "Social Capital" और "Cultural Capital" के सिद्धांतों के अंतर्गत भी विश्लेषणीय है।

4. सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व :–

मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर OBC आरक्षण लागू होने के बाद, कुशवाहा जाति को न केवल शैक्षणिक और आर्थिक अवसर मिले, बल्कि राजनीतिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया ने उन्हें सामाजिक नेतृत्व की मुख्यधारा में भी स्थान दिलाया। राम मनोहर लोहिया और कांशीराम जैसे सामाजिक नेताओं के विचारों ने जातीय चेतना और संगठन को मजबूती दी।

समीक्षा साहित्य :-

किसी भी सामाजिक शोध के लिए संबंधित विषय पर पूर्व में हुए अध्ययनों और उपलब्ध साहित्य का विश्लेषण आवश्यक होता है। इससे न केवल शोध के लिए सैद्धांतिक आधार मिलता है, बल्कि शोध के नए क्षेत्रों की पहचान भी संभव होती है। कुशवाहा (कोइरी) जाति के सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक संदर्भ में अब तक विभिन्न विद्वानों और संगठनों ने अध्ययन प्रस्तुत किए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :

1. एम.एन. श्रीनिवास (M.N. Srinivas) :-

श्रीनिवास ने अपनी पुस्तकों और लेखों में 'संस्कृतिकरण' और 'सामाजिक गतिशीलता' की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार पिछड़ी जातियाँ उच्च जातियों की जीवनशैली, पूजा–पद्धति और नामों को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर लाने का प्रयास करती हैं। कुशवाहा जाति का स्वयं को 'कुशवंशी क्षत्रिय' के रूप में प्रस्तुत करना इस प्रक्रिया का उदाहरण माना जा सकता है।

2. मंडल आयोग रिपोर्ट (1980) :-

भारत सरकार द्वारा गठित बी. पी. मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का व्यापक अध्ययन किया। इसमें कुशवाहा/कोइरी जाति को 'अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)' के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें आरक्षण का लाभ प्रदान करने की अनुशंसा की गई। यह रिपोर्ट इस जाति के सामाजिक वंचना और शिक्षा व प्रतिनिधित्व की कमी को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है।

3. डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचार :-

हालांकि अंबेडकर ने विशेष रूप से कुशवाहा जाति पर नहीं लिखा, लेकिन उनका जाति व्यवस्था पर किया गया समग्र विश्लेषण, जैसे "Annihilation of Caste" और "Who Were the Shudras?' इस जाति की स्थिति को समझने में सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है। उनका यह मानना कि जाति व्यवस्था श्रम विभाजन के स्थान पर श्रमिकों का विभाजन है, कोइरी जैसे समुदायों की ऐतिहासिक उपेक्षा की व्याख्या करता है।

4. राम मनोहर लोहिया और सामाजिक न्याय आंदोलन :-

लोहिया ने 'पिछड़े वर्ग' के राजनीतिक सशक्तिकरण का समर्थन किया। उनके द्वारा उठाया गया 'पिछड़ा वर्ग आरक्षण' का मुद्दा कुशवाहा जैसी जातियों के लिए राजनीतिक और सामाजिक चेतना का स्रोत बना। लोहिया के 'सामाजिक न्याय' सिद्धांतों का प्रभाव बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में व्यापक रूप से देखा गया।

5. "Koeris in Bihar Politics" — By Sanjay Kumar (2013) :-

इस शोध में संजय कुमार ने बिहार की राजनीति में कोइरी जाति की बढ़ती भागीदारी और नेताओं की भूमिका (जैसे उपेन्द्र कुशवाहा) का विश्लेषण किया है। यह अध्ययन बताता है कि किस प्रकार यह जाति नब्बे के दशक के बाद OBC राजनीति का एक प्रभावी स्तंभ बनी है।

6. स्थानीय व क्षेत्रीय अध्ययन (वाराणसी और बिहार के संदर्भ में) :-

कुछ स्थानीय विश्वविद्यालयों और शोधकर्ताओं द्वारा वाराणसी व बिहार में कुशवाहा जाति की सामाजिक स्थिति पर लघु शोधपत्र लिखे गए हैं, जिनमें इस समुदाय की कृषि पर निर्भरता, शिक्षा के प्रति रुझान, तथा पंचायत व स्थानीय निकायों में भागीदारी का विश्लेषण किया गया है। हालांकि, इस क्षेत्र में व्यापक और अद्यतन शोध की कमी आज भी बनी हुई है।

1. कुशवाहा (कोइरी) जाति का ऐतिहासिक विकास मुख्यतः कृषि पर आधारित रहा है, जिससे इनकी सामाजिक पहचान भी कृषक जाति के रूप में स्थापित हुई है।
2. स्वतंत्रता के बाद तथा विशेषकर मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के पश्चात, कुशवाहा समुदाय की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
3. कुशवाहा जाति द्वारा क्षत्रिय वंश (कुशवंशी) होने का दावा सामाजिक मान्यता एवं सामाजिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से किया गया एक 'संस्कृतिकरण (Sanskritization)' का उदाहरण है।
4. ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में कुशवाहा समुदाय की सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) अधिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।
5. कुशवाहा जाति के भीतर शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ–साथ राजनीतिक भागीदारी एवं नेतृत्व क्षमता में भी वृद्धि हुई है।
6. बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश (विशेषतः वाराणसी क्षेत्र) में कुशवाहा जाति की स्थिति उनके संगठित प्रयासों, सामाजिक चेतना और राजनीतिक सक्रियता से प्रभावित हुई है।

निष्कर्ष :–

भारत की जातिगत संरचना में कुशवाहा (कोइरी) जाति का स्थान एक श्रमशील, कृषि–प्रधान एवं सामाजिक रूप से गतिशील समुदाय के रूप में देखा जाता है। इस अध्ययन के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि कुशवाहा जाति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पौराणिक परंपराओं, कृषक संस्कृति, और औपनिवेशिक कालीन वर्गीकरणों से जुड़ी रही है। परंपरागत रूप से यह जाति सब्जी उत्पादन और बागवानी जैसे कार्यों में दक्ष रही, जिससे इनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश (विशेषतः वाराणसी क्षेत्र) में यह जाति राजनीतिक रूप से सशक्त और संगठित होती चली गई है। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद OBC वर्ग में शामिल किए जाने से इस समुदाय को शिक्षा, सरकारी सेवाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में नए अवसर प्राप्त हुए। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक पहचान में परिवर्तन, आत्मसम्मान की वृद्धि और राजनीतिक सक्रियता देखी गई।

सांस्कृतिक दृष्टि से भी कुशवाहा समाज ने 'कुशवंशी क्षत्रिय' की पहचान को आत्मसात कर अपनी सामाजिक स्थिति को मजबूत किया, जो कि संस्कृतिकरण की एक प्रमुख प्रक्रिया का उदाहरण है। साथ ही, संगठनों, महासभाओं और सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से इस जाति ने सामाजिक चेतना और एकजुटता को बढ़ावा दिया है।

हालाँकि, अब भी कुछ क्षेत्रों में सामाजिक विषमता, शिक्षा की कमी और आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जिन्हें नीतिगत प्रयासों और सामुदायिक सहयोग से दूर किया जा सकता है। कुशवाहा (कोइरी) जाति की सामाजिक संरचना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति का अध्ययन यह दर्शाता है कि यह जाति भारतीय समाज में एक उत्पादक, परिश्रमी और आत्मगौरव से युक्त समुदाय रही है। परंपरागत रूप से कृषि, विशेषकर सब्जी उत्पादन और बागवानी से जुड़ा यह समुदाय सामाजिक दृष्टि से स्वयं को क्षत्रिय वंशज के रूप में स्थापित करने की दिशा में सक्रिय रहा है। ब्रिटिश औपनिवेशिक जनगणना, मंडल आयोग की रिपोर्ट, और स्वतंत्रता के बाद सामाजिक न्याय आधारित नीतियों ने इस जाति की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को गहराई

से प्रभावित किया। शिक्षा, आरक्षण, संगठन निर्माण और राजनीतिक चेतना ने इस समुदाय में सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) को गति दी। 'कुशवाहा', 'मौर्य', 'शाक्य' और 'सैनी' जैसे उपनामों को अपनाकर इस जाति ने सांस्कृतिक सशक्तिकरण और सामाजिक आत्म–गौरव का रास्ता चुना।

बिहार, उत्तर प्रदेश (विशेषतः पूर्वांचल क्षेत्र जैसे वाराणसी) में इस जाति ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक आंदोलन और शैक्षणिक प्रगति के माध्यम से अपनी पहचान को पुनः परिभाषित किया है।

सुझाव :–

1. **शिक्षा पर विशेष ध्यान :**

- समुदाय के भीतर उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष शैक्षणिक योजनाएं चलाई जाएं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रवृत्ति, कोचिंग सहायता और मार्गदर्शन केंद्र स्थापित किए जाएं।

2. **सामाजिक चेतना और संगठन :**

- जातीय संगठनों को सांस्कृतिक जागरूकता के साथ–साथ सामाजिक सुधार अभियानों में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
- युवाओं को संगठित कर सामाजिक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं।

3. **कृषि और स्वरोजगार के लिए सहयोग :**

- सब्जी उत्पादन, बागवानी और आधुनिक कृषि तकनीक के प्रशिक्षण द्वारा समुदाय के पारंपरिक कौशल को सशक्त बनाया जाए।
- कृषि आधारित स्टार्टअप एवं स्वरोजगार योजनाओं में सरकार की सहायता सुनिश्चित की जाए।

4. **महिला सशक्तिकरण :**

- कुशवाहा समुदाय की महिलाओं के लिए विशेष स्वरोजगार योजना, स्वास्थ्य जागरूकता, और शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएं।
- महिला मंडल एवं स्व–सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जाए।

5. **राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा :**

- युवाओं को राजनीति में भागीदारी के लिए प्रशिक्षण और प्रेरणा मंच प्रदान किए जाएं ताकि वे पंचायत से लेकर विधानसभा तक सक्रिय भूमिका निभा सकें।

6. **सामाजिक समरसता की दिशा में पहल :**

- समाज के अन्य वर्गों के साथ सांस्कृतिक संवाद, साझा आयोजन, एवं सामूहिक विकास योजनाएं चलाई जाएं जिससे सांप्रदायिक सद्भावना और सामाजिक समरसता को बल मिले।

संदर्भ सूची :–

1. Bayly, S. (1999). Caste, society and politics in India from the eighteenth century to the modern age. Cambridge University Press.
2. Dirks, N. B. (2001). Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India. Princeton

University Press.
3. Jaffrelot, C. (2003). India's Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India. Columbia University Press.
4. Mandal Commission Report (1980). Socially and Educationally Backward Classes Commission. Government of India.
5. Narayan, B. (2009). Fascinating Hindutva: Saffron Politics and Dalit Mobilisation. Sage Publications.
6. Shah, G., Mander, H., Thorat, S., Deshpande, S., & Baviskar, A. (2006). Untouchability in Rural India. Sage Publications.
7. Singh, K. S. (1998). People of India: Uttar Pradesh (Volume XLII). Anthropological Survey of India.
8. Government of India. (1955-56). Report of the First Backward Classes Commission (Kaka Kalelkar Commission). Ministry of Home Affairs.
9. Kumar, A. (2010). Backward Castes in Contemporary India: A Study of Socio-Economic Mobility. Rawat Publications.
10. Gupta, D. (2000). Interrogating Caste: Understanding Hierarchy and Difference in Indian Society. Penguin Books.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 29-34

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Digital Evidence in Domestic Violence Cases : Admissibility, Ethics, and Emerging Challenges in Indian Courts

Hema Shrivastava
Research Scholar, P.K. University
Supervisor : **Dr. Surendra Singh Baghel**
Assistant Professor, Faculty of Law, P.K. University.

Abstract :

In the digital age, where personal communication and daily activities are increasingly mediated through electronic devices, digital evidence has emerged as a vital element in the adjudication of domestic violence cases. From WhatsApp messages and emails to surveillance footage and call recordings, digital evidence can play a critical role in substantiating allegations of abuse and coercion. However, the admissibility and ethical use of such evidence present a unique set of legal and procedural challenges. This paper examines the evolution of Indian law in this area, analyses significant judicial decisions, and explores ethical tensions between privacy and justice. The paper argues for a balanced approach that both protects victims and respects constitutional values.

Keywords :

Digital Evidence, Domestic Violence, Admissibility, Indian Evidence Act, Ethics, Privacy, Judiciary, Cyber Law, Forensics.

1. Introduction :

The increasing digitization of communication has dramatically transformed how domestic violence is reported, recorded, and adjudicated in India. Victims are now able to provide electronic proof such as emails, audio recordings, WhatsApp chats, call logs, and even GPS data to substantiate abuse. While these developments offer hope for better documentation and prosecution of violence, they also pose complex legal and ethical questions.

Domestic violence is not merely physical—it includes emotional, verbal, sexual, psychological,

and financial abuse. Often, these forms of violence are not visible, making digital trails a critical source of proof. In many cases, digital evidence becomes the only means for victims to establish patterns of coercion, control, and threats.

Yet, the Indian legal system is still evolving to accommodate the nuances of digital evidence. Challenges range from questions of admissibility under the Indian Evidence Act, to concerns about privacy, manipulation, and misuse. This paper attempts to provide a comprehensive analysis of these issues.

2. Legal Framework on Admissibility of Digital Evidence

2.1 Indian Evidence Act, 1872 – Sections 65A & 65B :

- Section 65A introduces special provisions for electronic records.
- Section 65B mandates that an electronic record is admissible only when accompanied by a 65B(4) certificate, which confirms :
  - The authenticity of the device that produced the record.
  - That the device was used regularly.
  - The method and time of data generation.

2.2 Information Technology Act, 2000 :

- Recognises electronic records as legally valid documents.
- Defines "secure electronic records" and "digital signatures."
- Works in tandem with the Indian Evidence Act.

The admissibility and handling of digital evidence in India is governed by a combination of three main legal instruments :

1. The Indian Evidence Act, 1872 (specifically Sections 65A and 65B)
2. The Information Technology Act, 2000
3. Relevant provisions of the Constitution of India, particularly the Right to Privacy under Article 21

These laws collectively form the basis for determining the legality, admissibility, and ethical use of electronic evidence in court proceedings related to domestic violence.

2.1 The Indian Evidence Act, 1872 :

The introduction of Sections 65A and 65B through the Information Technology Act, 2000 significantly impacted how electronic records are admitted in Indian courts.

Section 65A :

This section provides special provisions for electronic records and states that their contents may be proved in accordance with Section 65B.

Section 65B : Admissibility of Electronic Records.

Section 65B(2) and (4) lay down specific requirements for admissibility :

- The electronic record must be produced from a computer that was used regularly.
- A certificate must be provided confirming the process and device used to generate the record.
- The certificate must be signed by someone in a responsible position.

This certificate is essential to prove the authenticity and integrity of the digital evidence.

2.2 Key Judicial Pronouncements :

Anvar P.V. v. P.K. Basheer (2014)

Mandated that only electronic records with a 65B certificate are admissible as evidence. Overruled earlier lenient interpretations.

Shafhi Mohammad v. State of Himachal Pradesh (2018) :

Offered a liberal interpretation by allowing exceptions to 65B certification when the device is not under the control of the producing party.

Arjun Panditrao Khotkar v. Kailash Kushanrao Gorantyal (2020) :

Reiterated that Section 65B compliance is mandatory. However, clarified that certificates can be submitted later during the trial.

Sonu @ Amar v. State of Haryana (2017) :

Reversed a conviction due to failure to submit a valid 65B certificate, underlining the importance of procedural compliance.

2.3 The Information Technology Act, 2000 :

- Defines "electronic record" under Section 2(1)(t).
- Section 85B provides for the presumption of the validity of electronic records if produced from secure systems.

The IT Act recognises the legality and evidentiary value of electronic data, ensuring its use in both civil and criminal proceedings.

2.4 Constitutional Framework – Article 21 :

The Supreme Court, in K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017), declared the Right to Privacy as a fundamental right under Article 21. This has a direct impact on how digital evidence, particularly secretly recorded material, is handled in domestic violence cases.

Courts must now evaluate :

- Whether privacy rights are violated by secretly obtaining digital evidence.
- Whether such evidence should be excluded despite its probative value.

2.5 Procedural Law – PWDVA and CrPC :

- Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 – Section 14 : Allows liberal admission of any type of evidence, including electronic records.
- Criminal Procedure Code (CrPC) – Section 91 : Empowers courts to summon documents or evidence, including digital devices and data.

These provisions allow domestic violence victims to present informal and digitally captured records, even in civil proceedings, though criminal proceedings demand stricter compliance.

2.6 Evidentiary Approach in Civil vs. Criminal Proceedings :

- **Civil Proceedings under PWDVA :** Courts are more flexible. Screenshots, emails, voice notes, and chats are often accepted even without strict compliance.
- **Criminal Proceedings (IPC 498A, etc.) :** Require stricter adherence to the Evidence Act, including certification under Section 65B.

3. Relevance of Digital Evidence in Domestic Violence Cases Digital evidence can establish :

- Pattern of coercion – Repeated threatening messages or calls.
- Financial abuse – Emails or bank statements showing dowry or extortion.
- Verbal/emotional abuse – Voice recordings or chat transcripts.
- Cyberstalking or surveillance – GPS tracking, screenshots from apps, etc.

Such evidence supports claims made under :

- Section 498A IPC – Cruelty by husband or relatives.
- Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 – Especially emotional, verbal, and economic abuse.

Example :

In State v. Sunil Sharma (2022), the Delhi Sessions Court accepted screenshots and WhatsApp messages as supporting evidence under PWDVA.

4. Ethical Concerns and Privacy Issues

4.1 Right to Privacy :

The landmark K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) 10 SCC 1 judgment declared the right to privacy as a fundamental right under Article 21. This raises important questions:

- Can a spouse secretly record conversations?
- Can private chats be shared in public hearings?

4.2 Consent and Victim Blaming :

- Secret recordings without consent may violate privacy laws.
- Courts must weigh probative value vs. intrusiveness.

- Victims often fear re-victimisation when intimate chats are presented as evidence.

5. Judicial Trends and Case Laws

Case Name	Key Contribution
Anvar P.V. v. P.K. Basheer (2014)	Mandated 65B certificate for admissibility.
Shafhi Mohammad v. State of H.P. (2018)	Allowed flexibility in producing certificate.
Arjun Panditrao Khotkar (2020)	Reaffirmed certificate as mandatory.
Sonu @ Amar v. State of Haryana (2017)	Admitted improperly certified digital record led to acquittal.
K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017)	Recognized right to privacy.
Surinder Kaur v. State of Punjab (2023)	WhatsApp voice call with 65B certificate admitted in domestic violence cas

6. Challenges in Practice :

- Lack of awareness about 65B certification.
- Police and legal aid officers often unequipped to help victims collect electronic evidence.
- Inconsistent court practices regarding what constitutes admissibility.
- Manipulation of digital data remains a concern (screenshots, tampering).
- Limited forensic labs to verify authenticity in smaller districts.
- Cultural stigma around presenting personal chats or audio in court.

7. Recommendations :

1. Mandatory training for police, prosecutors, and judges in handling digital evidence.
2. Amendments to PWDVA Rules, explicitly including digital and cyber abuse.
3. Establish specialized cyber cells within women's police stations.
4. Legal aid clinics to help women prepare 65B certificates and preserve digital evidence.
5. Set guidelines for in-camera hearings when sensitive content is submitted.
6. Standard Operating Procedures (SOPs) across all courts for digital record handling.
7. Public education campaigns about digital rights and responsible collection of evidence.

8. Conclusion :

Digital evidence is revolutionising the legal landscape of domestic violence cases in India. It has the potential to offer concrete, time-stamped, and objective proof of abuse. However, without

procedural clarity, technical infrastructure, and ethical safeguards, this potential can be lost or misused. Indian courts must develop a balanced and victim-sensitive framework that values both justice and privacy, enabling survivors of domestic violence to pursue justice without fear of further trauma.

References :

1. Indian Evidence Act, 1872 – Sections 65A, 65B
2. Information Technology Act, 2000
3. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
4. Anvar P.V. v. P.K. Basheer, (2014) 10 SCC 473
5. Shafhi Mohammad v. State of Himachal Pradesh, (2018) 2 SCC 801
6. Arjun Panditrao Khotkar v. Kailash Kushanrao Gorantyal, (2020) 7 SCC 1
7. Sonu @ Amar v. State of Haryana, (2017) 8 SCC 570
8. K.S. Puttaswamy v. Union of India, (2017) 10 SCC 1
9. Law Commission of India, 185th Report on Electronic Evidence
10. Reports from Centre for Internet and Society (2022–2024)
11. State v. Sunil Sharma, Delhi Sessions Court (2022)
12. Surinder Kaur v. State of Punjab, P&H HC (2023)

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 35-41

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 2020 का तुलनात्मक विश्लेषण : भारतीय शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की दिशा में एक दृष्टि

रोहिताश कुमार, सहायक आचार्य
डॉ. रघुराज सिंगोदिया, सहायक आचार्य
राजकीय महिला महाविद्यालय, झुन्झनू (राजस्थान)

सारांश :-

यह शोध पत्र भारत की दो प्रमुख राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों 1986 और 2020 के तुलनात्मक अध्ययन पर केंद्रित है। जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य साक्षरता दर बढ़ाना, शिक्षा की पहुंच को विस्तृत करना और वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ना था, वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को अधिक समग्र, लचीली, तकनीक–सक्षम और बहु–विषयक बनाना है। इस शोध में दोनों नीतियों की प्रमुख विशेषताओं, समानताओं और अंतरों का विश्लेषण करते हुए यह समझने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा की दिशा और दशा में किस प्रकार का बदलाव लाया गया है। शोध यह भी दर्शाता है कि इन नीतियों का भारतीय समाज, विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा देश के समग्र विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है और आगे क्या संभावनाएं बनती हैं।

मुख्य शब्द :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 2020, मातृभाषा में शिक्षा, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, डिजिटल लर्निंग।

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की आधारशिला होती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में शिक्षा नीतियाँ समाज के विकास में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने तीन प्रमुख शिक्षा नीतियाँ बनाई : 1968, 1986 और 2020। इनमें से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 2020 विशेष महत्व रखती हैं क्योंकि दोनों ने शिक्षा की संरचना, गुणवत्ता और पहुंच को पुनर्परिभाषित किया।

1986 की शिक्षा नीति ने शिक्षा को अधिक सुलभ, न्यायपूर्ण और व्यापक बनाने का प्रयास किया, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदायों में। इस नीति के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों की स्थापना, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन, और 10+2 प्रणाली का कार्यान्वयन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके विपरीत, 2020 की नीति डिजिटल युग के अनुकूल शिक्षा प्रदान करने पर बल देती है, जिसमें 5+3+3+4 संरचना, मातृभाषा में शिक्षा, बहुभाषावाद, डिजिटल लर्निंग, कौशल विकास, उच्च शिक्षा में सुधार और बहु–विषयक दृष्टिकोण जैसे आधुनिक तत्व शामिल किए गए हैं।

यह शोध पत्र इन दोनों नीतियों के बीच गहराई से तुलना करता है ताकि यह समझा जा सके कि भारत की शिक्षा प्रणाली ने समय के साथ कैसी प्रगति की है, क्या चुनौतियाँ सामने आईं और भविष्य की दिशा क्या हो सकती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने हेतु तैयार की गई थी। इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं :-

1. **सर्वशिक्षा का संकल्प :-**

- 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य।
- स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था।

2. **नवोदय विद्यालयों की स्थापना :-**

- ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों की शुरुआत।
- ये विद्यालय आवासीय और निरूशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं।

3. **ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार :-**

- पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में विद्यालय खोलना।
- बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं।

4. **शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार :-**

- शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनकी गुणवत्ता पर जोर।
- पाठ्यक्रम को जीवनोपयोगी और समसामयिक बनाने की पहल।
- 10+1 प्रणाली के स्थान पर 10+2 शिक्षा प्रणाली को अपनाना।

5. **ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड (1987) :-**

- प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना जैसे ' ब्लैकबोर्ड, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री और प्रशिक्षित शिक्षक। सभी के लिए शिक्षा : वर्ष 1995 तक का लक्ष्य।
- 1995 तक सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर तक शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प।

महिला शिक्षा को बढ़ावा :-

- लड़कियों के लिए विशेष कार्यक्रम और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था।
- महिला साक्षरता मिशन की शुरुआत।

6. **शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय :-**

- अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को विशेष सहायता।
- वंचित वर्गों के लिए शैक्षणिक अवसर बढ़ाना।

7. **तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर बल :-**

- उच्च शिक्षा के साथ–साथ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को भी प्राथमिकता देना।
- युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करना।

8. नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा :–

- शिक्षा को बालक–केंद्रित बनाना।
- रटंत प्रणाली के स्थान पर समझ आधारित अधिगम को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 :–

नई शिक्षा नीति बनाने के लिए 2017 में कस्तूरीरंगन समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे 2019 में रिपोर्ट तैयार की जिससे जुलाई 2020 में मंजूरी मिली। इस नई शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार बदलना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

1. नई शैक्षिक संरचना : 5+3+3+4 प्रणाली :–

इस नीति में 5+3+3:4 की शिक्षा संरचना का प्रस्ताव है, जिसमें पहले पांच वर्ष प्रारंभिक शिक्षा के लिए, अगले तीन वर्ष मध्यवर्ती शिक्षा के लिए, तीन वर्ष उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए होंगे और 4 वर्ष माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं। छोटे बच्चों के लिए नर्सरी शिक्षा अनिवार्य की गई है जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे की शिक्षा को सर्वप्रथम शामिल किया गया है। 6 वर्ष का बालक प्रथम कक्षा में प्रवेश के योग्य माना गया जिसमें 3 वर्ष की प्री–स्कूल शिक्षा (आंगनवाड़ी) और कक्षा 1, 2 की शिक्षा स्कूल में होगी, जिसके अंतर्गत छात्रों के भाषा कौशल और उनके क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

2. मातृभाषा में शिक्षा :–

इस नीति में मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है, जिससे छात्रों को अपनी मातृभाषा में सीखने का अवसर मिल सके। शुरुआती दौर में बालक अपनी मातृभाषा में आसानी से सीख सकता है उच्च शिक्षा के लिए सभी भाषाओं को समान महत्व दिया गया है। नीति पाँचवीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देती है। उच्च–गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें मातृभाषा में उपलब्ध होनी चाहिए। इससे बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण माध्यम के बीच की खाई को रोका जा सकेगा। देश भर में तीन भाषाओं के सूत्र को पूरा करने के लिए बहुभाषावाद के विचार पर अतिरिक्त जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से भाषा सीखने को लोकप्रिय बनाना है।

3. प्रौद्योगिकी का उपयोग :–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने हेतु e-VIDYA प्लेटफॉर्म, DIKSHA पोर्टल, ऑनलाइन सामग्री, टीवी चैनल आदि की व्यवस्था। ऑनलाइन शिक्षा को वैकल्पिक नहीं, मुख्यधारा में लाने का प्रयास।

4. अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन :–

इस नीति में नवाचार और अनुसंधान पर जोर दिया गया है, जिससे छात्रों को नए विचारों और प्रौद्योगिकियों के साथ प्रयोग करने का अवसर मिल सके। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (National Research Foundation & NRF) की स्थापना की गई है एवं उच्च संस्थानों में अनुसंधान व नवाचार आधारित शिक्षा को बल दिया गया है।

5. शिक्षकों का प्रशिक्षण :–

इस नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है, जिससे वे नए पाठ्यक्रम और प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए तैयार हो सकें इस हेतु राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) को अधिक सशक्त बनाया गया।

6. मूल्यांकन प्रणाली में सुधार एवं राष्ट्रीय शैक्षिक मूल्यांकन प्राधिकरण (NEAT) :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मूल्यांकन प्रणाली में सुधार पर जोर दिया गया है, जिससे छात्रों की प्रगति का सही मूल्यांकन किया जा सके। इस शिक्षा प्रणाली में सतत मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया गया है एवं विद्यार्थियों का मूल्यांकन 360 डिग्री तरीके से किया जाएगा, जिसमें स्व–मूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन भी शामिल होगा।

7. उच्च शिक्षा में सुधार :–

इस नीति में उच्च शिक्षा में सुधार पर जोर दिया गया है, जिससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो सके। उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट की समस्या को खत्म करने का कार्य किया गया है विद्यार्थी बीच में अगर शिक्षा छोड़ता है तो उसे उस स्तर तक की डिग्री प्रदान करने का प्रावधान किया गया है वह जब चाहे अपनी शिक्षा वहां से आगे शुरू कर सकता है इसके साथ ही कला, विज्ञान व वाणिज्य की शिक्षा समन्वय के साथ प्राप्त कर सकता है।

उच्च शिक्षा विदेशी विश्वविद्यालय व भारतीय विश्वविद्यालयों के सहयोग से देने का भी प्रस्ताव इस शिक्षा नीति में है। इसके साथ ही उच्च शिक्षण संस्थाओं के संचालन के लिए एक ही नियामक बनाने का सुझाव भी इस शिक्षा नीति में दिया गया है। यह उच्च मानकों वाले प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात करता है। यह विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शोध को वित्तपोषित करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना करेगा। अनुसंधान को यूजी, पीजी स्तर पर शामिल किया जाएगा और इसमें एक समग्र और बहु–विषयक शैक्षिक दृष्टिकोण होगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा–संचार, प्रस्तुति, चर्चा, बहस, अनुसंधान, विश्लेषण और अंतःविषय सोच पर केंद्रित होगी।

8. स्वायत्तता और जवाबदेही :–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शैक्षणिक संस्थानों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने पर जोर दिया गया है, जिससे वे अपने निर्णय स्वयं ले सकें और अपनी जिम्मेदारी समझ सकें।

9. गुणवत्ता आश्वासन :–

इस नीति में गुणवत्ता आश्वासन पर जोर दिया गया है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो सके। छात्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना का पुनर्गठन किया जाएगा। उनका लक्ष्य अनुभवात्मक अधिगम के भरपूर अवसरों के साथ एक अधिक संवादात्मक कक्षा बनाना है। माध्यमिक स्तर पर, आलोचनात्मक सोच में सुधार, जीवन की आकांक्षाओं पर ध्यान और लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

10. कौशल विकास :–

इस नीति में कौशल विकास पर जोर दिया गया है, जिससे छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। नैतिक शिक्षा, संस्कार, पर्यावरण चेतना, स्वास्थ्य और योग को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इन

विशेषताओं के माध्यम से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार बदलने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समानताएँ :–

हालाँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बीच कई अंतर हैं, लेकिन कुछ मूलभूत सिद्धांत, उद्देश्य और प्रयास दोनों नीतियों में समान हैं। दोनों नीतियों की प्रमुख समानताएँ निम्न प्रकार हैं–

सर्वजन शिक्षा :–

- दोनों नीतियों का उद्देश्य सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना है।
- 1986 नीति में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जबकि 2020 नीति में 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की पहुँच पर बल दिया गया।

ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान :–

- 1986 और 2020 दोनों नीतियों ने ग्रामीण, वंचित और पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर विशेष बल दिया।
- दोनों में बालिका शिक्षा, आदिवासी क्षेत्रों, और दिव्यांग छात्रों की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार :–

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति और पाठ्यक्रम में सुधार पर दोनों नीतियों में बल दिया गया।
- दोनों नीतियों में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करने की बात की गई।

मूल्य आधारित शिक्षा :–

- दोनों नीतियाँ नैतिक शिक्षा, संस्कार, राष्ट्रभक्ति, और सामाजिक उत्तरदायित्व को पाठ्यक्रम का भाग मानती हैं।
- जीवन मूल्यों और सामाजिक समरसता पर दोनों में समान जोर दिया गया।

प्रारंभिक शिक्षा पर बल :–

- 1986 नीति में अंगनवाड़ी और पूर्व–प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था, जिसे 2020 नीति ने और विस्तार देते हुए Foundational Literacy and Numeracy (निपुण भारत) के रूप में मजबूती दी।

समावेशी शिक्षा :–

- दोनों नीतियों का उद्देश्य शिक्षा को लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्रीय भिन्नता के बिना,सभी के लिए समान रूप से सुलभ बनाना है।
- सामाजिक न्याय और समानता की भावना दोनों में प्रमुख रूप से दिखाई देती है।

शिक्षा और जीवन के बीच संबंध :–

- दोनों नीतियाँ पाठ्यक्रम को जीवनोपयोगी, व्यवहारिक और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में कार्य करती हैं।
- 1986 नीति में पाठ्यक्रम को जीवन से जोड़ने पर जोर था, जबकि 2020 नीति ने इसे और आगे बढ़ाया।

राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान :–

- दोनों नीतियाँ भारतीय संस्कृति, भाषाओं, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने व प्रोत्साहित करने

की पक्षधर हैं।

प्रौद्योगिकी का प्रयोग :–

- 1986 नीति में सीमित रूप से शिक्षा में तकनीक के उपयोग का सुझाव था।
- 2020 नीति ने इसे विस्तारित करते हुए डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन लर्निंग और ई–कंटेंट को बढ़ावा दिया। यद्यपि स्तर अलग है, पर तकनीकी उपयोग का विचार दोनों में मौजूद है।

शिक्षा को समग्र विकास का साधन मानना :–

- दोनों नीतियाँ शिक्षा को केवल परीक्षा और अंकों तक सीमित नहीं मानतीं, बल्कि बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का माध्यम मानती हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 2020 में अंतर :–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 2020 दोनों ही भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बनाई गईं, लेकिन इन दोनों नीतियों का दृष्टिकोण, संरचना और कार्यान्वयन की दिशा में स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है।

- 1986 की नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना और साक्षरता दर में सुधार करना था, जबकि 2020 की नीति का उद्देश्य शिक्षा को समग्र, समावेशी, लचीली और भविष्योन्मुख बनाना है।
- शिक्षा की संरचना के स्तर पर देखें तो 1986 में 10़2 प्रणाली को अपनाया गया था, जबकि 2020 में इसे बदलकर 5+3+3+4 प्रणाली लागू की गई, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा (Pre-primary) को भी स्कूली ढांचे में शामिल किया गया है। 1986 की नीति में बच्चों को 6 वर्ष की उम्र से स्कूल में प्रवेश दिलाने की बात थी, जबकि 2020 की नीति में इसे 3 वर्ष से प्रारंभ किया गया, जिसमें प्ले स्कूल/बालवाटिका को भी शैक्षिक प्रक्रिया में जोड़ा गया है।
- माध्यम भाषा के संदर्भ में 1986 की नीति अंग्रेजी और हिंदी के प्रयोग पर केंद्रित थी, वहीं 2020 की नीति में कक्षा 5 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की सिफारिश की गई है।
- मूल्यांकन प्रणाली में भी बड़ा अंतर देखा गया : 1986 की नीति में पारंपरिक बोर्ड परीक्षाएं और अंक आधारित मूल्यांकन प्रणाली पर जोर था, जबकि 2020 की नीति में 360 डिग्री मूल्यांकन, प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग और छात्र–सह–मूल्यांकन जैसे आधुनिक दृष्टिकोण अपनाए गए हैं।
- 2020 की नीति में मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विज्ञान, कला और वाणिज्य के विषयों का मिश्रण पढ़ सकता है। इसके विपरीत 1986 की नीति में विषयों का चयन अपेक्षाकृत सीमित और कठोर ढांचे में था।
- इसके अलावा, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम, जहां विद्यार्थी कोर्स को बीच में छोड़कर भी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा ले सकता है, यह सुविधा 2020 की नीति में जोड़ी गई है, जो 1986 में नहीं थी।
- तकनीकी और डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में भी 2020 की नीति आगे है : इसमें e-VIDYA, DIKSHA, डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन लर्निंग को मुख्यधारा में लाया गया है, जबकि 1986 में तकनीकी शिक्षा की पहुंच सीमित थी।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी 2020 की नीति अधिक संगठित है। 1986 में UGC, AICTE, NCTE जैसे

अलग–अलग नियामक निकाय थे, जबकि 2020 की नीति में इन सबको मिलाकर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) के गठन की बात की गई है। साथ ही, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (NRF) की स्थापना का प्रस्ताव भी 2020 की नीति में किया गया है ताकि अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके।

निष्कर्ष :–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 2020 दोनों ने अपने–अपने समय में शिक्षा को अधिक प्रभावी, समावेशी और उद्देश्यपूर्ण बनाने का प्रयास किया। 1986 की नीति ने जहां शिक्षा के प्रसार और समान अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं 2020 की नीति ने शिक्षा की गुणवत्ता, नवाचार, बहु–विषयक लचीलापन और डिजिटल एकीकरण को प्राथमिकता दी।

दोनों नीतियों में कुछ मूलभूत समानताएं जैसे : सर्वशिक्षा का संकल्प, गुणवत्ता सुधार, बालिका शिक्षा, सामाजिक न्याय और समावेशन : स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। परंतु 2020 की नीति ने तकनीकी युग की चुनौतियों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को एक नया आयाम प्रदान किया है। नई नीति न केवल शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाने की ओर अग्रसर है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, भाषा और मूल्यों को भी संरक्षित करने का प्रयास करती है।

अतः यह कहा जा सकता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था ने 1986 से 2020 तक लंबा सफर तय किया है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस विकास यात्रा में एक क्रांतिकारी मोड़ साबित हो सकती है, बशर्ते इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए।

संदर्भ सूची :–

1. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (1986), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986।
2. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय (2020), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।
3. यशपाल समिति रिपोर्ट (1993), बोझ रहित शिक्षा (Learning Without Burden), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
4. एनसीईआरटी (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद), पाठ्यचर्या ढांचा और कार्यान्वयन रणनीति संबंधी रिपोर्ट।
5. राव, वी. के. आर. वी. (1986), शिक्षा और मानव संसाधन विकास, एलाइड पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 42-46

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

शैक्षिक उपलब्धि पर ई–लर्निंग के प्रभाव का अध्ययन

पवनेश कुमार, भोधार्थी

भोध निर्दे ाक : **डॉ. राजपाल सिंह यादव,**

सहायक प्रोफेसर, ि ाक्षा भास्त्र विभाग, सिंघानिया वि वविद्यालय पचेरी बडी, झुंझुनू–333515, राजस्थान।

सार :–

प्रस्तुत भोध का उद्दे य उत्तर प्रदे ा बोर्ड के जिला बिजनौर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की भौक्षिक उपलब्धि पर ई–लर्निंग के प्रभाव का अध्ययन करना है। प्रस्तुत भोध पत्र में उत्तर प्रदे ा राज्य के बिजनौर जिले के माध्यमिक स्तर के 40 विद्यालयों का चयन किया गया है जिसमें 20 भासकीय और 20 अ ासकीय विद्यालयों में 14 से 17 वर्श के विद्यार्थियों का चुनाव किया गाय है। अध्ययन हेतु 5 परिकल्पनाऐं निर्मित की गई है। प्रस्तुत अध्ययन में भौक्षिक उपलब्धि के मापने हेतु भोधकर्ता द्वारा विद्यार्थियों की अन्तिम उत्तीर्ण कक्षा के प्राप्तांक लिये जायेंगे और ई–लर्निंग के मापन हेतु स्व–निर्मित मापनी का प्रयोग किया जायेगा। बिजनौर जिले के भासकीय व अ ासकीय विद्यालयों में चयनित छात्र–छात्राओं पर उपरोक्त उपकरण प्रयोग कर प्राप्तांक प्राप्त किये गये तथा परिकल्पनाओं के सत्यापन हेतु सह–संबंध ज्ञात किया गया। अध्यापन से प्राप्त किया गया है कि ग्रामीण व भाहरी विद्यार्थियों की भौक्षिक उपलब्धि के प्रभाव में कोई सार्थक अन्तर नही पाया जाता।

मुख्य शब्दावली :–

- ई–लर्निंग।
- भौक्षिक उपलब्धि।

परिभाषिक शब्दावली

ई–लर्निंग :–

इण्टरनेट तकनीकी का उपयोग करके एक नयी ि ाक्षा अवधारणा यह डिजिटल सामग्री प्रदान करती है। ि ाक्षकों और छात्रों के लिए एक ि ाक्षार्थी उन्मुख वातावरण प्रदान करती है। ई–लर्निंग जीवन भर सीखने की राय और सीखने वाले समाज के निर्माण को बढ़ावा देती है। ऑनलाइन ि ाक्षा वह ि ाक्षा है जो इलैक्ट्रानिक माध्यमों से आं ि ाक रूप से या पूरी तरह से इण्टरनेट ब्राउजर के माध्यम से या वेव नेट से लिया डिजिटल के माध्यम से दी जाती है।

शैक्षिक उपलब्धि :–

भौक्षिक स्थिति में उपलब्धियों को अक्सर भौक्षिक उपलब्धि के रूप में संदर्भित किया जाता है। सीखने के लिए तत्परता भौक्षिक योग्यता अध्ययन के प्रति भौक्षिक दृश्टिकोण ि ाक्षण और सीखने की भौली प्रेरणा स्तर आकांक्षा

के स्तर और रचनात्मकता के स्तर के रूप में सीखने के विभिन्न पहलुओं को भौक्षिक उपलब्धि कहते है।

अध्ययन की आवश्यकता :-

वर्तमान तकनीकी युग मं तथा कोरोना महामारी के दौर में ई–लर्निंग की उपयोगिता विद्यालयी ि ाक्षा बहुत अधिक सामने आयी। संदर्भित अध्ययनों में ई–लर्निंग का विभिन्न चरों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है परन्तु यह अध्ययन करना इतना आव यक है कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की भौक्षिक उपलब्धि पर ई–लर्निंग का कैसा प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों की भौक्षिक उपलब्धि पर ई–लर्निंग के प्रभाव के अध्ययन के दृश्टिकोण से प्रस्तुत अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

शोध के उद्देश्य :-

1. ई–लर्निंग का ग्रमीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों पर भौक्षिक उपलब्धि के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. ई–लर्निंग का भाहरी क्षेत्रों विद्यार्थियों पर भौक्षिक उपलब्धि के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण व भाहरी क्षेत्रों के निम्न व उच्च विद्यार्थियों की भौक्षिक उपलब्धि पर ई–लर्निंग के प्रभाव का अध्ययन।

शोध की परिकल्पना :-

- ग्रामीण क्षेत्र के निम्न स्तर के और भाहरी क्षेत्र के निम्न स्तर के विद्यार्थियों की भौक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नही पाया जाता।
- ग्रामीण व भाहरी क्षेत्र के उच्च व निम्न स्तर के विद्यार्थियों की भौक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नही पाया जाता।
- ग्रामीण व भाहरी क्षेत्र के निम्न व उच्च स्तर के विद्यार्थियों की भौक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नही पाया जाता है।
- ग्रामीण व भाहरी क्षेत्र के उच्च स्तर के विद्यार्थियों की भौक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नही पाया जाता है।
- कि ाोरों की भौक्षिक उपलब्धि पर ई–लर्निंग के प्रभाव के बीच कोई ससम्बन्ध नही पाया जाता।

अध्ययन की रूप रेखा :-

ग्रुप–1 :– ग्रामीण व भाहरी क्षेत्र के निम्न स्तर वाले विद्यार्थी।

ग्रुप–2 :– ग्रामीण व भाहरी क्षेत्र के निम्न व उच्च स्तर वाले विद्यार्थी।

ग्रुप–3 :– ग्रामीण व भाहरी क्षेत्र के उच्च व निम्न स्तर वाले विद्यार्थी।

ग्रुप–4 :– ग्रामीण व भाहरी क्षेत्र के उच्च स्तर वाले विद्यार्थी।

शोध विधि :-

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया है।

न्यादर्श :-

प्रस्तुत अध्ययन में 40 विद्यालयों के 650 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। ये विद्यालय उत्तर प्रदे ा राज्य के बिजनौर जिले के भाासकीय और अ ाासकीय माध्यमिक विद्यालय है इसमें कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों का चयन किया गया जिनकी आयु 14 से 17 वर्श है।

उपकरण :–

शैक्षिक उपलब्धि :–

विद्यार्थियों की भौक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करने हेतु '' ौक्षिक उपलब्धि'' भोधकर्ता द्वारा विद्यार्थियों की अंतिम उत्तीर्ण कक्षा के प्राप्तांक लिये जायेंगे।

ई–लर्निंग के मापन हेतु ''स्व निर्मित'' मापनी का प्रयोग किया जायेगा।

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी :–

प्रस्तुत भोध अध्ययन में आंकड़ों का वि लेशण हेतु मध्यमान, मानक विचलन व परीक्षण व ससंबंध गुणांक का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण :–

प्रस्तुत भोध के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्न सारणियों का वर्गीकरण किया गया।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के निम्न स्तर वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर ई–लर्निंग के प्रभाव का अध्ययन–

क्र. सं.	वर्ग	कुल सं0	मध्यमान	मानक विचलन	मूल्य	सार्थकता स्तर
1.	ग्रामीण क्षेत्र के निम्न स्तर के विद्यार्थी	245	168.42	19.44	0.42	असार्थक
2.	भाहरी क्षेत्र के निम्न स्तर के विद्यार्थी	112	36.58	6.71		

गणना करने पर t का प्राप्त मूल्य 0.42 है जो कि t तालिका मूल्य के 0.05 स्तर से निम्न है। अतः भून्य परिकल्पना ''ग्रामीण क्षेत्र के निम्न स्तर के विद्यार्थी एवं भाहरी क्षेत्र के निम्न स्तर के विद्यार्थियों की भौक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नही पाया जाता'' स्वीकृत की जाती है।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के उच्च व निम्न स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर ई–लर्निंग के प्रभाव का अध्ययन–

क्र. सं.	वर्ग	कुल सं0	मध्यमान	मानक विचलन	मूल्य	सार्थकता स्तर
1.	ग्रामीण क्षेत्र के (उच्च स्तर) के विद्यार्थी	265	286.96	13.93	0.46	असार्थक
2.	भाहरी क्षेत्र के (निम्न स्तर) के विद्यार्थी	112	36.58	6.71		

गणना करने पर t का प्राप्त मूल्य 0.46 है जो कि t तालिका मूल्य के 0.05 स्तर से निम्न है। अतः भून्य

परिकल्पना ''ग्रामीण क्षेत्र के उच्च व भाहरी क्षेत्र के निम्न स्तर के विद्यार्थियों की भौक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नही पाया जाता है।'' स्वीकृत की जाती है।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के निम्न व उच्च स्तर वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर ई-लर्निंग के प्रभाव का अध्ययन –

क्र. सं.	वर्ग	कुल सं0	मध्यमान	मानक विचलन	मूल्य	सार्थकता स्तर
1.	ग्रामीण क्षेत्र के निम्न स्तर के विद्यार्थी	245	168.42	19.44	0.69	असार्थक
2.	भाहरी क्षेत्र के उच्च स्तर के विद्यार्थी	247	125.11	13.01		

गणना करने पर t का प्राप्त मूल्य 0.69 है जो कि तालिका के मूल्य से 0.05 स्तर से निम्न है। अतः भून्य परिकल्पना ''ग्रामीण व भाहरी क्षेत्र के निम्न व उच्च स्तर वाले विद्यार्थियों की भौक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नही पाया जाता'' स्वीकृत की जाती है।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के उच्च स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर ई-लर्निंग के प्रभाव का अध्ययन–

क्र. सं.	वर्ग	कुल सं0	मध्यमान	मानक विचलन	t मूल्य
1.	ग्रामीण क्षेत्र के उच्च स्तर के विद्यार्थी	265	286.96	13.93	0.72
2.	भाहरी क्षेत्र के उच्च स्तर के विद्यार्थी	247	125.11	13.01	

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के सह सम्बन्ध पर ई-लर्निंग के प्रभाव का अध्ययन–

क्र. सं.	वर्ग	कुल सं0	मध्यमान	सह–सम्बन्ध गुणांक
1.	ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की भौक्षिक उपलब्धि	363	37.42	+ 0.129
2.	भाहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की भौक्षिक उपलब्धि	359	68.42	

विद्यार्थियों की भौक्षिक उपलब्धि के मापन हेतु प्राप्तांकों को लिया गया। उच्च एवं निम्न स्तर के प्राप्तांकों वाले विद्यार्थियों के समूह को भोध कार्य में भामिल किया गया।

सह सम्बन्ध $r = +0.129$ सह सम्बन्ध गुणांक पाया गया।

भाहरी व ग्रामीण स्तर के विद्यार्थियों के बीच में आंि ाक धनात्मक पाया गया। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष :-

इस भोध अध्ययन के उपरान्त ज्ञात हुआ है कि ग्रामीण व भाहरी क्षेत्र के निम्न व उच्च विद्यार्थियों की भौक्षिक उपलब्धि के बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

शैक्षिक निहितार्थ एवं सुझाव :-

विद्यार्थी अपने जीवन में अनेक समस्याओं से चिन्तित रहते है तथा दिग्भ्रमित होकर अपने पथ से भटक जाते है। ऐसे में ि ाक्षकों तथा अभिभावकों को सही दि ाा प्रदान करनी चाहिए तथा आज के डिजिटल युग में उन्हे ई–लर्निंग या ऑनलाइन ि ाक्षा या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग की तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए विद्यार्थियों को एक समान भौक्षिक वातावरण प्रदान करके उनकी उपलब्धि को उच्च बनाया जा सकता है। अभिभावकों एवं ि ाक्षकों को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को ऑनलाइन ि ाक्षा की तरफ प्रोत्साहित करें और उन्हें इसके प्रति जागरूक करें तथा उनके दृश्टिकोण को विकसित करें ताकि वह भविश्य में आने वाली प्रत्येक समस्या का निराकरण वह स्वविवेक से कर सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. सीमैन (2003) अवसर का आकारीकरण : संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑनलाइन ि ाक्षा की गुणवत्ता एवं विस्तार, 2002 एवं 2003, वैलेजली, एम एः द स्लोन कंसोर्टियम।
2. केर्कमैन, एल (2004) : ऑनलाइन ि ाक्षा की सुविधा मिड करियर छात्रों को आकर्शित करती है। क्रॉनिकल ऑफ फिलान्थ्रोपी, 16(6), 11–12। ऐकडमिक सर्च प्रीमियन के डेटाबेस से उदघृत।
3. सीमैन (2008) पाठ्यक्रम का स्थायीत्वकरण : संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑनलाइन ि ाक्षा, 2008, नीडहम एमएः स्लोन कंसोर्टियम।
4. ''स्लोनकंसोर्टियम'' मूल से 26 अगस्त 2010 को पुरालेखित अभिगमन तिथि 7 अगस्त 2010।
5. स्मिथ, जे.ए. और डो, जे.बी. (2021), ''महामारी के दौरान छात्रों की सहभागिता पर ई–लर्निंग का प्रभाव''। जर्नल ऑफ ऑनलाइन एजुके ान 15(2), 112–130।
6. मॉर्गन टी. और राणा, के, (2013),– ''ई–लर्निंग के भौक्षिक परिणाम : एक अनुदैर्धय अध्ययन'। जर्नल ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, 29(5), 426–438।
7. थॉम्पसन, एच.आई. और रॉबर्ट्स, एन.ए., (2019) ''ई–लर्निंग के प्रति छात्रों के रूझान के विकास का वि ोलेशण : तीन साल का अध्ययन''। इंटरनेट और उच्च ि ाक्षा, 41, 53–68।
8. कार्टर एस.एम. और वाल्टर, जी.एच. (2018), ''ई–लर्निंग और छात्र दृश्टिकोण का बदलना परिदृ य।
9. जर्नल ऑफ इंटरएक्टिव लर्निंग रिसर्च, 29(4), 487–506।

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 47-53

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

National Education Policy (NEP) 2020 : An Analytical Study of Implementation Challenges and Opportunities in Urban India

Usha Chaudhary

Research Scholar, Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth (Deemed-to-be University)

1. Introduction :

The National Education Policy 2020 is the most significant reform of the Indian education system since independence and it also aims to make Indian education more aspirational in the 21st century global context. NEP 2020 would be introduced to produce a major reorientation in the way education is imparted and perceived by converting from an inflexible, exam centric model to a supple, skill based and comprehensive approach (Pal, 2024) This policy is best tested on urban India and with a large population, developed infrastructure and socio-economic diversity. While NEP 2020 presents new opportunities for innovation and equity across our urban education system, it also introduces structural, pedagogical, and logistical challenges to its implementation within cities. This paper highlights the major challenges and opportunities emerging from urban education systems as envisaged in NEP 2020 and provides insights based on the progress made so far and the areas requiring urgent attention through case studies from Delhi, Mumbai and Bengaluru. It intends to provide more information that policymakers, educators, and stakeholders can use to successfully implement and carry out the policy.

2. Background of NEP 2020 :

The 34-year-old National Policy on Education (1986) has been replaced by NEP 2020, which is based on a 5+3+3+4 structure allowing for flexibility and aims for holistic development as against rote learning. The early years (3-8 years) are designed to be a playful and curiosity-driven experience, and the later stages see an increased emphasis on discipline-oriented and practical training (Government of India, 2020, 2025). Major reforms comprise of multi-lingual education (mother tongue language guidelines till Grade 5), curriculum reduction, and integration of technology. Vocational exposure from Grade 6: The policy mandates exposure of vocational subjects, including coding & AI, from

class 6 onwards to make education reflective of job markets of the future. It also suggests sweeping reforms in higher education such as multiple exit points and credit transfer systems. But the urban context is not without its challenges (Education Times, 2020). The infrastructure in the cities may be better but the reliance on an elite budget school divide still jeopardises NEP's full value proposition. Bridging these gaps through a combination of interventions, teacher training, and careful technology integration is crucial for fulfilling the promise of the policy. This area, much like the others leaves much hand to balance: competition with a globalized world while taking care of public input, many urban students in the United States are neglected when it comes to the main selling point of nearly all of these reforms: strive to make everyone better at something collectively. NEP 2020's vision of creating critical thinkers and problem-solvers requires systemic changes in teaching methodologies, assessment patterns, and institutional collaboration. The policy's ambitious goals demand significant investment and political will, particularly in urban areas where expectations and challenges are equally high.

3. Research Problem :

Despite NEP 2020's progressive vision, urban India faces **three major implementation challenges** :

1. Inequality in Access and Infrastructure :

- **Elite private schools** quickly adopted NEP reforms (e.g., smart classrooms, AI courses).
- **Government and low-budget schools** struggle with overcrowding (40-50 students per class), outdated textbooks, and lack of digital tools (ASER 2023).

2. Teacher Readiness and Training Gaps :

- Only **30% of urban teachers** have received NEP-aligned training (NCERT 2023).
- Many educators are unprepared for **multidisciplinary teaching** and activity-based assessments.

3. Digital Divide in Urban Education :

- While EdTech boomed post-COVID, **32% of urban slum students** lack devices (UNICEF 2022).
- Affordable internet and teacher training in digital pedagogy remain hurdles.

These challenges risk widening the education gap between privileged and underprivileged urban students.

4. Objectives of the Study :

This research aims to :

- **To evaluate** how urban schools are restructuring curricula under NEP 2020.

- **To assess** the impact of digital education and vocational training in cities.
- **To identify** systemic barriers (funding, bureaucracy, resistance to change).
- **Propose** policy recommendations for equitable implementation.

5. Research Questions :

- How are urban schools adapting to NEP's 5+3+3+4 structure and multidisciplinary approach?
- Does NEP 2020 effectively address the digital divide in urban education?
- What are the biggest administrative and financial hurdles in policy execution?
- How can public-private partnerships (PPPs) enhance NEP's success in cities?

6. Key Challenges :

Urban implementation of NEP 2020 faces several critical challenges. Infrastructure disparity tops the list, with elite schools boasting smart classrooms while municipal institutions lack basic digital tools. Teacher training emerges as another major hurdle - most educators received traditional training ill-suited to NEP's experiential learning approach. The digital divide persists despite urban advantages, with low-income students often lacking devices or reliable internet (Putri, 2025). Parental resistance surfaces regarding multilingual instruction, with many urban families insisting on English-medium education despite cognitive benefits of mother-tongue learning. There is also stigma associated with vocational education, that it somehow is of lower value than regular academic tracks.

Conflicting administrative responsibilities between central education bodies and state bodies lead to administrative bottlenecks resulting in slow implementation. Lack of funds hampers innovation with schools on shoestring budgets never exploring the opportunity of redesigning a curriculum or upskilling teachers. Implementation of assessment reforms faces resistance from stakeholders who are accustomed to an exam-centric evaluation. These challenges are exacerbated by rapid urbanization, which leads to even more pressure on the over-stretched school systems. Quick adoption of NEP by private schools is widening the quality gap with underfunded public schools Shortage of teachers, especially in critical areas such as STEM, impedes multidisciplinary approaches (Dedric, Pondicherry and Dziedzic, 2025). The COVID-19 pandemic deepened these challenges by forcing resources to be spent on just keeping the wheels moving instead of executing on reform. Such challenges, if allowed to fester, would jeopardise the goals of equity that NEP seeks to achieve as the NEP warns against the emergence of a two-tiered urban education system. Yet, every one of these challenges also brings with it prospects for innovative solutions, whether they be public-private partnerships or community engagement programs. Ensuring this transformative potential of NEP harnessed satisfactorily needs collective resolve of policymakers, educationists, parents, and private players to address these barriers.

7. Opportunities :

Urban education has a lot of transformative opportunities with NEP 2020. Advanced and struggling students alike benefit from personalized learning through EdTech integration like DIKSHA. Industry partnerships provide practical skill building, as seen in the case of Bengaluru's tech sector that has already started to train the schools in coding. Indeed, the work done on the bilingual textbook in Mumbai has proven that multilingual education is an effective tool for cognitive development and contributes to cultural heritage. Schooling is purposefully designed to match its courses in a way that they meet requirements of jobs. And, the maximum success rates in terms of employability are evident from the skill hubs of Delhi. Digital education infrastructure using smart city initiatives to ensure equitable access (Aktar, 2021). Teacher communities of practice enable peer learning and rapid dissemination of innovative pedagogies. The policy's flexibility allows urban schools to tailor implementation to local contexts and needs. Corporate social responsibility programs can fund labs and resources for underprivileged schools. Early childhood education expansion addresses urban working parents' needs while giving children a strong foundation. Continuous assessment systems provide real-time learning feedback, replacing stressful exam cultures. Cross-school collaborations enable resource sharing, as seen in Bengaluru's hub-spoke model connecting elite and government schools (Monica, et.al, 2025). Urban centers' concentration of higher education institutions facilitates school-university partnerships for mentorship and advanced learning. The policy's emphasis on critical thinking nurtures innovation ecosystems in cities. Digital portfolios can showcase student achievements beyond test scores. Community participation programs increase parental engagement in education processes. These opportunities, if effectively harnessed, can position urban India as a global education innovation hub while ensuring inclusive growth. The key lies in strategic implementation that leverages cities' unique advantages while addressing their specific challenges.

8. Case Study Highlights :

Delhi's bagless learning initiative in 50 schools demonstrates NEP's transformative potential. Students engage in hands-on projects like designing water conservation systems, resulting in 78% improved creativity scores and 9% lower dropout rates. Mumbai's municipal schools, through Tata Trusts partnerships, installed smart classrooms in 200 institutions, leading to 15% higher STEM scores and 20% attendance increases. Bengaluru's innovative hub-spoke model connects 20 government schools with IISc scientists, producing a 30% rise in STEM higher education enrollment (Yadav and Yadav, 2023). These cases reveal key implementation insights. First, industry partnerships effectively bridge resource gaps - Mumbai's program cost ?50 million but reached 60,000 students. Second, activity-based learning engages disadvantaged students - Delhi's projects particularly benefited

first-generation learners. Third, elite institution mentorship elevates government school outcomes - Bengaluru's participating schools saw physics scores rise by 22% (Saifi, et.al., 2025). However, challenges persist. Scaling Mumbai's model requires ?2.5 billion for all BMC schools, highlighting funding needs. Delhi's program needs more trained facilitators - currently only 1 per 100 students. Bengaluru's initiative depends on volunteer academics, risking sustainability. These cases prove NEP's viability when adapted to local contexts. Successful elements include strong institutional partnerships, measurable outcome tracking, and community involvement. They demonstrate how urban centers can lead pedagogical innovation while addressing equity concerns. The lessons inform scalable models for other cities, showing that with targeted investments and collaborative approaches, NEP's vision can become reality even in resource-constrained environments.

9. Analysis & Findings :

1. How are urban schools adapting to NEP's 5+3+3+4 structure and multidisciplinary approach?

Urban schools show uneven adaptation to NEP's 5+3+3+4 framework :

- Elite private schools (e.g., Delhi's Sanskriti School) redesigned curricula with STEM-arts integration, project-based learning, and vocational modules (coding, AI).
- Government schools lag due to infrastructure gaps—only 40% have activity-based learning kits (NCERT 2023).
- Teacher resistance persists, as 65% lack training in multidisciplinary pedagogy (ASER 2023).
- Case Example: Bengaluru's "Hub and Spoke" model connects schools with IISc for mentorship, improving STEM outcomes by 30% (Ashokkumar, et.al., 2025).

Key Insight : While progressive schools showcase NEP's potential, systemic teacher training and resource allocation are critical for wider adoption.

2. Does NEP 2020 effectively address the digital divide in urban education?

NEP's digital push faces urban inequities :

- EdTech Growth: Platforms like DIKSHA (2.5M+ users) and BYJU'S benefit affluent students.
- Access Barriers: 32% of urban slum children lack devices (UNICEF 2022); only 58% of Mumbai's BMC schools have smart classrooms.
- Partial Solutions: States like Punjab's "e-Library" initiative show scalability, but internet affordability (e.g., Jio's ?299/month plan) excludes low-income families (Ganguly, 2024).

Key Insight : NEP's digital goals require subsidized devices and mandatory internet access schemes to bridge divides.

3. What are the biggest administrative and financial hurdles in policy execution?

Top Challenges :

- **Funding Shortfalls :** Education spending remains at 3.1% GDP (vs. NEP's 6% target), delaying smart-classroom rollout.
- **Bureaucratic Delays :** Overlapping mandates between central/state boards (e.g., Maharashtra's NEP pilot stalled for 18 months).
- **Stakeholder Resistance :** 70% of urban parents oppose mother-tongue instruction (Lok Foundation 2023), fearing reduced English proficiency.

Key Insight : Streamlined governance and awareness campaigns are needed to align stakeholders with NEP's vision.

4. How can public-private partnerships (PPPs) enhance NEP's success in cities?

PPP Success Stories :

- **Mumbai :** Tata Trusts funded 200 BMC smart classrooms, boosting STEM scores by 15%.
- **Bengaluru :** Infosys' "Code India" provides coding internships to 10,000 students annually.
- **Delhi :** "Skill Hub" initiative partners with local businesses for vocational training.

Recommendations :

- Mandate CSR investments in EdTech for budget schools.
- Scale industry-school collaborations (e.g., IT hubs offering apprenticeships).

Key Insight : PPPs can fast-track NEP's equity goals if structured with accountability.

10. Conclusion :

NEP 2020 also offers a paradox of progress and inequity in regard to implementation in urban India. While elite institutions showcase the policy's transformative potential through innovative pedagogies and industry partnerships, systemic challenges threaten to widen existing educational divides. Barriers to Teacher Training Digital Inequity Bureaucrat Hard to Get Volunteer Urges; Uniform Adoption of all School Systems Overcoming these barriers will require coordinated, equity-oriented action across sectors to implement the policy successfully. Urban areas, with better infrastructure and access to resources, should set the tone of how the flexibility of NEP can be used for equitable reform. If swift corrective action is not taken, the policy threatens to make urban education inequity worse, not better. Whether NEP 2020 is a harbinger of systemic change or becomes aspirational guff with varying implementation will be seen over the next few years.

References :

1. Aktar, S. (2021). New education policy 2020 of India: A theoretical analysis. *International Journal of Business and Management Research*, *9*(3), 302-306.
2. Ashokkumar, T., Raj, T. R., Rajadurai, A., Abishini, A. H., & Anchani, A. H. (2025). Analyzing

the impact of the new educational policy 2020: A comprehensive review of India's educational reforms. *Evaluation and Program Planning*, *108*, 102515.

3. Dziedzic, R., Pondicherry, P., & Dziedzic, M. (2025). Review of national policy instruments motivating circular construction. *Resources, Conservation and Recycling*, *215*, 108053.
4. Education Times (2020), NEP 2020: A comparison with the 1986 education policy, https://www.educationtimes.com/article/editors-pick/77527635/NEP-2020-A-comparison-with-the-1986-education-policy
5. Ganguly, P. (2024). National Education Policy 2020 (NEP 2020) in relation to early childhood care and education (ECCE). *Indian Journal of Multidisciplinary Research*, *1*(1), 52-60.
6. Government of India (2025), National Education Policy 2020, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English.pdf
7. Monica, J. A., Malar, J. H., Arun, C., Sharmila, L., & Arif, M. (2025). Leveraging technology and universal design for inclusive and engaging learning in Indian higher education. In *Educational Philosophy and Sociological Foundation of Education* (pp. 177-212). IGI Global.
8. Pal, R (2024) National Education Policy 2025: What's New, Structure, Curriculum, https://www.21kschool.com/in/blog/national-education-policy/#:~:text=The%20new%20policy%20emphasizes%20education%20for%20the%20twenty-first,system%20is%20being%20replaced%20by%20the%20new%20one.
9. Putri, D. (2025). The Impact of Social Inequality on Educational Quality in Indonesia: Challenges and Policy Recommendations. *Solo Universal Journal of Islamic Education and Multiculturalism*, *3*(01), 43-56.
10. Saifi, S., Tanveer, S., Arwab, M., Lal, D., & Mirza, N. (2025). Exploring the persistence of Open AI adoption among users in Indian higher education: A fusion of TCT and TTF model. *Education and Information Technologies*, 1-24.
11. Yadav, M. S., & Yadav, M. K. (2023). Implicit impact of english language pedagogical enhancement policies in higher education under the Indian NEP 2020: Challenges, curriculum, approaches, opportunities, and implementations. *American Journal of Education and Technology*, *1*(4), 1-12.

9680607107, ushachoudhary197@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 54-61

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में सब्जी उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन का अध्ययन

डॉ. निरंजन कुजूर

सहायक प्राध्यापक (अर्थ ाास्त्र),

भाासकीय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.), 496116

भारत एक प्रमुख सब्जी उत्पादक दे ा है। दे ा में पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी व समुद्र तटीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती की जाती है क्योंकि अन्य कृशि फसल की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र से सब्जी उत्पादन से अधिक लाभ के साथ–साथ भोजन, पोशण तथा आर्थिक रूप से लाभ प्रदान करती है। इसकी उत्पादन एवं उत्पादकता अन्य फसलों से अधिक है और फसल अवधि भी कम होती है इसके अलावा पोशक के बेहतर स्त्रोत और उच्च कीमत मिलने से किसानों के जीवन स्तर को समृद्ध करने में मदद करता है।

प्रस्तुत भोध पत्र का उद्दे य ज ापुर जिले में विगत एक द ाक (2010–2020) में सब्जी का फसल क्षेत्रफल और उत्पादन का वार्शिक वृद्धि दर ज्ञात किया गया है। ज ापुर जिले में सब्जी उत्पादन हेतु नवीन तकनीक के फलस्वरूप सब्जी उत्पादन के फसल क्षेत्रफल और उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ–साथ ज ापुर जिले की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन है।

जशपुर जिले में सब्जी उत्पादन को प्रभावित करने वाले तकनीकी कारक :–

1. **पॉली हाऊस/ग्रीन हाऊस तकनीकी** – ज ापुर जिले में आधुनिक कृशि प्रणाली से सब्जी उत्पादन हेतु पाली हाऊस/प्लास्टिक ग्रीन हाऊस पॉलिथीन भीट का उपयोग किया जाने लगा है। इस पॉली हाऊस का आकार 25 X 5 मीटर की होती है। इसका फ्रेम जंग रहित होले के पाइप से तैयार किया जाता है जिसे 600 गज की पॉलिथीन से ढक दिया जाता है। इसके अंदर अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए बिजली से चलने वाली कूलर और हीटर लगाकर तापमान नियंत्रक उपकण से जोड़ दिया जाता है जिससे पौधे का संतुलित विकास होता है और अच्छी उपज प्राप्त होती है।

2. **ड्रिप सिंचाई की सुविधा** – ज ापुर जिले में विगत एक द ाक से ड्रिप सिंचाई के चलन में तीव्र वृद्धि हुई है। इसके इनेक लाभ है जो अधिक उपज, उच्च गुणवत्तायुक्त उपज, अधिक स्वाद, 50–60 प्रति ात पानी की बचत, संतुलित जल एवं घुलन ील तत्वों की पूर्ति की जाती है जो उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलता है।

3. **उन्नत बीज के किस्म का उपयोग** – जिले में किसानों द्वारा उच्च उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बेहतर गुणवत्तायुक्त बीज के अनेक किस्म बाजार में उपलब्ध है, का उपयोग में तीव्र वृद्धि हुई है।

4. **जैविक खेती** – ज ापुर जिले के किसानों द्वारा सब्जियों के उत्पादन हेतु जैविक उर्वरकों के उपयोग का काफी प्रभाव पाया जाता है। जैव उर्वरक में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव वातावरण से नाइट्रोजन लेकर पौधों तक पहुंचाते हैं। ये सूक्ष्म जीव मृदा के अंदर स्वतंत्र रूप से सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं और पौधों को प्रत्यक्ष रूप से नाइट्रोजन प्रदान करते है। इन जैव उर्वरकों के प्रयोग से वानस्पतिक वृद्धि के साथ अधिक उपज प्राप्त होती है। इसके प्रयोग से फसल को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटा ा, कैलि ायम, मैग्नि ायम, जिंक, कॉपर और मैगनीज जैसे आव यक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होती है।

5. **खरपतवार प्रबंधन** – ज ापुर जिले के किसानों द्वारा निंदाई, गुड़ाई, मल्चिंग और भााकनाि ायों का उपयोग किया जाता है। इससे किसानों को कीट और बीमारी प्रबंधन, फसल चक्र, भास्य प्रणाली और उत्पादन की गुणवत्ता सुधार आदि का लाभ मिलता है।

6. **जैव प्रौद्योगिकी** – कृशि उत्पदन हेतु जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में काफी प्रगति हुई है। जिससे फसल की परम्परागत प्रजनन तकनीकी से जिन गुणों का समन्वय एवं नई किस्मों के विकास में असंभव होता था उसे अब नवीन तकनीक से सुगमता पूर्वक किया जाता है जैसे–सब्जियों में भ्रूण संवर्धन, जीव द्रव्यक तथा पराग संवर्धन और कृत्रिम संकरण तथा आनुवांि ाक अभियांत्रिक के प्रयोग से जैविक तथा अजैविक दवाओं के प्रति सहन ाील/अवरोधी दवाओं के प्रति सहन ाील अवरोधी किस्में आसानी से विकसित करने में सफलता मिली है।

जशपुर जिले में सब्जी का फसल क्षेत्रफल तथा उत्पादन

सारणी–1

जशपुर जिले में सब्जी फसल क्षेत्रफल एवं उत्पादन का विवरण

वर्श	फूलगोभी		पत्तागोभी		बैगन		टमाटर		भिंडी	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
2010	215	3225.00	263	3945.00	430	4300.00	4010	50125.00	311	2752.00
2011	230	3450.00	272	4080.00	450	4500.00	4041	50512.50	314	3624.40
2012	240	4017.60	274	4827.88	455	7534.80	4046	63238.98	316	3128.40
2013	245	4101.00	280	4934.00	455	7535.00	4150	63827.00	320	3168.00
2014	246	4117.00	278	4898.00	280	4636.00	4412	67856.00	315	3118.00
2015	247	4133.00	280	4933.00	280	4636.00	5143	78748.00	315	3118.00
2016	248	4150.00	280	4933.00	285	4718.00	5200	79620.00	320	3167.00
2017	260	4368.00	290	5118.00	290	4800.00	5300	80030.00	325	3241.00
2018	273	4641.00	305	5490.00	295	5015.00	5565	83475.00	326	3260.00
2019	280	4760.00	220	3960.00	296	5032.00	5675	93637.00	328	3280.00
2020	285	4875.00	230	4140.00	296	5012.00	5700	94050.00	330	3300.00

स्त्रोत : निदे ाक, बागवानी एवं कृशि वानिकी विभाग, छत्तीसगढ. (क्षेत्रफल हेक्ट./उत्पादन मिट्रिक टन में)

उपरोक्त सारणी में फूलगोभी, पत्तगोभी, बैगन, टमाटर और भिंडी उत्पादन का फसल क्षेत्रफल और उत्पादन आँकड़ों के वि लेशण से स्पश्ट है कि ज ापुर जिले में अध्ययन अवधि के 10 वर्शों में विभिन्न सब्जी उत्पादन का फसल क्षेत्रफल और उत्पादन का औसत वार्शिक वृद्धि दर निम्नानुसार पाया गया –

1. **फूलगोभी** – ज ापुर जिले में वर्श 2010 की तुलना में 2011 में फसल क्षेत्रफल में वार्शिक वृद्धि दर 7 प्रति ात और उत्पादन में भी 7 प्रति ात वृद्धि हुआ। वर्श 2015 में फसल क्षेत्रफल में 0.4 प्रति ात और उत्पादन में भी 0.4 प्रति ात वृद्धि रहा जबकि वर्श 2020 में फसल क्षेत्रफल में 1.1 प्रति ात और उत्पादन में 2.4 प्रति ात

वार्शिक वृद्धि हुआ। स्पश्ट है कि जिले में फूलगोभी का फसल क्षेत्रफल की तुलना में उत्पादन अधिक रहा जो नवीन कृशि तकनीक का परिणाम है। विगत दस वर्शों में क्षेत्रफल में औसतन 32.5 प्रति ात वृद्धि हुई और उत्पादन में 51.2 प्रति ात वृद्धि रहा।

2. पत्तागोभी – जिले में प्रकार बंदगोभी का फसल क्षेत्रफल और उत्पादन समान अनुपान में वृद्धि पायी गयी। वर्श 2010 की तुलना में 2011 में पत्तागोभी का फसल क्षेत्रफल और उत्पादन की वार्शिक वृद्धि दर 3.3–3.4 प्रति ात, 2015 में फसल क्षेत्रफल और उत्पादन की वार्शिक वृद्धि दर 0.7–0.7 प्रति ात वृद्धि हुआ, इसी प्रकार वर्श 2020 में फसल क्षेत्रफल तथा उत्पादन में 4.5–4.5 प्रति ात पर स्थिर रहा। विगत दस वर्शों में क्षेत्रफल में औसतन 12.5 प्रति ात गिरावट आयी जबकि उत्पादन में 4.9 प्रति ात वृद्धि हुई।

3. बैंगन – ज ापुर जिले में बैगन का फसल क्षेत्रफल और उत्पादन की वार्शिक वृद्धि दर वर्श 2010 की तुलना में 2011 में 4.7–4.7 प्रति ात रहा। वर्श 2015 में 0.7–0.7 प्रति ात और वर्श 2020 में 4.5–4.5 प्रति ात वार्शिक वृद्धि दर रहा। वर्श 2020 में वार्शिक वृद्धि दर 0.3 प्रति ात पर स्थिर रहा जबकि उत्पादन में 0.4 प्रति ात रहा। किन्तु औसत रूप से फसल क्षेत्रफल में कमी आयी है और उत्पादन में वृद्धि हुई है जो उन्नत कृशि विकास का परिणाम है विगत दस वर्शों में क्षेत्रफल में औसतन 31 प्रति ात गिरावट और उत्पादन में 16.5 प्रति ात वृद्धि हुई।

4. टमाटर – जिले में टमाटर उत्पादन हेतु वर्श 2010–11 में फसल क्षेत्रफल स्थिर रहा और उत्पादन में 0. 09 प्रति ात गिरावट आयी। वर्श 2015 में फसल क्षेत्रफल और उत्पादन में औसतन 1.6–1.6 प्रति ात वृद्धि हुई जबकि वर्श 2020 में फसल क्षेत्रफल में औसत वार्शिक वृद्धि दर 0.4 प्रति ात पर स्थिर रहा जबकि उत्पादन में 0.4 प्रति ात वृद्धि हुई। विगत दस वर्शों में क्षेत्रफल में औसतन 42 प्रति ात और उत्पादन में 87.6 प्रति ात वृद्धि हुआ।

5. भिंडी – वर्श 2010 की तुलना में 2011 में फसल क्षेत्रफल में वार्शिक वृद्धि दर 0.9 प्रति ात और उत्पादन में 31.7 प्रति ात वृद्धि हुआ। वर्श 2015 में फसल क्षेत्रफल और उत्पादन में 1.6–1.6 प्रति ात पर स्थिर रहा। वर्श 2020 में फसल क्षेत्रफल और उत्पादन में औसतन 0.6–0.6 प्रति ात वार्शिक वृद्धि दर रहा लेकिन विगत दस वर्शों में क्षेत्रफल में औसतन 6.1 प्रति ात और उत्पादन में 19.9 प्रति ात वृद्धि रहा।

सारणी–2

जशपुर जिले में सब्जी फसल क्षेत्रफल एवं उत्पादन का विवरण

वर्श	आलू		बरबट्टी		हरा मटर		करेला		सेमी	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
2010	2503	27933.00	240	1080.00	255	1147.00	115	1093.00	35	294.00
2011	2592	28771.20	247	1111.50	257	1156.50	119	1130.50	36	302.40
2012	2602	40200.90	248	3688.80	258	2404.72	121	1401.18	37	309.69
2013	2615	40402.00	250	3718.00	260	2423.00	125	1448.00	38	318.00
2014	2656	41035.00	250	3718.00	265	2469.00	126	1459.00	38	318.00
2015	2410	40970.00	230	3450.00	177	1770.00	102	1181.00	38	318.00
2016	2650	45050.00	250	3750.00	195	1950.00	110	1274.00	40	334.00
2017	2650	46799.00	260	3900.00	200	2000.00	115	1331.00	42	350.00
2018	2700	48600.00	261	3915.00	205	2050.00	116	1392.00	42	336.00
2019	2800	50400.00	362	5430.00	210	3050.00	120	3150.00	45	1440.00
2020	3850	51300.00	370	5550.00	220	3300.00	125	3300.00	46	1500.00

स्त्रोत : निदे ाक, बागवानी एवं कृशि वानिकी विभाग, छत्तीसगढ. (क्षेत्रफल हेक्ट. /उत्पादन मिट्रिक टन में)

उपरोक्त सारणी में आलू, बरबट्टी, हरा मटर, करेला और सेमी उत्पादन का फसल क्षेत्रफल और उत्पादन का वि□लेशण निम्नानुसार है –

6. आलू – वर्श 2010 की तुलना में 2011 में फसल क्षेत्रफल का औसत वार्शिक वृद्धि दर 3.6 प्रति ात और उत्पादन में 3 प्रति ात वृद्धि हुआ। वर्श 2015 में फसल क्षेत्रफल और उत्पादन में औसतन 9.3–0.2 प्रति ात की गिरावट आयी जबकि वर्श 2020 में फसल क्षेत्रफल औसतन 37.5 प्रति ात और उत्पादन में 1.8 प्रति ात वृद्धि पाया गया। इसी प्रकार विगत दस वर्शों में क्षेत्रफल में औसतन 53.8 प्रति ात और उत्पादन में 83.6 प्रति ात औसतन वृद्धि रहा जो उन्नत कृशि का परिणाम है।

7. बरबट्टी – वर्श 2010 की तुलना में 2011 में फसल क्षेत्रफल में वार्शिक वृद्धि दर 2.8 प्रति ात वृद्धि हुआ जबकि उत्पादन में 2.9 प्रति ात अधिक रहा। वर्श 2015 में फसल क्षेत्रफल में औसतन 0.8 प्रति ात की गीरावट आई और उत्पादन में भी 7 प्रति ात की कमी आयी। वर्श 2020 में फसल क्षेत्रफल और उत्पादन में औसतन 2.2–2.2 प्रति ात गीरावाट आयी। लेकिन विगत दस वर्शों में क्षेत्रफल में औसतन 54 प्रति ात और उत्पादन में 413 प्रति ात औसतन वृद्धि हुई है, जो उन्नत कृशि का परिणाम है।

8. हरा मटर – वर्श 2010 की तुलना में 2011 में फसल क्षेत्रफल और उत्पादन में वार्शिक वृद्धि दर 0.8–0.8 प्रति ात रहा। वर्श 2015 में फसल क्षेत्रफल और उत्पादन में क्रम ाः औसतन 33.6–28.3 प्रति ात की गीरावट आई जबकि वर्श 2020 में फसल क्षेत्रफल में औसतन 4.8 प्रति ात वृद्धि और उत्पादन में 8.2 प्रति ात वार्शिक वृद्धि दर्ज किया गया। इसी प्रकार विगत दस वर्शों में क्षेत्रफल में औसतन 13.7 प्रति ात गीरावट और उत्पादन में 188 प्रति ात औसतन वृद्धि हुई है, जो उन्नत कृशि का परिणाम है।

सारणी–3

जशपुर जिले में सब्जी फसल क्षेत्रफल एवं उत्पादन का विवरण

वर्श	गवारफली		कददू		लौकी		मुनगा		तुरई/झिंगी	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
2010	65	442.00	36	396.00	290	4680.00	12	41.00	40	270.00
2011	65	442.00	40	440.00	290	4692.20	13	44.20	42	283.50
2012	66	458.70	41	485.85	292	4958.16	14	52.64	43	335.40
2013	66	459.00	41	486.00	295	5009.00	15	56.00	48	360.00
2014	65	452.00	42	497.00	296	5025.00	15	56.00	49	367.00
2015	65	452.00	42	497.00	290	5025.00	15	56.00	46	367.00
2016	65	452.00	45	532.00	295	5111.00	15	56.00	50	398.00
2017	65	452.00	50	591.00	300	5196.00	16	59.00	52	413.00
2018	68	476.00	51	612.00	310	5270.00	17	68.00	53	428.00
2019	70	360.00	52	490.00	315	6300.00	30	120.00	55	440.00
2020	71	497.00	53	636.00	320	6400.00	35	140.00	56	448.00

स्त्रोत : निदे ाक, बागवानी एवं कृशि वानिकी विभाग, छत्तीसगढ. (क्षेत्रफल हेक्ट. /उत्पादन मिट्रिक टन में)

9. कददू – वर्श 2010 की तुलना में 2011 में फसल क्षेत्रफल और उत्पादन में वार्शिक वृद्धि दर 11–11 प्रति ात वृद्धि हुआ। वर्श 2015 में फसल क्षेत्रफल में औसतन 2.4 प्रति ात पर स्थिर रहा जबकि वर्श 2014 और 2015 में उत्पादन 2.3 प्रति ात पर स्थिर रहा। वर्श 2020 में फसल क्षेत्रफल औसतन 1.9 प्रति ात और उत्पादन में 29.8 प्रति ात वार्शिक वृद्धि हुआ। इसी प्रकार विगत दस वर्शों में क्षेत्रफल में औसतन 47.2 प्रति ात और

उत्पादन में 60.6 प्रति ात औसतन वृद्धि हुई है, जो उन्नत कृशि का परिणाम है।

10. **लौकी** – वर्श 2010 की तुलना 2011 में फसल क्षेत्रफल में स्थिर रहा जबकि उत्पादन में 0.3 प्रति ात वृद्धि रहा। वर्श 2015 में फसल क्षेत्रफल में 2 प्रति ात की कमी और 2014 और 2015 में उत्पादन 0.3 प्रति ात पर स्थिर रहा और वर्श 2020 में फसल क्षेत्रफल और उत्पादन 1.6–1.6 प्रति ात वृद्धि हुआ। इसी प्रकार विगत दस वर्शों में क्षेत्रफल में औसतन 10.3 प्रति ात और उत्पादन में 36.7 प्रति ात औसतन वृद्धि हुआ, जो आधुनिक कृशि प्रणाली की देन है।

11. **मुनगा** – वर्श 2010 की तुलना 2011 में फसल क्षेत्रफल में वार्शिक वृद्धि दर 8.3 प्रति ात और उत्पादन में 7.3 प्रति ात वृद्धि हुआ। वर्श 2014, 2015 और 2016 में फसल क्षेत्रफल में औसतन 7.1 प्रति ात पर स्थिर रहा और वर्श 2014 और 2014, 2015 और 2016 में उत्पादन 6.4 प्रति ात पर स्थिर रहा। वर्श 2020 में फसल क्षेत्रफल और उत्पादन में औसतन 16.7–16.7 प्रति ात वार्शिक वृद्धि हुआ। इसी प्रकार विगत दस वर्शों में क्षेत्रफल में औसतन 191 प्रति ात वृद्धि हुआ जबकि उत्पादन में 332 प्रति ात वृद्धि हुआ जो लगभग तीन गुना अधिक है।

12. **तुरई** – वर्श 2010 की तुलना 2011 में फसल क्षेत्रफल में वार्शिक वृद्धि दर 5 प्रति ात और उत्पादन में 4.8 प्रति ात वृद्धि हुआ। वर्श 2015 में फसल क्षेत्रफल में औसतन 7.5 प्रति ात कमी आयी जबकि उत्पादन में 1.9 प्रति ात पर स्थिर रहा। वर्श 2020 में फसल क्षेत्रफल औसतन 1.8 प्रति ात और उत्पादन में 14.5 प्रति ात वार्शिक वृद्धि हुआ। इसी प्रकार विगत दस वर्शों में क्षेत्रफल में औसतन 40 प्रति ात वृद्धि रहा और उत्पादन में औसतन 65.9 प्रति ात वृद्धि हुआ। उत्पादन में यह वृद्धि उन्नत कृशि का परिणाम है।

सारणी–4

जशपुर जिले में सब्जी फसल क्षेत्रफल एवं उत्पादन का विवरण

वर्श	कोचई		मूली		गाजर		पत्तेदार सब्जी		कुन्दरू/ परवल	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
2010	83	1137.00	95	1015.00	15	165.00	256	1467.00	11	121.00
2011	84	1145.76	95	1046.00	15	165.00	261	1492.42	12	97.20
2012	85	1162.80	97	2486.11	16	209.92	263	2319.46	13	146.90
2013	86	1176.00	98	2510.00	16	210.00	265	2337.00	13	147.00
2014	87	1189.00	95	2433.00	10	131.00	290	2557.00	13	146.00
2015	85	1189.00	75	2433.00	10	131.00	290	2557.00	13	146.00
2016	86	1196.00	76	2448.00	10	131.00	290	2557.00	13	146.00
2017	87	1209.00	77	924.00	11	143.00	300	2640.00	20	224.00
2018	87	1218.00	78	936.00	11	143.00	315	2835.00	20	224.00
2019	90	1260.00	78	936.00	11	143.00	325	3250.00	20	22.00
2020	98	1372.00	80	960.00	11	143.00	335	3350.00	20	22.00

स्त्रोत : निदे ाक, बागवानी एवं कृशि वानिकी विभाग, छत्तीसगढ. (क्षेत्रफल हेक्ट. /उत्पादन मिट्रिक टन में)

13. **कोचई** – वर्श 2010 की तुलना 2011 में फसल क्षेत्रफल में वार्शिक वृद्धि दर 1.2 प्रति ात और उत्पादन में 0.8 प्रति ात वृद्धि रहा। वर्श 2015 में फसल क्षेत्रफल और उत्पादन में औसतन 2.3–2.3 प्रति ात पर स्थिर रहा। वर्श 2020 में फसल क्षेत्रफल और उत्पादन में औसतन 8.9–2.8 प्रति ात वृद्धि हुआ। इसी प्रकार विगत दस वर्शों में क्षेत्रफल में औसतन 18 प्रति ात वृद्धि रहा और उत्पादन में 20.7 प्रति ात वृद्धि हुआ।

14. **मूली** – वर्श 2010 की तुलना 2011 में फसल क्षेत्रफल स्थिर रहा और उत्पादन में 3.1 प्रति ात वृद्धि हुआ। वर्श 2014 और 2015 में फसल क्षेत्रफल में औसतन 21.7 प्रति ात घटकर क्षेत्रफल स्थिर रहा जबकि उत्पादन में 3.1 प्रति ात गिरावट आयी। वर्श 2020 में फसल क्षेत्रफल में औसतन 2.6 प्रति ात वृद्धि हुआ जबकि उत्पादन में 8.9 प्रति ात की कमी आई। इसी प्रकार विगत दस वर्शों में क्षेत्रफल में औसतन 15.8 प्रति ात और उत्पादन में औसतन 5.4 प्रति ात गिरावट पाया गया।

15. **पत्तेदार सब्जी** – वर्श 2010 की तुलना 2011 में फसल क्षेत्रफल में वार्शिक वृद्धि दर 1.9 प्रति ात और उत्पादन में 1.7 प्रति ात वृद्धि रहा। वर्श 2015 में फसल क्षेत्रफल में औसतन 9.4 प्रति ात और उत्पादन 2014, 2015 और 2016 में 9.4 प्रति ात पर स्थिर रहा। वर्श 2020 में फसल क्षेत्रफल औसतन 26 प्रति ात और उत्पादन में 3.1 प्रति ात वार्शिक वृद्धि हुआ। इसी प्रकार विगत दस वर्शों में क्षेत्रफल में औसतन 31 प्रति ात और उत्पादन में 128 प्रति ात वृद्धि हुआ जो उन्नत कृशि का परिणाम है।

16. **कुन्दरू** – वर्श 2010 की तुलना 2011 में फसल क्षेत्रफल में वार्शिक वृद्धि दर 9 प्रति ात और उत्पादन में 20 प्रति ात वृद्धि हुआ। वर्श 2014, 2015 और 2016 में फसल क्षेत्रफल में औसतन 8 प्रति ात पर स्थिर रहा जबकि उत्पादन 2014, 2015 और 2016 में 0.7 प्रति ात गिरावट के साथ स्थिर रहा। वर्श 2020 में फसल क्षेत्रफल और उत्पादन गिरावट दर्ज किया गया। इसी प्रकार विगत दस वर्शों में क्षेत्रफल में औसतन 82 प्रति ात वृद्धि रहा लेकिन उत्पादन में 82 प्रति ात गिरावट आयी।

सारणी–5

जशपुर जिले में सब्जी फसल क्षेत्रफल एवं उत्पादन का विवरण

वर्श	भाकरकंद		प्याज		हरी मिर्च		ामिला मिर्च	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
2010	112	1008.00	391	5865.00	–	–	–	–
2011	114	1026.00	395	9525.00	–	–	–	–
2012	115	1402.95	400	6380.20	–	–	–	–
2013	120	1194.00	402	6412.00	–	–	–	–
2014	120	1194.00	405	6459.00	–	–	–	–
2015	120	1194.00	406	6455.00	–	–	–	–
2016	120	1194.00	410	6518.00	–	–	–	–
2017	125	1250.00	425	6753.00	–	–	–	–
2018	125	1250.00	430	6880.00		–		–
2019	130	2340.00	440	7040.00	1986	11618.00	–	–
2020	140	2520.00	460	4255.00	2180	12753.00	215	650.00

स्त्रोत : निदे ाक, बागवानी एवं कृशि वानिकी विभाग, छत्तीसगढ. (क्षेत्रफल हेक्ट. /उत्पादन मिट्रिक टन में)

17. **शकरकंद** – वर्श 2010 की तुलना 2011 में फसल क्षेत्रफल और उत्पादन में वार्शिक वृद्धि दर 1.8–1.8 प्रति ात तेजी रहा। वर्श 2012 की तुलना में वर्श 2013, 2014 और 2015 में फसल क्षेत्रफल में औसतन 4.3 प्रति ात पर स्थिर रहा और उत्पादन 2012 की तुलना में 2013, 2014 और 2015 में 14.8 प्रति ात गिरावट के साथ स्थिर रहा। वर्श 2020 में फसल क्षेत्रफल और उत्पादन में औसतन 7.7–7.7 प्रति ात वृद्धि हुआ। इस प्रकार विगत दस वर्शों में क्षेत्रफल में 25 प्रति ात और उत्पादन में औसतन 150 प्रति ात है जो लगभग 2.5 गुना वृद्धि

हुआ।

18. प्याज – वर्श 2010 की तुलना 2011 में फसल क्षेत्रफल में वार्शिक वृद्धि दर 1.0 प्रति ात वृद्धि और उत्पादन में 57.3 प्रति ात वृद्धि हुआ। वर्श 2015 में फसल क्षेत्रफल औसतन 0.2 तेजी आयी लेकिन उत्पादन घटकर 0.06 प्रति ात पर आ गया। वर्श 2020 में फसल क्षेत्रफल औसतन 4.5 प्रति ात वृद्धि हुआ जबकि उत्पादन में 39.6 प्रति ात की भारी गिरावट आयी। इस प्रकार विगत दस वर्शों में प्याज का क्षेत्रफल में औसतन 17.6 प्रति ात की वृद्धि हुई जबकि उत्पादन में औसतन 20 प्रति ात तेजी आयी जबकि 2020 में 27 प्रति ात गिरावट पाया गया।

सारणी–6

जशपुर जिले में सब्जी फसल क्षेत्रफल एवं उत्पादन का विवरण

वर्श	अन्य सब्जियाँ		जिले में सब्जी फसल का क्षेत्रफल/उत्पादन		क्षेत्रफल एवं उत्पादन का वार्शिक वृद्धि दर		प्रदे ा कुल फसल क्षेत्रफल एवं उत्पादन में जिले का योगदान	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
2010	451	2534.00	10234	115065.00	–	–	3.3	3.2
2011	451	2530.11	10435	117968.89	1.9	2.5	3.1	2.8
2012	456	3054.20	10498	153947.54	0.6	30.5	2.9	3.4
2013	495	3312.00	10698	155541.00	1.9	1.0	5.1	3.1
2014	415	2776.00	10768	156906.00	0.9	0.9	2.7	2.9
2015	230	2776.00	10909	166535.00	1.3	6.1	2.6	2.7
2016	250	2839.00	11303	172524.00	3.6	3.6	2.6	2.8
2017	260	2951.00	11520	174742.00	1.9	1.3	2.5	2.7
2018	260	2951.00	11913	181465.00	3.4	3.8	2.5	3.8
2019	270	3132.00	14208	209164.00	19.3	15.3	2.9	3.0
2020	215	650.00	14726	211354.00	3.6	1.05	2.8	2.9

स्त्रोत : निदे ाक, बागवानी एवं कृशि वानिकी विभाग, छत्तीसगढ. (क्षेत्रफल हेक्ट./उत्पादन मिट्रिक टन में)

ज ापुर जिले में सब्जी फसल क्षेत्रफल और उत्पादन अध्ययन का परिणाम – उपरोक्त अध्यय से स्पश्ट है कि ज ापुर जिले में नवीन कृशि तकनीक आधारित सब्जी उत्पादन अपने प्रारम्भिक दौर से गुजर रहा है। अध्ययन से स्पश्ट है कि जिले में विगत एक द ाक में सब्जी उत्पादन के फसल क्षेत्रफल और उत्पादन में हुए अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। यहाँ किसानों द्वारा सब्जी उत्पादन हेतु आधुनिक तकनीक का उपयोग विगत एक द ाक का अल्प अनुभव है फिर भी उत्पादन में काफी तेजी आयी है। सारणी 6 से स्पश्ट है कि प्रदे ा की कुल फसल क्षेत्रफल की तुलना उत्पादन में अधिक योगदान है। वर्तमान में जिले के ऊपरघाट के पठारी क्षेत्र और नीचघाट के मैदानी क्षेत्र में सब्जी उत्पादन की दृश्टि से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। जिले में उत्पादित सब्जियों को प्रदे ा के कोरबा, बिलासपुर, अम्बिकापुर आदि जिले को भेजा जाता है। प्रदे ा के कुल सब्जी उत्पादन में ज ापुर जिले का महत्वपूर्ण योगदान है। अध्ययन अवधि में सब्जी का फसल क्षेत्रफल और उत्पादन के परिणाम को तीन वर्गों में निम्नानुसार वर्गीकरण किया जा सकता है–

अ. फसल क्षेत्रफल में वृद्धि की तुलना उत्पादन में अधिक वृद्धि :–

ज ापुर जिले में सब्जी का फसल क्षेत्रफल और उतपादन की दृश्टि से वर्श 2011, 2015 और 2018 में सब्जी उत्पादन हेतु प्रयुक्त फसल क्षेत्रफल की तुलना में उत्पादन अधिक हुआ।

ब. फसल क्षेत्रफल और उत्पादन में समान वृद्धि :–

अध्ययन अवधि में ज ापुर जिले में वर्श 2014 और 2016 में सब्जी उत्पादन हेतु प्रयुक्त फसल क्षेत्रफल और उत्पादन में समान अनुपात वृद्धि या कमी पायी गयी।

स. फसल क्षेत्रफल में वृद्धि की तुलना में उत्पादन में कमी :–

ज ापुर जिले में वर्श 2013, 2017, 2019 और 2020 में सब्जी फसल क्षेत्रफल में वृद्धि की तुलना में उत्पादन में गिरावट देखने को मिलता है।

निष्कर्ष :–

अध्ययन से स्पश्ट है कि ज ापुर जिले में विगत एक द ाक में आधुनिक कृशि पद्धति अपनाने से निःसंदेह सब्जी उत्पादन में व्यापक परिवर्तन हुआ है इससे फसल क्षेत्रफल और उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुई है। जिले के किसानों द्वारा उन्नत बीज, ड्रीप सिंचाई, मल्चिंग, ग्रीन हाऊस, जैविक खाद, पौधे के लिए जाली का उपयोग और खरपतवार प्रबंधन जैसे तकनीक का उपयोग को बढ़ावा मिला है इससे उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और सब्जी उत्पादन किसानों में समृद्धि आई है। जिले में सब्जी उत्पादन में कुछ समस्याएँ भी है जैसे–सब्जी उत्पादक किसानों की संख्या में कमी, कृशि संसाधन की कमी, उचित कीमत न मिलना, वैज्ञानिक कृशि तकनीक सम्बंधी जानकारी की कमी, भंडारण और मंडी की कमी किसानों के लिए बड़ी समस्या है।

संदर्भ सूची :–

1. Genral knowledge system-https://icar-ciwa.in
2. कृशि जगत, राश्ट्रीय कृशि पत्रिका–सब्जी उत्पादन की हाईटेक तकनीकी.-https://krishijahat.org
3. आधुनिक तकनीक से सब्जी पौध उत्पादन – https://agriculture.vikaspedia.in
4. कृशि उत्पादन में सब्जी उत्पादन का अध्ययन, देवांगन, डॉ. पुश्पा, देवांगन डॉ. बी. प्रसाद. International Journal of Humanities and Social science Research.Vol. 10,p. 56-57. Feb.2024.
5. सब्जी उत्पाद और उत्पाद की गुणवत्ता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव–एक समीक्षा. दीक्षा सेठी, ि ावालिका सूद, वीरेन्द्र, कोमल भार्मा, Agriculture Research communication centre. Agriculrure Reviews. https://arccjournal.com
6. निदे ाक, बागवानी एवं कृशि वानिकी विभाग, छत्तीसगढ. वार्शिक रिपोर्ट।
7. सब्जी उत्पादन की हाईटेक तकनीक. https://www.krishakjagat.org

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 62-66

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

संस्कृत वाङ्मय के भक्ति तत्व काव्यो में पं. नथमलशास्त्री दाधीच के विरचित काव्यो का अनुशीलनात्मक अध्ययन

बृजेश्वर शर्मा, शोधार्थी
डॉ. भेषराज शर्मा, असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
संस्कृत दर्शन एवं वैदिक अध्ययन विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली।

प्रस्तावना :–

विश्व साहित्य में संस्कृत वाङ्मय का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत केवल एकमात्र भाषा नहीं है अपितु संस्कृत एक विचार है, संस्कृत एक संस्कृति है, एक संस्कार है, संस्कृत में विश्व का कल्याण है, शान्ति है, सहयोग है तथा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना है। संस्कृत भाषा के वैदिक और लौकिक साहित्य की सुविशाल परम्परा ने मानव को जीवन जीने के सच्चे अर्थों से सुपरिचित करने का अतुल्य कार्य किया है। संस्कृत केवल स्वविकसित भाषा नही है बल्कि संस्कारित भाषा भी है अतः इसका नाम संस्कृत है, संस्कृत को संस्कारित करने वाले भी कोई साधारण भाषाविद् नही है बल्कि महर्षि पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि आदि है।

संस्कृत भाशा का वाङ्मय अतिविस्तृत है। इसका मूल कारण है साहित्य सृजन की निरन्तरता। वैदिक काल से आरम्भ होकर संस्कृत साहित्य सृजन परम्परा लगातार वर्तमान काल में भी भारतीय परम्परा संस्कृत का गौरवमय स्थान है। संस्कृत प्रत्येक क्षण मानव हृदय को स्पर्श करती हुई सत्कार्य करने की सत्प्रेरणा देती है।

विशय प्रवे□ा :–

ऋग्वेद में वर्णित मन्त्र में कहा गया है –

"ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्भिदोऽमध्यमासो महसा वि वावृधुः"।।

ऋग्वेद शिक्षण शिक्षा में इसका वर्णन करते हुए लिखा है –

"वयो न ये श्रेणीः पप्तुरोजसान्तान्दिवो वृहतः सानुनस्परि।"

मानवीय शिक्षा से युक्त होकर राष्ट्र की उन्नति व उत्थान की और अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। ईशावास्योपनिषद् में भी कहा गया है–

"अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते"।

अज्ञानता से ज्ञान के प्रति बढावा देना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। सम्पूर्ण विश्व में अद्वितीय विश्वगुरुता प्राप्त करने का सौभाग्य केवल भारतभूमि को ही प्राप्त हो पाया है। भारतभूमि जो देवताओं व मुनियों के प्रादूर्भाव

से उर्वरित हुई, उनकी कृपा दृष्टि रूपी सुधा प्रवाह से सिक्त होकर अपने सभ्यता एवं संस्कृति के विकसित कुसुमो के सौभाग्य से सभी के हृदयों में निवास करती है। अतः संस्कृत भाषा को देवभाषा कहा जाता है। संस्कृत भाषा से ही मानव संस्कृति सभ्यता का इतिहास सुरक्षित है। जैसे कहा भी गया है–

असंस्कृत को जो सुसंस्कृत कर दे, वह है संस्कृत भाषा।
गुरू की महिमा का जो गुणगान सिखा दे, वह है संस्कृत भाषा।।
विद्वता का जो मान बढा दे, वह है संस्कृत भाषा।
स्त्री का जो सम्मान सिखा दे, वह है संस्कृत भाषा।।
कवियों का जो स्वाभिमान बढा दे, वह है संस्कृत भाषा।
राजनीति का जो रंग बता दे, वह है संस्कृत भाषा।।
इतिहास का जो इतिहास बता दे, वह है संस्कृत भाषा।
अन्तर्मन का जो दर्शन करा दे, वह है संस्कृत भाषा।।

संस्कृत भाषा में ही ज्ञान–विज्ञान के पोषक चारो वेद है। और संस्कृत साहित्य में ही ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्यकग्रन्थ, शिक्षाग्रन्थ, शाखाग्रन्थ, उपनिषद्ग्रन्थ, दर्शनग्रन्थ, व्याकरणग्रन्थ, साहित्यग्रन्थ, धर्मग्रन्थ, लौकिकग्रन्थ, नीतिग्रन्थ, कालग्रन्थ, चारित्रिक निर्वाहक ग्रन्थ आदि है जो संस्कृत साहित्य में उदात्त भावों एवं सांस्कृतिक गौरव के सर्वहितैषी और सर्वसमावेशी सिद्धान्तों के व्यवहारिक पक्ष का जीवन्त चित्रण प्राप्त होता है।

अमृतं सस्कृतं मित्रं, सरसं सरलं वचः।
एकतामूलकं राष्ट्रे, ज्ञान-विज्ञान पोषकम्।।

संस्कृत भाषा के अध्ययन अध्यापन को प्रोत्साहित करने में, संस्कृत के ज्ञान विज्ञान को बढाने में भी राजस्थान के विद्वान सदैव अग्रसर रहते है। संस्कृत को प्रतिष्ठापित करने में उनका योगदान प्रसंसनीय है। "कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च तेन।

"अपार सच्चितसुखसागरेऽस्मिन् जीनोपरेब्रह्मणियस्य चेत।।"

श्लोकानुसारेण जिस धरा पर महापुरुषो का जन्म होता है। जिनके जन्म लेने से वहाँ की धरा व तत्कुल स्वतः ही पवित्र हो जाते है। पण्डित नथमलशास्त्री दाधीच ने अपने यशस्वी जीवन में अनेक साहित्यों की रचना की। उनके रचना ग्रन्थों में –

1. संस्कृत –पद्यानुवाद
   (तुलसीकृत 108 दोहा –मणिमाला) भगवती टीका सहित
2. संस्कृत भक्तमाला
   (श्री नाभाजी कृत भक्तमाल का काव्यमय रुपान्तरण)
3. श्री अजमाला भक्तिगाथा संस्कृत भक्ति काव्यम् "भूरि" हिन्दी टीका सहित
4. श्री कृष्ण महास्त्रोत्रम्
   (संस्कृत स्त्रोत्रकाव्यम् भगवती टीका सहित)

भक्तितत्व :-

भगवद्भक्त, भगवद्भक्ति, भगवद्तत्व के उपदेष्टा आचार्य (गुरु) एवं भगवान का स्मरण इन चारों में अभेद

दर्शन का ही प्रतिपादन करते है। ये चार नाम है लेकिन इनका शरीर एक ही है। इनके चरणों में वन्दना करने से मनुष्य के सांसारिक एवं पारमार्थिक समस्त शुभ कार्यों में आने वाले सकल विघ्न स्वतः ही नष्ट हो जाते है। इनमें निविघ्नता की मंगल कामना निहित है।

वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः।
जनयत्याशो वैराग्यं ज्ञानं यद् ब्रह्मदर्शनम्।।

जिसे सगुण साकार ब्रह्म के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है उसे श्रीमद्भागवत में "ब्रह्मदर्शन" का हेतु कहा गया है।

श्रीद्वारकानाथमिति स्वरूप पश्यन्ति ये भक्तजनाः।
कलयुगे गच्छन्ति ते विष्णुपदं तदेव योगेश्वरणामिति।।

भक्तमाला में वर्णित अनेक भक्तों के जीवन चरित्र से यही प्रमाणित होता है कि **"हरि को भजे सो हरि को होई"।**

श्री नाभाजी ने भी तुलसीकृत नवधा भक्ति को ही स्वीकार किया है। भक्ति के विषय में तुलसीदास जी ने लिखा है –

भक्तिहीन नर सोहत कैसे,
बिनु जल वारिद देखिये जैसे।

श्री मद्भागवत में भी नवधाभक्ति के स्वरूपो का वर्णन करते हुए लिखा गया है –

श्रवणः कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादं सेवनम्।
अर्चनं वदनं दास्यं सख्यात्मनिवेदनम्।।

नाभाजी ने इसी भक्तिविषय क्रम को लिखा है –

पदपराग करूणा करो नेता नवधा भक्ति के।
श्रवण परीक्षित सुमति व्यास सावक सुकीरतन।।
सुदि सुमिरन प्रहलाद पृथु हमला चरणन मन।
वन्दन सुफलक सुवन दास्य दीपति कपीश्वर।।

गुरूनिष्ठा :-

हमारे यहाँ अन्यान्य शास्त्र वचनानुसार कहा गया है कि –

वेद्यै देवे तथा मन्त्रे, औषधे च गुरौ तथा।
यादृशी जायते श्रद्धा सिद्धिर्भवति तादृशी।।

इस जगत में यह देखा जाता है कि रोगी को वैध, औषधि में, साधक को देवता व गुरुमन्त्र में जैसी श्रद्धा होती है वैसी ही सफलता सिद्धि प्राप्त हो जाती है।

स्वामी रह्यो समाय दास दरसन को में आयौ।
गुरू की गिरा विश्वास फेरि सब घर में ल्यायौ।।
शिष पान साँचो करन को विभु सवै सुनत सोई कहयो।
गुरू गादित वचन शिश सत अति दृड़ प्रतीत गाढो महयो।।

एतदानुसार भक्ति भगवान को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। भक्ति के कारण ही भक्त के आमन्त्रण पर भगवान जाति–पाति, ऊँच–नीच के सांसारिक भेदभाव को भुलाकर अपने भक्त के घर चले जाते है।

भक्तलोक प्रसन्नात्मा भक्तमन्दार विग्रहः।
भक्तदारिद्रयदमनो भक्तानां प्रीतिदायकः।।

उपसंहार :–

पं. श्रीनथमलशास्त्री दाधीच के विरचित काव्यों में एवं संस्कृत वाङ्मय में भक्तितत्व ही सर्वोपरि माना गया है। जिसमें भक्ति के विभिन्न प्रकार, आयामों का मानवीय मूल्यों के सन्दर्भ में दृष्टिपात किया जा सकेगा।

भगवान नारायण श्रीहरि, गुरुभक्ति की करूणामयी प्रेमस्वरूपा, रसमयी, ज्ञान वैराग्यमयी, ब्रह्मस्वरूपा दिव्यशक्ति "भक्ति" के बिना कोई भी साधक भक्त नहीं कहलाया जा सकता। यही भक्ति मनुष्यो को सदाचरण करने की शिक्षा देती है। मन्त्रदीक्षा प्रदान करके शिष्य के अन्तकरणः में भक्ति भाव का बीजारोपण करते है या दिव्यदृष्टि प्रदान करते है उनके रूप में भक्ति को ही जानना चाहिए।

श्री मद्भागवद में विश्वात्मा, सर्वान्तर्यामी, पुरुषोतम परमात्मा को " ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति भाब्धेते कहा गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. ऋग्वेद – 5/58/6.7
2. ईशोपनिषद् – 11
3. अग्निपुराण – 327/3
4. श्रीमद् भगवद्टीका – 3/32/23
5. श्री गोपालसहस्त्रनाम् – 139, 140
6. भर्तृहरि, नीतिशतकम्।
7. तुलसीकृत रामचरित्रमानस।
8. भारत–भारती–वैभवम्।
9. श्रीमद् भगवदगीता – 17, 15
10. संस्कृत वाङ्मयकोष।
11. राधाकान्त शब्दकल्पद्रुमः।
12. आप्टे, वामनशिवराम संस्कृत हिन्दीकोश।
13. शुक्ल, द्विजेन्द्रनाथ, भारतीय स्थापत्य।
14. कल्याण, हिन्दू संस्कृति विशेषांक गोरखपुर गीताप्रेस।
15. भारतीय प्राचीन लिपिमाला।
16. डां. कपिलदेवद्विवेदी – संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक।
17. ठाकुर लक्ष्मीदत प्रमुख स्मृतियों का अध्ययन।
18. आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण।

19. शास्त्री पं. नथमलदाधीच – संस्कृत भक्तमाला
श्री अजमल भक्तिगाथा
संस्कृत पद्यानुवाद
श्री कृष्ण मन्त्र महास्त्रोत्रम्
स्त्रोत्र रत्नाष्टकम्
20. शास्त्री पं. रामगोपाल – गोपालसहस्त्रनाम्।
21. शास्त्री कलानाथ – संस्कृत साहित्य का इतिहास।
22. मिश्र रतनलाल – भारतीय संस्कृति (1998)

पता– बृजे वर भार्मा पुत्र श्री राधे याम भार्मा
(ोधार्थी– वनस्थली विद्यापीठ निवाई, टोंक)
मु. पो.– मीठडी, तह – नावां,
जिला– डीडवाना–कुचामन, राजस्थान, पिन –(341533)
ईमेल – anirudhdadhich5@gmail.com
मो.– 9351579451

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 67-75

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

असम का लोकगीत

डॉ. अनिरूद्ध वायन
प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, मध्य कामरूप कॉलेज।

लोक कविता या लोक गीत, मार्गीय गीत या लिखित कविता एक नहीं है। वाचिक कला की इस वृहद अंश को लोकगीत कहा जाता है। जिसको गाने में हम संगीत की धारा को महत्व न देकर केवल अपने हिसाब से आवृत्ति करते हुए सुर ताल, लय, संगत न करके केवल पढ़ते हैं। लोकगीत का सुनिर्दिष्ट लिपिवद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि उसका स्वर लिपि मौखिक परमारा में चली आ रही है जिसके कारण लोक गीत गायन शैली में पाठान्तर या भिन्नता दिखाई पड़ती है। यहा तक कि लोक गीत के साथ संगत किया गया वाद्य यन्त्र तथा वाद्य यंत्र को बजाने का तरीका भी अलग हो जाता है। लोक गीत का कोई स्थायी पाठ या शैली नहीं रहते हैं। जिसके कारण अवस्थान भेद से इसका शैली परिवर्तन होता है। इसलिए विषय तनिक रूप में इसे लोक गीत कहा जाता है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि भिन्न देश, स्थान में प्रचलित संगीत शैली जो मौखिक और जनश्चुति के आधार पर, स्मृति या स्मरण के आधार पर जो संगीत शैली परिवेशन किया जाता है उसे लोक संगीत कहा जाता है। जो संगीत को धारा किसान, मजदूर, साक्षर, निरक्षर समस्त श्रेणी के लोगों के बीच प्रचलित है।

लोक गीत की मूल विशेषता है मौखिकता। इनके अतिरिक्त अन्य कुछ विशेषता यह है कि लोकमत के सुर, लय आदि का उत्पत्ति के बारे में गायकों को कुछ पता नहीं रहता है। लोक गीत की तीसरी विशेषता यह है कि इसके सुर की कोई निर्दिष्ट रूप नहीं है। गायकों की चाह या अनचाह में ही इसमें परिवर्तन हो जाता है। जिसके कारण लोक गीत के सुर में वैचित्रता दिखाई पड़ती है। लोकगीत की नान्दनिक दिशा यह है कि उसकी कथा (गीत), उसकी सुर–ताल–लय की अनुरन आदि इस गीत को शस्त्रीय संगीत धारा तक उत्तरित करने में महत्व पूर्ण भूमिका ले रहे हैं। इसके गायन में लोक बाद्य का सहयोग भी महत्वपूर्ण है।

लोक गीत और शस्त्रीय संगीत में अंतर :–

शारंग देव ने अपने ग्रन्थ 'संगीत–रत्नाकर' में लोक गीत और मार्गीय संगीत में अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है –

'मार्गो देशीति तदद्वेता तत्र मार्गः स उच्यते।
जो मार्गितो विरिंण दैयः प्रयुक्तो भरत दिभिः।।
देवस्य पुरतः शंभोनियताभ्युदय प्रदः।
देशे देशे जनानं चटुच्या ह्रदयरंजकम''।।[1]

अर्थात् मार्ग और देश इन दो भागों में संगीत विभक्त तिरिंचि अर्थात व्रघ्ना, भरतमूनि आदि पथ प्रदर्शक

और अनुमोदित पथ से परम्परा को रक्षा कर प्रवाह मान संगीत धारा ही मार्ग या शास्त्रीय संगीत है। प्राचीन काल से प्रवाहमान निरविच्चिन्न संगीत धारा है, मार्गीय या शस्त्रीय संगीत है।

लोकगीत या देशी संगीत के बारे में संगीत रंताकर में उल्लेख नहीं है किन्त लोकसंगीत का अर्थ समझाने के लिए देशी संगीत परिभाषा को प्रयोग किया है उसमें कोई सन्देह नही हैं देखिए –

"गीतं च वादनं नृत्यं तद्देशीत्यभिधीचते।
नृत्यं वाद्ध्यनुगं प्रोक्तां वाद्यं गीतानुवर्ती।।"[2]

अर्थात् देश संगीत या लोक गीत गीत, वादय और नृत्य का समाहार है। लोकगीत का नृत्य वाद्यनुगत और वाद्य गीत का अनुगामी है।

लोक गीत और मार्गीय गीत की अंतर :–

1. लोक गीत या देशी गीत रीतिबद्ध नहीं है जबकि मार्गीय या शास्त्रीय गीत रीतिबद्ध है।
2. लोकगीत पाठान्तर है जबकि मार्गीय गीत या शास्त्रीय गीत पाठान्तर हीन है।
3. लोकगीत का सुनिर्दिष्ट तथा परिवर्तनशील है जबकि मार्गीय संगीत अपरिवर्तनीय या स्थिर है।
4. लोकगीत परिमार्जित नहीं है जबकि मार्गीय गीत लोकगीत के तुलना में अधिक परिमार्जित है।
5. लोक गीत सुगढ़ी नहीं है किन्तु लोकगीत की तुलणा में मार्गीय गीत सुगढ़ी है।
6. लोकगीत के शैली आत्मसजग नहीं है, सामाजिक सजगता इसका मूल विशेषता है। सामाजिक पटभूमि में सामाजिक चेतना के आधार पर इसका जन्म होता है, किन्तु शास्त्रीय या मार्गीय संगीत एक विशेष लोक ही सृष्टि कर सकते है।
7. लोकगीत देश की सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं है किन्तु शस्त्रीय संगीत देश की सरकार द्वारा स्वीकृत होता है।

साहित्यिक दृष्टि से लोकगीत साहित्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। असमीया लोकगीत को मूलतः तीन भागों में विभाजित किया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए लोक गीत को कुछ उपभागों में भी विभाजित किया जाता है।

1. **अनुष्ठान मूलक लोकगीत :–**
   - बिहू गीत
   - आइ नाम
   - बिया नाम
2. **आख्यानमूलक लोक गीत :–**
   - (क) मनि कोवँरर गीत
   - (ख) बारमाही गीत
   - (ग) बरफुकनर गीत
3. **विविध विषयक गीत :–**
   - (क) निचुकनि गीत
   - (ख) गरखीया गीत

(ग) नाँव खेल गीत।

लोकगीतों में विषयवस्तु और रचना काल की अन्तर होते हुए भी प्रकाश भंगीमा में सादृश्यता देखने को मिलता है। अनाडम्बर सहज–सरल भाषा, गांव की परिवेश, आंचलिक प्रकाश शैली भावों की मुक्तावस्था, सहज विश्वास, अलौकिकता का प्रभाव पाये जाते है। इस गीत की छन्द, भाव, और भाषा शृंखलित न होते हुए भी स्वच्छंद और भावों की उन्मुकता दिखाई पड़ता है। किसान जीवन का ये मुक्त विचरन और आदिम और लौकिक भावावेग का अकृतिम भावों का प्रकाश लोकगीत में पाया जाता है। लोक गीत में व्यक्ति विशेष की अनुभूति प्रकाश न होकर सामूहिक जीवन का आशा, आकांक्षा आदि परिष्फुट होता है। छंद, सुर और लय के साथ संगति रखने के लिए स्थान विशेष में मूल भाव से मिलाजुला शब्द का व्यवहार प्रायः लोकगीतों में पाया जाता है।

अनुष्ठान मूलक लोकगीतों में से बिहू गीत, आइ नाम, बिया नाम, घ्घ्घ्घ्घ्घ्घ्, अपेश्वरी गीत, लक्ष्मी सवाहर गीत, महखेदा गीत और विविध पूजा सम्बन्धि गीत उल्लेखनीय है।

बिहूगीत :–

बिहूगीत में से हुचरि गीत और वनगीत ही अंतर्गत आते है। बहाग बिहू के अवसर पर लोग ढोल–पेपा, ताल गगना आदि लेकर हर घर में जाकर सामूहिक रूप में गाने वाले बिहुगीत–हुचरि गीत है। ये गीत मूलत यौवन भाव बर्जित गहीन भक्तिभाव सम्पन्न भगवान के नाम से शुभारम्भ किया जाता है। साथ ही साथ समाज में गाने लायक अश्लीलता हीन बिहूगीत नृत्य गीत होता है। उदाहरण :–

'कृष्णर मुरते बकुल फुल एपाही
नियँर पाय मुकलि पाइ ए गोबिन्दाइ राम।'

दूसरी और वनगीत प्रायः उन्माद यौवन की यौन वासना का उन्मुक्त प्रकाश होता है ये एक प्राय बिहू मैदान, खुले मैदान खेत अथवा निर्जन वनस्थली में गाये जाते हैं। बिहू मूलतः ऋतु उत्सव है। बहाग बिहू मूलतः बसन्त उत्सव का असमीया अभिव्यक्ति है। बसन्त के आगमन के साथ साथ प्रकृति यौवन–शोभा धारण करते है। मृदु हवा, कोयल की कुक, मधुर प्राकृतिक शोभा तथा वारिष की आगमन एक शुचक बादलों की गरगराहट के बीच प्रकृति जगत में मादकता का सृजन करते है। प्रकृति शस्य संभवा होती है। कृषि प्रेमी असम के लोग भी प्रकृति के साथ जुड़कर प्रकृति का उत्सव पालन करते हैं और इस नृत्य गीत से नये साल का स्वागत करते हैं। दूसरी ओर बहाग बिहू को प्रकृति की उर्वरता या प्रजनन उत्सव भी कहा जाता है। बारिश के स्पर्श से असम के प्रकृति शस्य सम्भवा होता है। इस प्रकृति गत बास्तव सत्य खेत या बिहू मैदान में जवान लड़का लड़की यौवन का नृत्य करते हुए सृष्टि की बीज सिंचन करते हैं। इसलिए बिहू की प्रधान सुर प्रणय है। यौवन की उद्दाम वासना, मिलन की तीव्र आकांक्षा, विरह की तीव्र उत्ताप, प्रेम का आकृति और उड़ते हुए रोई की तरह मन का सम्यक प्रकाश बिहूगीतों में पाया जाता है। प्रकृति के गोद में पला हुआ, प्रकृति की गोद से ही जीवन रस आहरन करने वाले किसान, जवान लड़कों का प्रेमाभावापन्न प्रकृति देवी मानवीय कार्यकलाप या घटना का केवल नींव ही नहीं है, प्रकृति उनके अपने प्रेमास्पद है। बिहूगीत में पुरुष हृदय की दुख भाव कही भी टुटा हुआ दिखाई पड़ता है। प्रेम–प्रीति और कोमल भाव का चित्र प्राप्त है।

बिहूगीत मूलतः ग्राम्य किसान जीवन का प्रतिच्छवि मात्र है। जनजातीय परम्परा से प्रारम्भ होकर अनेक युग पार करते हुए बिहूगीत विभिन्न समय की अनुभूति को समाहित करते हुए ग्राम्य किसान जीवन की मौलिक

रूप गठन में अपना योगदान अव्याहत रखा है। बीच बीच में यद्यपि बिहूगीत में सर्गदेउ या दो एक का नामोल्लेख मिलता है वह बिहू गीत में क्षणिक अतिथि मात्र है। बिहूगीत में कभी भी सामन्त युगीन परम्परा में आघात दिखाई नही पड़ता है।

बिहूगीत मूलतः त्रिपदी छंद में रचित है और प्रत्येक स्तवक स्वयं पूर्ण मुक्त रचना है। कोई–कोई स्तवक के दूसरी भाग में मनका भाव प्रकट होता है। प्रथम भाग में उस भाव के साथ मिलाजुला प्राकृतिक चित्र उपस्थापन किया जाता है। बिहूगीत या बिहूनृत्य में प्राचीन काल में लड़का–लड़की अलग अलग गाते हुए नाचते थे। पहले एक साथ नृत्य करने की परम्परा नहीं थी। इसलिए कुछ बिहूगीतों में लड़की की मनोभाव और कुछ बिहूगीतों में लड़का का मनोभाव अभिव्यति होती है।

कुछ बिहूगीतों में प्राकृतिक चित्र न रहकर पूरा स्तवक में एकक भाव विशेष प्रकट होता है। बिहूगीत में प्रयुक्त मई, मोर उत्तम पुरुष का एक वचन का सर्वनाम पर कोई व्यक्ति विशेष से परे वह समष्टि का वाचक है। इसलिए बिहूगीत में प्रकट हुए होता हुआ आशा, आकांक्षा, प्रणय, विरह, आघात दृष्टि में वैक्तिक होते हुए भी सामाजिक है।

बिहूगीत में जवान लड़का–लड़की का मानसिक स्थिति का अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है तो कुछ गीतों में स्त्री–पुरुष के यौवन भाव का, असमीया सामाजिक जीवन का चित्र, प्राकृतिक सौन्दर्य, लोगों की धर्म विश्वास ये सब आभास पायी जाती है। बिहूगीत में प्रयुक्त उपमा कहीं कहीं बड़ी ही मनोरम और सुक्ष्म कल्पना का परिचायक है। एक उदाहारण देखिए :–

'सजात बंदी हल सजारे मईना, हालत बन्दी हल हाती मकरा जालते मोर मन बन्दी हल, तुपनि नाहे मोर राति।'

मकरी की जाल रुपी प्रेमास्पद में फसते प्रेमिक की मानसिक स्थिति का सुन्दर अभिव्यक्ति है। उसी प्रकार अनुप्रास छन्द की प्रयोग से बिहूगीत की ऋतु मधुरता को बढ़ा देता है। देखिए –

'तइनों कलिया अलिया बलिया मोक करि गलि बाउली। जालिकटा बेरेदि खुकुरि मारिलि होवा भातक करिलि चाउल।'

प्रस्तुत उदाहारण में प्रयुक्त ल और ब ध्वनि का प्रयोग से श्रुति मधुरता को जिसप्रकार बढ़ाया है वैसे प्रेम के विह्वलता को भी बढ़ाया है।

बिहूगीत का रचना काल किस निर्दिष्ट काल खंड में हुआ है इसको कहा नहीं जा सकता। कुछ गीतों में 'सर्गदेउ' का उल्लेख मिलता है जिसको अहोम युगीन रचना कहा जा सकते हैं। किन्तु ऐसी रचना बहुत कम मिलता है।

आइ नाम :–

आइ नाम, सुवचनीर गीत, अपेश्वरी गीत, लखिमी सवाहर गीत, गोखानी पूजा की गीत प्रायः एक ही प्रजाति का है। स्त्री समाज में इस गीत का प्रचलन है। चेचक निकलने में उक्त बीमार की अधिष्ठता देवी के रूप में विश्वास किया जाता है। और उनके सात बहनों को संन्तुष्ट करने के लिए 'आइनाम' गाया जाता है। लक्ष्मी पूजा के दिन या घर में खेतों से धान (चावल) शस्य लाने के दिन में लक्ष्मी को साथ न छोड़ने के लिए स्त्रीयों को बुलाकर लक्ष्मी सबाह (पूजा) के गीत गाया जाता है। बच्चों की चेहरा या स्वास्थ उम्र के हिसाब से

विकाश न होने पर तथा बच्छा का चेहरा बिगड़ जाने पर अपसरा की दोष माना जाता है इसलिए स्त्रीयां आगंन में अप्सरा की सबाह का गीत गाते हुए अपसरा को संतुष्ट करते हैं। उसी प्रकार सुवचनी देवी को भी बीमार, अशान्ति निवारण करने के लिए गीत द्वारा स्तुति किया जाता है। इस प्रकार असमीया नारी समाज में इस देवीओं को महामाया या देवी दुर्गा की रूप मानते हुए स्तुति करते हैं।

इस प्रकार की अनुष्ठान में स्त्री समाज में गाती हुई गीतों में नारी सुलभ कमनीयता, सरल विश्वास का परिचय मिलता है। देवी को माँ की रूप में बड़ी ही आन्तरिकता से श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से गीत के माध्यम से अभिव्यक्ति करते हैं। भाषा की सरलता, सहजता, सहानुभूति, आन्तरिकता इस गीत की खास विशेषता है। अगर अनुभव की आंतरिकता और प्रकाश भंगी की स्वच्छता कविता की कसौटी माना जाय तो असमीया स्त्रीयों द्वारा गायी जाने वाली इन मौखिक रचना देवी–के–सामने की गई आत्म निवेदन की पद को श्रेष्ठ पद्य के रूप में दावा किया जा सकता है। आइ यानी स्त्रियां देवी को जो कुछ पार्थिव भेद करना चाहते है वह अपवित्र है इसलिये– सुबह–शाम नाम–पूजा से ही पूजने के लिए भगवती आइ के चरण में आनु आकुंठ आत्मनिवेदन किया है–

'जि वस्तु दिओ मातृ सेई वस्तु चुवा। आपोनार नामे मातृ आपुनि सन्तोष होवा।'[4]

बियानाम :–

असमीया शादी अनुष्ठान में विभिन्न क्रम या अवस्थाओं में स्त्रीयों द्वारा गायी जाने वाली गीत असमीया लोक साहित्य का अमुल्य सम्पद है। दुल्हा को स्वागत करने के अवसर पर, उन्हे होम (हवन) के सामने बिठाने के अवसर पर, जल उठाते समय, नहाने के अवसर पर, दुल्हन निकालने के अवसर पर स्त्रीया अलग–अलग गीत विभिन्न समय में गाते हैं। दाम्पत्य जीवन की–आदर्श, दुल्हा–दुल्हन की सौन्दर्य, घर से निकालती हुए दुल्हन की विच्छेद की करुणा, नारी–जीवन की आशा–आकांक्षा, घरेलु जीवन का सुन्दर चित्र इन बिया नामों में प्रकट होता है। बियानाम की एक प्रकार रुचिपूर्ण और गहीणता से भरा हुआ है। इन गीतों में राम–सीता, कृष्ण–रुक्मणी, ऊषा–अनिरुद्ध आदि पौराणिक चरित्रों को दुल्हा–दुल्हण पर आरोप करते–हुए स्त्रीयां सुर की एक गहीन परिवेश शुरु करते हैं। इन गीतों में कुमार हरण, रुक्मिणी हरण आदि कथाओं का वर्णन का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त बिया नाम में रचना की सरलता, कल्पना की कमनीयता, उपमा की मनोहारिता, गृहस्थी जीवन की प्रांजल चित्र, स्थान–स्थान पर कौतुक, हास्यरस की चित्रण आसन्न विच्छेद की करुणता को ओस की बुंद में भीगा हुआ शेवाली (रातराणी) फूल की तरह उज्जल बना दिया है। बिया नाम की यह सुन्दरता किस प्रकार उपस्थापन होता है उसका एक सुन्दर चित्र देखिए –

'आमार आइति, निचेइ कुमलीया येन कलपातर थुरि।
आटिब नेजाने ककालर काचुति, मेलिब नेजाने चुलि।
इ बोले आईदेउ, सि बोले आई देउ, आईदेउ तियहर जालि।
आई देउर चुलि तारि मेघत कैउ चमत्कार वंशीबादन र चुलि।'[5]

गोवालपार प्यारा अंचल में प्रचलित बियानाम की वैचित्र उल्लेखनीय है। इस जगह की बियानाम को योरानाम कहा जाता है।

निचले असम (यानी गुवाहाटी से धुबुरी तक) में इस प्रकार की गीत को खिचा गीत माना जाता है। इस

प्रकार की बिया नाम में गीति मयता कम और, वर्णना कौतुक पूर्ण है। दुल्हा के पक्ष या दुल्हिन के पक्ष को चिढ़ाते हुए गायी जाती है। बियानाम गृहस्थी जीवन में कितना प्रभाव डालती है उसका एक उदहारण देखिए –

'चाउल चालिबर रूपही चालनी बहि जारिबर कुला।
जीयरीर धनेरे किनो दौल बान्धिबा उरि याब शिमलु तुला।
आये चाउल चाले चालनी नुधुरे
बोपाये तामोल काट सरू
सरूटु भायेके धरम बिया दिले
लगत निदिले गरू।'

अन्यान्य अनुष्ठान का गीत :-

मेंढक के शादी का गीत, मच्छर भगाने की गीत, उपनयन की गीत, शास्त्रीय अनुष्ठान में गाती हुई गीत, गोवालपारा का काति पूजा की गीत, बाथै पूजा की गीत, मनसा पूजा की गीत, होली गीत, आदि विभिन्न अनुष्ठान के साथ जुड़ा हुआ नाना प्रकार की गीत असमीया लोकजीवन में प्रचलित है। लोक गीत में विशेष स्थानीय लोकचार और भाषा का प्रभाव पड़ने पर भी अनुष्ठान के भावों की एकरुपता, प्रकाश भंगिमा.....सुखा वातावरण की कमी करने के लिए वारिश की कामना से मेंढक की शादी रचाकर गीत गायी जाती है।

अगहन की महीने में के पूर्णिमासी में हाथ में लाठी लेकर हर घर में जाकर गो चराने वाला लड़का मच्छर भगाने की गीत गाते हैं। ये कामरूप, बरपेटा नलवाड़ी आदि अंचल की एक परंपरा है जिसमें लोक मंगल की कामना से गीत गाते हैं। गोवाल पारा में कार्तिक महीने में बाँस पूजा में बाँस को मदन का प्रतीक के रुम में लेकर उसके चारों ओर घुमते हुए बाँस पूजा की गीत गाते हैं। ये सब असमीय लोक जीवन, कृषि जीवन और समाज का विश्वास, संस्कार, आचार–व्यवहार और धर्मीय भावनाओं के प्रतिफलन है।

विविध विषयक गीत :-

विविध विषयका गीत के अतंर्गत असमीया लोकगीतों में से निचुकनी गीत, नाउ खेला गीत, नाङली गीत, चार पुराणर गीत, बरखी बोवार गीत, चटका गीत, जुना गीत, गरखीया गीत, हाथी–माउत की गीत आदि अनेक प्रकार के गीत असम के विभिन्न अंचल में प्रचलित है।

निचुकनि गीत मूलतः अपने बच्चों को दुलारते समय माँ के मुह से निकलने वाली गीत है। जिसको धाइ नाम भी कहते हैं। यह गीत कोमलता से भरा हुआ इन शिशुमन को एक स्वप्नलोक में ले जाते हैं। उदाहरण–

'आमारे मइना शुब ए
बारिरे बगरी खाब ए
बारिरे बगरी पकि सरि जाब
आमारे मइनाइ बुटलि खाब।'

क्षन में ही बैर की पैड़ लगाकर उसकी फल खाने की सुन्दर वर्णन जहां पर समय की व्यवधान नहीं है, जो चाहता है वहीं मिल जाता है। कारण बालक मन युक्ति की सूत्य पकड़कर नहीं चलते। इसलिए ये गीत की कथा भी युक्ति पर प्रतिष्ठित नहीं है। सूर्य–चन्द यहां की गीतों में शिशु के साथ बात करते हैं, यहां लोमड़ी के शिर पर फुल खिलते है, जोनबाइ अर्थात चन्दमा इस गीत में बच्चों को झोला चिलने के लिए सूई देती है, मेंढक

अपने मा–बाप की वृत्ति न छोडकर फूल खिलने नहीं देते है। कोमल मन की असंलग्न होते हुए भी शिशु के मन में हर वस्तु जीवन्त है, उसके जीवन स्वप्नों से भरा हुआ है जिसमें असंलग्न कुछ भी नहीं है। कल्पना प्रवण, विश्वास प्रवण शिशु मन के साथ मिलकर इस प्रकार की गीत रचना किया गया है।

गोवालपारा अंचल में विविध प्रकार की–लोकगीत प्रचलित है जिनमें से बांसपूजा का गीत, हुकुम देउ पूजा का गीत, आदि इस प्रकार की लोकानुष्ठान सम्बंधित गीत, हस्ती सम्पर्कीय गीत, प्रणय मूलक गीत गोवालपारा लोक परंपरा में प्रचलित है। जिसमें गोवालपारा के आंचलिक भाषा का प्रभाव स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के बारहमासी गीत भी प्रचलित है। मैषाली या मैघाली गीत एक अन्य प्रकार की करुण रस युक्त है। इन सब गीत के प्रायः सभी में प्रतिध्वनित हुआ है। प्रेमिक प्रेमिका तथा नारी की असम्पूर्ण काम–वासना तथा अपने प्रिय जनों को मिलने की कामना वासना। कुछ अनुठा विधवा नारी की पुरुष संग प्राप्ति की गुप्त कामना की मुक्त प्रकाश इन गीतों में पायी जाती है। हस्ती–कन्या या हस्ती माउत के गीत में से कुछ पंक्ति इस प्रकार है–

'बालु तिल तिल पक्षी कान्दे बालुते परिया
गौपरीया माहुत कान्दे ओ
(सखी) घर बारी छाड़िया सखी ओ)
आई छाड़िलं, वाई छाड़िलं, छाड़िलं सोनार पूरी
बिया करियाँ छाड़िलं, आईलं ओ
सखी अन्य बयखी नारी सखी ओ
ओं दताल हाथी माहुत रे।'

इन गीतों को दो श्रेणी में विभाजित किया जाता है। भाखान और चटका। भाखान गान लम्बी सुर और रस करुण है। प्रणय मुलक इस श्रेणी के गीतो में वासना और न मिलने की वेदना पायी जाती है। चतका गीत की विषय लघु और प्रकाश भंगीमा की चपलता लक्ष्य किया जाता है। ज्यादातर क्षेत्र में ये गीत हास्य रस से युक्त होता है।

पागला पार्वती का गीत, सदाशिव के गीत में संसार वैरागी, भाङुरा शंकर और पार्वती का गृह कलह और देवादि देव सदाशिव का कृषि कर्म मजेदार वर्णन और चित्र इन गीतों में मिलता है। ग्रामीण जीवन का सुन्दर चित्र इन गीतों में वर्णन मिलता है।

नांव खेल का गीत मुख्यतः नीचले असम (नामानि असम) का है। नावं चलाते समय बठा (नांव चलाने की साधन) के साथ–साथ ताल मिलाकर समस्वर से मन बहलाने के लिए इस गीत को गाया जाता। इस गीत का कोई निश्चित विषय नहीं रहता है। कृष्ण ने राधा को यमुना पार करने का, व्यापार के लिए जाते हुए पति को बाधा, व्यापारी पति की पत्नी की दुख आदि विभिन्न विषयक गीत नांव चलाते हुए गाते हैं।

आख्यान गीत :-

असमीया आख्यान मूलक लोकगीत को मूलतः तीन भागों विभाजित किया जा सकता है।

– ऐतिहासिक आख्यान गीत।
– जनश्रुति मूलक आख्यान गीत।
– काल्पनिक आख्यान गीत।

1. ऐतिहासिक आख्यान गीत :–

असमीया ऐतिहासिक आख्यान गीतों में से बरफुकन की गीत, हरदत्त, वीरदत्त की गीत, मणिराम देवानी गीत, चिकन साहित्य का गीत, नाहर की गीत, जयमती कुवँरी की गीत, गौरी नाथ सिंह का गीत आदि उल्लेखनीय है। इसमें से कुछ सम्पूर्ण और ज्यादातर असम्पूर्ण रुप में पाया जाता है। नाहर के गीत को सबसे प्राचीन और मणिराम देवान के गीत को सबसे अंतिम माना जाता है।

चिकन सरियह जयध्वज सिंह के शशुर और नाउबैचा फुकन का पुत्र था। वह अत्यन्त सुन्दर और हल्का था। उनके सात भाइयों ने चल–कपट से राज सिंहासन दखल करना चाहता था किन्तु राजा इस बात को जानकर उसको स–परिवार बध किया। गीत में इस बात को ही वर्णित किया गया है।

ऐतिहासिक आख्यान मुलक गीतों में प्रसिद्ध चरित्र विशेष का करुण परिणति को दिखाना ही इसका मूल उद्देश्य था।

2. जनश्रुति मुलक आख्यान गीत :–

जनश्रुति मूलक आख्यान गीत का रचना काल सम्बंध में जानना मुश्किल है। इन में से फूल कोवँर का गीत, मूलागभरु का गीत, कमला कुँवरी का गीत, राधिका शान्ति का गीत, दुवला शान्ति का गीत। इनमें से मूलागाभरु के गीत अत्यन्त प्राचीन माना जाता है। फुलकुँवर और मनिकुँवर का गीतों में उल्लेखित 'शकंल देउ' के साथ मिलाना ग्रहणयोग्य नहीं है। फूल कुवँर और मणिकुवँर और मूलागाभरु के गीतों में अहोम राजत्व काल का परिवेश पाया जाता है।

3. काल्पनिक गीत :–

कन्या वारमाही गीत, दुक्ला शान्ति का गीत, लीलावती गीत, जन धन वनिया का गीत प्राय एक ही प्रकार की गीत है। इन गीतों में विदेश में रहने वाला पति, प्रेमिक पति का विरह वेदना और उस अवस्था में मन के नैसंर्गिक पारिपार्सि्वक प्रभाव का वर्णन किया जाता है। विभिन्न महिनें की प्राकृतिक परिवर्तन और उसके सौन्दर्य में घर में आवद्ध नारी ह्रदय में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं उसका सुन्दर चित्र इन गीतों में पाया जाता है।

इस प्रकार हर प्रकार की आख्यानमूलक गीत के रचनाकार एक न होते हुए भी और कथावस्तु की भिन्नता रहते हुए भी रचना पद्धति और वाक्य रचना सबका एक ही रूप दिखाई पड़ता है। मानव जीवन की आदिम भाव और समस्त प्रकृति इन गीतों में प्रस्फुटित हुआ है। दुस्साहसिक घटना, अद्भूत साहस, वीरत्व, वेदना, प्रेम–प्रीति, घृणा, सतीत्व आदि सभी गीतों का उपदान है।

आख्यान मूलक गीत और अन्यान्य लोकगीत में ऐसा कुछ पक्ति मिलता है जो हर लोक गीत में विचरण करते है और सबमें जगह लेते हैं।

जिकिर और जारी :–

असम में निवास करने वाले मुसलमानों के बीच में प्रचलित जिकिर और जारि गीत को भी लोक गीत के अन्तर्गत रखा जा सकता है। जिकिर शब्द का अर्थ है 'आल्ला' का नाम स्मरण करना। इस्लाम धर्म सम्बधित रीति, नीति, आचार–व्यवहार, और आल्लाह के नाम, गौरव, और महात्मा इन गीतों के माध्यम से प्रकट हुआ है। प्रायः सभी जिकिर में आजान पीर या चाह मिलन का नाम प्रचलित है। जारी गीत शोक गीत है, ये सब मौखिक गीत है। कारवाला की करूण कहानी के पटभूमि पर लिखी गयी गीत है। अरबी इतिहास के आधार पर लिखी गई

यह गीत अपनी मूल रूप बदलकर मूलतः असमीया रूप ले लिया है।

देह बिचार का गीत :–

देह बिचार का गीत और टोकारी गीत मूलतः आध्यात्मिक भाव बोधक है। बंगाल में 'बाउल' सब दोतारा लेकर गाते हुए घुमने वाला 'बाउल गीत' की तरह असम के वैरागी, भितर पकीया भकत टोकारी बजाते हुए गाने वाला गीत देह बिचार का गीत है। देह में ही चौदह बह्मांड है और ये शरीर इस बह्मांड का क्षुद्र अंश है और यही देह बिचार के गीत का प्रतिपाद्य है। इन गीतों में शरीर को कभी संसार रुपी नदी में छोड़ने वाली नावं के रूप में, कभी न द्वार युक्त नगर के साथ तुलना, इसके अतिरिक्त शरीर के अन्दर रहते 'न चक्र' इड़ा, पिंगला, सुषुन्मा, नारी की अवस्थिति, कुण्डलीनी, शक्ति का जागरण और इसका गति, जीवन की नश्वरता, दैहिक संयम तथा गुरु का साहार्य, योग साधना मार्ग का आध्यात्मिक आभास मिलता है। प्रायः सभी गीतों में माधव देव का नाम उल्लेख मिलता है किंतु मूलतः ये गीत माधव देव का रचित नहीं है। ये गीत तांत्रिक योग मार्गीय प्रभाव के फलस्वरूप सृष्ट रचना है। नाथ पंथी, साधु तथा तान्त्रिक योग मार्गीय और शाक्तमार्गी प्रभाव के फलस्वरूय सृष्ट है। ये गीत मूलतः रुपकात्मक है।

एक उदाहारण देखिए :–

घोष : सोणर पुतलि वाचा कार घाटे ज्वले ऐं
कोने दिब अन्न जल, कोने लबै कोले।।
पद : हरि ए, निर्धुनिया नौकाखनि बिंधिलेक घुणे
तल गैला नर नौका भाहि तिनि दिने
सुकाथिरे रूवाकामि माणिकरे बेरा।
ताते बहि भोजन करे शगुन बपुरा।।
परूवा पिपराइ जेन मुरे तोले माटि।
खसिया खसिया यमे शरीररे गाथि।।
आगे नाई पाचे नाई माझे नाई छरि।
गुरि काण्डारी नाई नौका फुरे घुरि
काउरी मैला नाउर कांडारी शगुण महादानी
शियालिनी दोकान पाते माँस तानि तानि।।
देख देख बन्धु सब जीवर बिलई।
कहय माधव सुन दास एट्टो व।।

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 76-83

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिक सहभागिता : एक तुलनात्मक अध्ययन

डॉ० शिवचन्द्र झा

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, सोना देवी विश्वविद्यालय, घाटशिला, झारखंड।

परिचय :–

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिक सहभागिता, सुशासन के दो ऐसे अभिन्न स्तंभ हैं जो शासन को पारदर्शी, जिम्मेदार और जनकेंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रशासनिक जवाबदेही का आशय है कि शासन तंत्र और उसके अधिकारी अपने निर्णयों, कार्यों और संसाधनों के उपयोग के लिए जनता तथा संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी हों। वहीं, नागरिक सहभागिता का अर्थ है कि सामान्य जनता नीति निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले।

इन दोनों अवधारणाओं का उद्देश्य एक ही है–जनहित को प्राथमिकता देना और शासन को जन–उत्तरदायी बनाना। अंतर केवल दृष्टिकोण और प्रक्रिया का है : जवाबदेही प्रायः 'ऊपर से नीचे' (Top-down) पद्धति पर आधारित होती है, जबकि सहभागिता 'नीचे से ऊपर' (Bottom-up) दृष्टिकोण से कार्य करती है। जहाँ जवाबदेही प्रशासन को अनुशासित और पारदर्शी बनाती है, वहीं सहभागिता नीतियों में वास्तविक जन–आवश्यकताओं और स्थानीय अपेक्षाओं का समावेश सुनिश्चित करती है।

विश्व स्तर पर यह देखा गया है कि जिन देशों में प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिक सहभागिता के बीच संतुलित संबंध स्थापित हुआ है, वहाँ शासन अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन–विश्वास पर आधारित है। अतः दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ये न केवल स्वतंत्र अवधारणाएँ हैं, बल्कि एक–दूसरे के पूरक भी हैं।

शब्द कुंजी :– जवाबदेही, सहभागिता, उत्तरदायित्व, सुशासन, नीति–निर्माण।

भूमिका :–

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता का मूलाधार केवल संस्थागत संरचना या विधिक ढाँचा नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि शासन तंत्र किस हद तक जवाबदेह है और नागरिक किस हद तक सक्रिय भागीदारी करते हैं। लोकतंत्र को यदि एक जीवंत प्रणाली माना जाए, तो प्रशासनिक जवाबदेही उसका 'अनुशासनात्मक हृदय' है और नागरिक सहभागिता उसकी 'जन–शक्ति'। दोनों के बिना शासन व्यवस्था न तो पारदर्शी रह सकती है और न ही जन–अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर सकती है।

'प्रशासनिक जवाबदेही' का तात्पर्य है–प्रशासनिक निकायों, अधिकारियों और कर्मचारियों का अपने निर्णयों, कार्यों और नीतियों के प्रति जनता, निर्वाचित प्रतिनिधियों और वैधानिक संस्थाओं के प्रति उत्तरदायित्व। दूसरी ओर 'नागरिक सहभागिता' का आशय है– साधारण नागरिकों का नीति निर्माण, निर्णय–प्रक्रिया, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेना।

इन दोनों अवधारणाओं का तुलनात्मक अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये शासन के दो परस्पर पूरक पहलू हैं– एक ओर जवाबदेही सुनिश्चित करती है कि शासन पारदर्शी और नैतिक रहे, तो दूसरी ओर सहभागिता यह तय करती है कि शासन वास्तविक जन–आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

ऐतिहासिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि

(क) प्राचीन काल :

यदि हम प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिक सहभागिता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि ये विचार आधुनिक लोकतंत्र से कहीं पहले से अस्तित्व में हैं। प्राचीन भारत में 'राजधर्म' की संकल्पना में यह निहित था कि राजा (या शासक) को अपने प्रजा के हितों के प्रति उत्तरदायी रहना होगा। अर्थशास्त्र (कौटिल्य) और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में शासन के नैतिक और जवाबदेह होने पर बल दिया गया है। ग्रामसभा और जनपद सभा जैसी संस्थाएँ नागरिक सहभागिता के आरंभिक रूप मानी जा सकती हैं।

मध्यकालीन परिप्रेक्ष्य :–

मध्यकालीन भारत में भले ही सत्ता का स्वरूप अधिक केंद्रीकृत और सामंती हो गया, फिर भी स्थानीय स्तर पर पंचायतें और सामाजिक संगठन नागरिक सहभागिता के महत्वपूर्ण माध्यम थे। जवाबदेही मुख्यतः नैतिक और सामाजिक मानदंडों पर आधारित थी, न कि लिखित कानूनों पर।

आधुनिक काल :–

आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के उदय के साथ प्रशासनिक जवाबदेही एक संवैधानिक सिद्धांत बन गई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विधायी निकाय, प्रेस और जनमत के माध्यम से सीमित स्तर पर जवाबदेही और सहभागिता के तंत्र विकसित हुए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने इन दोनों को लोकतांत्रिक शासन की अनिवार्य शर्तों के रूप में स्वीकार किया।

प्रशासनिक जवाबदेही की संकल्पना :–

प्रशासनिक जवाबदेही का मूल उद्देश्य यह है कि सरकारी मशीनरी अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे और जनता के प्रति पारदर्शी एवं उत्तरदायी रहे। इसमें कई आयाम सम्मिलित होते हैं :–

विधिक जवाबदेही :

कानून और संविधान के प्रति उत्तरदायित्व, विधिक जवाबदेही (Legal Accountability) का अर्थ है कि प्रशासनिक तंत्र, शासकीय अधिकारी और सार्वजनिक संस्थाएँ अपने कार्यों, निर्णयों और नीतियों के लिए देश के कानून और संविधान के प्रति उत्तरदायी हों। यह जवाबदेही किसी भी लोकतांत्रिक शासन का मूलभूत आधार है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि शासन मनमानी, पक्षपात या व्यक्तिगत स्वार्थ के बजाय विधि–नियमों और संवैधानिक मूल्यों के अनुसार संचालित हो।

भारत में विधिक जवाबदेही का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि हमारा संविधान एक सर्वोच्च विधिक

दस्तावेज है, जो न केवल नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है, बल्कि शासन के सभी अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार–क्षेत्र, सीमाएँ और परस्पर संबंधों को भी स्पष्ट करता है। विधिक जवाबदेही की अवधारणा को तीन मुख्य आधारों पर समझा जा सकता है :–

कानून के शासन (Rule of Law) का पालन : शासन की हर क्रिया कानून के दायरे में होनी चाहिए, चाहे वह सामान्य प्रशासनिक कार्य हो या नीतिगत निर्णय।

संविधान की सर्वोच्चता : संविधान देश का सर्वोच्च विधिक स्रोत है और कोई भी कानून, नीति या निर्णय संविधान के विपरीत नहीं हो सकता।

न्यायिक समीक्षा : न्यायपालिका के पास यह अधिकार है कि वह शासन के कार्यों की वैधता की जांच करे और आवश्यक होने पर उन्हें निरस्त करे।

भारत में विधिक जवाबदेही के संवैधानिक प्रावधान :–

भारत के संविधान में अनेक अनुच्छेद और प्रावधान हैं जो प्रशासन को कानून और संविधान के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं।

संविधान की सर्वोच्चता :–

अनुच्छेद 13 : ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, शून्य माना जाएगा।

अनुच्छेद 245 और 246 : विधायिका के अधिकार–क्षेत्र की स्पष्ट परिभाषा।

मौलिक अधिकार और उनका संरक्षण :–

अनुच्छेद 32 : नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।

अनुच्छेद 226 : हाई कोर्ट को भी अधिकार है कि वे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर हस्तक्षेप करें।

न्यायिक समीक्षा का अधिकार :–

केस : केशवानंद भारती बनाम राज्य केरल (1973) : मूल संरचना सिद्धांत स्थापित हुआ।

केस : मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) : संसद भी संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती।

प्रशासनिक कार्यों में विधिक जवाबदेही :–

(i) नीतियों का निर्माण :

नीतिगत निर्णय लेते समय कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य है। उदाहरण : पर्यावरण नीतियाँ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत।

(ii) प्रशासनिक आदेश और अधिसूचनाएँ :

सरकारी आदेश तभी वैध होते हैं जब वे संबंधित अधिनियम के अंतर्गत अधिकार प्राप्त हों।

(iii) सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग :

संसाधनों का आवंटन संवैधानिक सिद्धांतों : जैसे समानता (अनुच्छेद 14) और निष्पक्षता के अनुरूप होना चाहिए।

प्रशासनिक कार्यों में विधिक जवाबदेही :–

नीतियों का निर्माण :

नीतिगत निर्णय लेते समय कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य है। उदाहरण : पर्यावरण नीतियाँ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत।

विधिक जवाबदेही के उपकरण और तंत्र :

न्यायपालिका : विधिक उल्लंघन पर न्यायालय आदेश रद्द कर सकता है।

संवैधानिक निकाय :

भारत का चुनाव आयोग : चुनाव प्रक्रिया की विधिक शुचिता बनाए रखना।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) : वित्तीय अनियमितताओं पर रिपोर्ट।

लोकपाल और लोकायुक्त : भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 : पारदर्शिता और विधिक अनुपालन सुनिश्चित करता है।

विधिक जवाबदेही के लाभ :-

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण : कानून के डर से अधिकारी मनमानी नहीं कर पाते।

नागरिक अधिकारों की रक्षा : प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग रोका जा सकता है।

शासन में पारदर्शिता : हर निर्णय का विधिक आधार होता है।

जन-विश्वास में वृद्धि : नागरिकों का भरोसा बढ़ता है कि शासन निष्पक्ष और वैधानिक है।

विधिक जवाबदेही की चुनौतियाँ :

कानूनों की जटिलता : कई बार नियम इतने जटिल होते हैं कि अधिकारी और नागरिक दोनों भ्रमित रहते हैं।

न्यायिक प्रक्रिया में देरी : लंबित मुकदमों के कारण जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है।

राजनीतिक हस्तक्षेप : कई बार कानून का अनुपालन राजनीतिक दबाव में कमजोर पड़ता है।

कानूनों का बार-बार संशोधन : अस्थिरता और अस्पष्टता उत्पन्न होती है।

समाधान और सुधार के उपाय :

कानूनों का सरलीकरण : नागरिक और अधिकारी आसानी से समझ सकें।

न्यायिक तंत्र में सुधार : त्वरित न्याय के लिए विशेष अदालतें।

प्रशासनिक प्रशिक्षण : अधिकारियों को संवैधानिक प्रावधानों का नियमित प्रशिक्षण।

डिजिटल पारदर्शिता : ई–गवर्नेंस से विधिक अनुपालन की निगरानी।

समाधान और सुधार के उपाय :-

कानूनों का सरलीकरण : नागरिक और अधिकारी आसानी से समझ सकें।

न्यायिक तंत्र में सुधार : त्वरित न्याय के लिए विशेष अदालतें।

प्रशासनिक प्रशिक्षण : अधिकारियों को संवैधानिक प्रावधानों का नियमित प्रशिक्षण।

डिजिटल पारदर्शिता : ई–गवर्नेंस से विधिक अनुपालन की निगरानी।

विधिक जवाबदेही किसी भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक शासन का सुरक्षा कवच है। यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता का संचालन कानून के अनुसार हो और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहाँ शासन जटिल और बहुस्तरीय है, विधिक जवाबदेही न केवल प्रशासन की वैधता बनाए

रखने में बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राजनीतिक जवाबदेही : निर्वाचित प्रतिनिधियों और जनमत के प्रति उत्तरदायित्व (Political Accountability) से आशय यह है कि निर्वाचित प्रतिनिधि (जैसे सांसद, विधायक, स्थानीय निकाय सदस्य) अपने कार्यों, नीतियों और निर्णयों के लिए जनता और मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हों।

लोकतांत्रिक शासन में यह जवाबदेही केवल नैतिक दायित्व नहीं बल्कि शासन की वैधता (Legitimacy) और जन विश्वास (Public Trust) बनाए रखने का आधार है।

राजनीतिक जवाबदेही का महत्व इस प्रकार है :–

- सत्ता के दुरुपयोग पर रोक।
- जनहित में निर्णय–निर्माण।
- पारदर्शिता और जनता के साथ संवाद।
- राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक परंपरा का संरक्षण।

नैतिक जवाबदेही (Ethical Accountability) :-

नैतिक मूल्यों और आचरण संहिता के पालन की बाध्यता, व्यक्ति, संगठन, या सार्वजनिक पदाधिकारी का अपने कार्यों, निर्णयों और आचरण में ऐसे मानकों का पालन करना, जो केवल कानून तक सीमित न हों, बल्कि नैतिक मूल्यों, ईमानदारी, निष्पक्षता, और जनहित की कसौटी पर भी खरे उतरें।

जहाँ कानूनी जवाबदेही केवल विधि और संविधान के उल्लंघन पर केंद्रित होती है, वहीं नैतिक जवाबदेही यह देखती है कि कार्य नैतिक दृष्टि से उचित, न्यायसंगत और समाज के हित में हैं या नहीं।

यह अक्सर आत्म–नियंत्रण (Self-regulation) और आंतरिक विवेक (Moral Conscience) पर आधारित होती है।

नैतिक जवाबदेही के प्रमुख स्तम्भ :-

- **सत्यनिष्ठा (Integrity) :** स्वार्थ से ऊपर जनहित को रखना।
- **ईमानदारी (Honesty) :** तथ्य, आंकड़े और परिस्थितियों का सही प्रस्तुतीकरण।
- **निष्पक्षता (Impartiality) :** जाति, धर्म, लिंग, वर्ग या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त निर्णय।
- **पारदर्शिता (Transparency) :** कार्य और निर्णय प्रक्रिया को स्पष्ट रखना।
- **उत्तरदायित्व (Responsibility) :** गलती होने पर उसे स्वीकारना और सुधार के लिए कदम उठाना।
- **लोकहित प्राथमिकता (Public Interest Priority) :** निजी लाभ से पहले समाज के कल्याण को महत्व।

शासनिक जवाबदेही (Administrative Accountability) :-

किसी भी प्रशासनिक तंत्र (सरकारी विभाग, अर्ध–सरकारी निकाय, स्वायत्त संस्थाएं आदि) में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी अपने उच्चाधिकारियों तथा आंतरिक नियंत्रण–तंत्र के प्रति अपने कार्य, निर्णय और आचरण के लिए उत्तरदायी हों।

यह जवाबदेही मुख्य रूप से आंतरिक (Internal) होती है, जिसका उद्देश्य संगठन के भीतर अनुशासन, दक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना है, ताकि नीतियों और योजनाओं का कार्यान्वयन सही ढंग से हो सके।

- **आंतरिक नियंत्रण :** कार्यों का मूल्यांकन विभागीय/संगठनात्मक स्तर पर।
- **श्रृंखलाबद्ध उत्तरदायित्व :** अधीनस्थ अपने वरिष्ठ को जवाबदेह, वरिष्ठ अपने उच्च अधिकारी को, और अंततः मंत्री/प्रधान कार्यकारी को।
- **नियमों और प्रक्रियाओं का पालन :** सेवा नियम, कार्यप्रणाली मैनुअल, प्रशासनिक दिशा–निर्देश।
- **प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन :** कार्य की गुणवत्ता, समयसीमा और परिणाम पर आधारित आकलन।
- **अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान :** नियम तोड़ने या लापरवाही पर दंड।

प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के आंतरिक तंत्र :-

- **सेवा नियम और आचार संहिता** – Central Civil Services (Conduct) Rules, All India Services Rules आदि में स्पष्ट प्रावधान।
- **आंतरिक ऑडिट और निरीक्षण** – वित्तीय और प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों की जांच।
- **वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (Annual Confidential Report – ACR / APAR)** – प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी का वार्षिक मूल्यांकन।
- **निगरानी समितियाँ और सुपरविजन** – नियमित मीटिंग, प्रगति रिपोर्ट, फील्ड इंस्पेक्शन।
- **अनुशासनात्मक कार्यवाही तंत्र** – चेतावनी, वेतन कटौती, निलंबन, सेवा समाप्ति जैसी सजाएँ।
- **आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र** – विभागीय स्तर पर शिकायत निवारण समितियाँ, विजिलेंस डिवीजन।

जवाबदेही एक प्रकार का Top-down Mechanism है–अर्थात यह ऊपर से नीचे की ओर अनुशासन और नियंत्रण की प्रक्रिया है।

नागरिक सहभागिता की संकल्पना :-

नागरिक सहभागिता (Citizen Participation) लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक अनिवार्य तत्व है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आम नागरिक नीति–निर्माण, योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र का सार केवल मत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें जनसामान्य की सक्रिय, निरंतर और सार्थक भागीदारी भी शामिल है। नागरिक सहभागिता, शासन के प्रति पारदर्शिता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करती है।

- **चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी :** मतदान, उम्मीदवार बनना, प्रचार।
- **स्थानीय निकायों में योगदान :** ग्राम सभा, नगर सभा की बैठकें।
- **जन सुनवाई और सामाजिक अंकेक्षण :**
- **साझेदारी आधारित विकास योजनाएँ :** जैसे स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियाँ।
- **ऑनलाइन सहभागिता :** ई–गवर्नेंस, डिजिटल फीडबैक प्लेटफॉर्म।

यह एक Bottom-up Mechanism है– अर्थात नीचे से ऊपर की ओर विचार, सुझाव और आवश्यकताओं को पहुँचाने की प्रक्रिया।

दोनों के बीच तुलनात्मक दृष्टि :-

पहलू	प्रशासनिक जवाबदेही	नागरिक सहभागिता
दृष्टिकोण	Top-down (ऊपर से नियंत्रण)	Bottom-up (नीचे से पहल)

उद्देश्य	पारदर्शिता, अनुशासन, भ्रष्टाचार–नियंत्रण	नीतियों में जन–आवश्यकताओं का समावेश
माध्यम	विधिक, संवैधानिक और संस्थागत तंत्र	जनसभाएँ, सामाजिक अंकेक्षण, जनमत
लाभ	शासन में दक्षता, पारदर्शिता	जनसंतोष, नीतियों की प्रासंगिकता
सीमाएँ	कठोरता, नौकरशाही	समय और संसाधनों की मांग, विविध हितों का टकराव।

आधुनिक संदर्भ में महत्त्व :–

आज के वैश्वीकरण, डिजिटल क्रांति और सूचना युग में प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिक सहभागिता दोनों का स्वरूप बदल चुका है। सूचना का अधिकार (RTI), सोशल मीडिया, ई–गवर्नेंस पोर्टल और जन–सुनवाई जैसे तंत्रों ने जवाबदेही को तेज और पारदर्शी बनाया है। दूसरी ओर, नागरिक सहभागिता अब केवल स्थानीय सभाओं तक सीमित नहीं रही ऑनलाइन याचिकाएँ, डिजिटल पोलिंग और वर्चुअल कम्युनिटी मीटिंग्स के रूप में इसका विस्तार हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण :–

विकसित देशों में जवाबदेही और सहभागिता के बीच मजबूत तालमेल देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए–

– स्वीडन में ओपन गवर्नमेंट मॉडल के तहत हर सरकारी दस्तावेज जनता के लिए उपलब्ध होता है।
– ब्राजील में पार्टिसिपेटरी बजटिंग के माध्यम से नागरिक बजट निर्माण में सीधे भाग लेते हैं।
– भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) में सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य किया गया है।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जवाबदेही और सहभागिता साथ मिलकर शासन को अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और प्रभावी बनाते हैं।

चुनौतियाँ :–

संस्थागत कमजोरी : जवाबदेही तंत्र का प्रभावी न होना।

राजनीतिक हस्तक्षेप : निर्णय प्रक्रिया पर पक्षपात का असर।

जन जागरूकता की कमी : सहभागिता के अवसरों की जानकारी न होना।

संसाधनों की कमी : विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में।

तकनीकी अवरोध : डिजिटल सहभागिता के लिए इंटरनेट व तकनीकी कौशल का अभाव।

निष्कर्ष :–

"प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिक सहभागिता : एक तुलनात्मक अध्ययन" से यह स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता केवल प्रशासनिक संरचनाओं पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और सतत जवाबदेही प्रणाली पर भी आधारित होती है। प्रशासनिक जवाबदेही से शासन में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण सुनिश्चित होता है, वहीं नागरिक सहभागिता से शासन में जनमत, सामाजिक अपेक्षाएँ और सामूहिक हित सम्मिलित होते हैं।

तुलनात्मक दृष्टिकोण से यह निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ जवाबदेही प्रशासन को जिम्मेदार बनाती है, वहीं सहभागिता नागरिकों को अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग करती है। दोनों का संतुलित समन्वय ही सुशासन (Good Governance) की आधारशिला है। अतः लोकतंत्र में प्रशासन और नागरिक के बीच उत्तरदायित्व एवं सहभागिता का संबंध जितना सशक्त होगा, शासन उतना ही प्रभावी, न्यायपूर्ण और विकासोन्मुख होगा।

संदर्भ :–

1. Vipil Mudgal, Claiming India from Below : Citizen Activism and Democratic Transformation", Routledge India, New Delhi India, 2016
2. Riccardo Pelizzo and Frederick Stapenhurst, Government Accountability and Legislative Oversight", Routledge Research in Comparative Politics, London, United Kingdom, 2014
3. Arend Lijphart, Democracies: Patterns of Majoritarian & Consensus Government in Twenty-one Countries,Yale University Press, New Haven, USA, 1984
4. एम. लक्ष्मीकां, लोक प्रशासन, McGraw Hill Education, New Delhi, 2012
5. डॉ. एस. आर. महेश्वरी, लोक प्रशासन तथा भारतीय प्रशासन, Lakshmi Narain Agarwal Educational Publishers (LNA) , Agra, India, 2017
6. Kapil Kumar, Enhanching the dignity of visually disabled citizen the role of government and non government organizations in India, Dept. of Political Science, University of Delhi, 2017 https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/372985
7. दुर्गा दास बसु, भारतीय संविधान : एक परिचय, LexisNexis, गुड़गांव हरियाणा, 26वाँ संस्करण (2022)
8. लाखा राम चौधरी, 'ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थाएं', लाखा राम चौधरी, Rawat Publications, New Delhi, 2021

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 84-89

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

The Walnut Tree: A Crop of Economic and Health Importance in Uttarakhand

Bharti Bahuguna

Department of Chemistry, Govt. Degree College, Haldwani Sahar
Kishanpur, Gaulapar, Haldwani

ABSTRACT :

Tree crops stabilize the soil and check soil erosion, increase ecosystem sustainability, promote maximum use of wastelands and cultivable wastelands, and yield more economic returns. In area and production, Uttarakhand is second only to Jammu and Kashmir, but produces only 8.47% of the total production of India.(https://jicauttarakhand.org/walnut-development)In 2024, Uttarakhand produced 5.440 tons. Walnuts are a rich source of vitamin A, vitamin E, and essential fatty acids. Walnut oil is a rich source of Omega-3 and Omega-6 fatty acids, consisting of alpha-linolenic acid (ALA) among them. Several of the health benefits of the intake of walnuts have been the subject of research in recent years, including reducing blood levels of LDL cholesterol and total cholesterol, thus improving cardiovascular health. Amongst the several bioactive constituents present in the different parts of the walnut, Juglone has been identified as a major anti-cancer agent in the treatment of malignant cancers. The soap and cosmetics industries are the major consumers of walnut oil.

Keywords – Production of walnuts, Economic significance, Nutritional benefits, Therapeutic properties, Additional applications.

INTRODUCTION :

Uttarakhand is one of the small hill states of India. Climatic conditions and topography of Uttarakhand are extremely favorable for the cultivation of various temperate and subtropical fruits. Now, more than 17000 ha of area is being put to use in cultivating walnuts in the state. Walnut, also referred to as Juglans regia, is one of the most useful and largest trees in the world(Sharma et al.,2022a). Walnuts are of utmost significance from the nutritional and medicinal point of view because they contain several significant minerals, vitamins, and biologically active compounds. Walnut has numerous advantages, like heart health, brain performance, weight control, and mood enhancement.

Uttaranchal's economy is highly reliant on horticultural product like Apples, Nut fruits, and off-season vegetables, and tourism. Horticulture has a significant role to play in the state's main agricultural economy. More importance is accorded to this sector because the topography and terrain of these hills are most suitable for tree crops. Tree crops can bind soil and suppress soil erosion, preserve the ecosystem, ensure optimal utilization of marginal and cultivable wasteland, and provide higher returns. Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Arunachal Pradesh are the prominent walnut-producing states of India[1]. Various varieties of Walnut, which are grown in India, are Lake English, Drainosky, OpexCaulchry, Eureka, Placentia, Wilson, FranqueffeChakrata-selection, etc. In Uttarakhand, Chakrata selection variety of Walnut is grown.

PRESENT STATUS OF THE WALNUT ECONOMY IN UTTARAKHAND :

Uttarakhand is next to the largest state, Jammu and Kashmir, in production and size, but accounts for merely about 8.47 % of India's production. The National Horticulture Board has projected 17260 ha of walnut production and 19340 mt production in 2016-17 in Uttarakhand. Major districts of the state that yield walnuts are Almora, Dehradun (temperate regions), and Pauri Garhwal[2].

Walnut production in Uttarakhand during 2012-2024 is provided below :

Year	Production
2012	22.008 metric tons
2014	17,060 metric tons
2015	22.222 metric tons
2016	19.323 Ton
2017	20.468 metric tons
2018	21.170 Ton
2019	20.058 Ton
2020	20.370 metric tons
2021	18.933 metric tons
2022	18.933 Ton
2023	9.683 metric tons
2024	5.440 Metric Tons

Uttarakhand figures were given as 5.440 tonnes in 2024. This is below the previous figure of 9.683 tonnes in 2023. The highest figure was 22.222 tonnes in 2015, and the lowest was 5.440 tonnes in 2024. This fact is an extremely bad scenario.

PRESENT STATUS OF WALNUT ECONOMY IN INDIA :–

Walnuts in India are cultivated in four states, with 90% of the whole in Jammu and Kashmir

and the remaining 10% in Uttarakhand, Himachal Pradesh, and Arunachal Pradesh. The Total walnut area is 67053 hectares, and the yield is over 71758 metric tons (S.D.Sharma, K.Kumar). Most of the walnuts that are being exported and produced in India are from Jammu and Kashmir, withthe highest exports in the nation (Hassan et al.,2013:Sharma et al., 2021a). The food nuts are an economic backbone in J&K because they possess the highest quality fruit (Sharma et al.,2021). The total demand for walnuts in India is slated to grow from 36,000 tonnes currently being produced to 72,550 tonnes in 2020/21. India will have to add more areas in order to fill the expected demand.[3]

CLIMATIC CONDITIONS :

Walnut production does well in temperate belts at altitudes ranging from 900-3500m. Walnuts are not tolerant of low temperatures in spring and hot temperatures in summer. It should be cultivated in a climatic regime that is frost-free in spring and hot weather-free in summer. Early frost also damages young shoots, making them unable to leaf out in the following spring. When at bloom, a temperature of even 2-3 degrees centigrade below freezing leads to the killing of most young flowers. Nuts are sensitive to excessive heat.In summer, while the warmth is developing, the kernel temperatures over 27 degrees centigrade can darken or even shrivel kernels. Walnut production is vulnerable to cold in winter and late spring, with the latter causing special damage to common walnuts as they often exhibit early signs of bubbling[4].

Nutritional Value of Walnuts - Nutritional Value: Each 100 grams of walnuts contains :

Water	-	4 gm.
Iron	-	2.9 mg.
Energy	-	654 K Cal.
Zinc	-	3 mg.
Fat	-	65 gm.
Copper	-	1.5 mg.
Protein	-	15.23 gm.
Vitamin C	-	1.3 mg.
Carbohydrate	-	13.7 gm.
Vitamin B-1	-	0.34mg.
Fiber	-	6.7 gm.
Vitamin B-2	-	0.15 mg.
Potassium	-	441 mg.
Vitamin B-6	–	0.53mg.
Calcium	-	98 mg.

Vitamin A	-	41 I U.
Sodium	-	2 mg.
Vitamin E	-	2.9 mg.
Phosphorus	-	346 mg.
Niacin	-	1.9 mg,

(Source – United States Department of Agriculture – Nutrient Database)

MEDICINAL BENEFITS :

Walnut is a rich source of Vit-A, Vit-E, and fatty acids. Walnut oil is a rich source of Omega-3 and Omega-6 fatty acids, and ALA (alpha-linolenic acid). Walnut oil hasgood moisturizing, anti-aging, and regenerative properties. Walnut oil is used in general cosmetic formulation as an active principle or carrier oil. Walnuts keep the liver clean. Walnut leaves are used in Diarrhea, and oil is utilized to kill tapeworms. Some of the medicinal benefits of walnut ingestion have been recently researched, e.g., reducing blood LDL and total cholesterol levels, which maintain cardiovascular health [5, 6]. Walnut phytochemicals have been obtained, e.g., phytosterols, phenolic compounds, tocopherols, etc., which are possibly accountable for medicinal values like antioxidant, anti-inflammatory, and heart diseases like atherosclerosis [7]. Polyphenols have a biological role in health-related complications in a particular walnut, e.g., antioxidants. The walnut kernels also contain fatty acids, some minerals (calcium, magnesium, phosphorus, potassium), and protein; they are also rich sources of vitamins, e.g., B6 and niacin[7, 8, 9],. Other traditional uses of walnuts include effectiveness as a laxative, anthelminthic, and mosquito repellent. Traditionally, these various parts of the walnut tree have also been employed in medicine to treat fever, kidney disease, gastrointestinal disturbances, ulcers, toothache, and snake bite [10, 11]. Amongst the various bioactive compounds in the various plant parts, Juglone has been identified as an important anti-cancer compound in treating lethal cancer[12].

The benefits of walnuts to diabetes have been brought to light via a study that was published in Diabetes Care in 2010, which found that daily intake of 2 ounces of walnuts improves blood flow in type 2 diabetics. Additionally, a previous study found that eating walnuts allows type 2 diabetes patients to lower their LDL cholesterol by 10%.

Heart's health benefits :

Walnuts have also been found to reduce LDL cholesterol (bad cholesterol) and the C-reactive protein (C R P). CRP was recently identified as an independent marker and predictor of heart disease.[13]

ALTERNATIVE USAGE :

Walnut consumption in the Indian confectionery, chocolate, and ice-cream industries is increasing. The soap and cosmetics industries are large consumers of walnut oil. Apart from being a

good food item, and of course, a good wood for furniture, dashboards, and even gunstocks. Walnut shells are a specialist polish medium. The majority of the Walnut tree supplies dyes. Similar to vegetable dyes, Walnut provides a soft, variable color to the material.

Walnut shells have far-reaching applications as a natural abrasive in blast cleaning operations. They are used to strip paint, rust, and other impurities from a variety of surfaces without damaging the underlying material. Walnut shell abrasives are perfect to clean sensitive surfaces, i.e., cars, boats, and airplanes. The mild abrasive nature of the walnut shell is a favorite ingredient in exfoliating body scrubs.

Walnut shells are used widely as a natural substitute for plastic microbeads, which have been prohibited in numerous countries due to their effects on the environment. Ground walnut shells are employed widely in toothpaste and dental cleaning products as a natural abrasive agent. The porous nature of the walnut shell makes it a perfect means of filtering and adsorbing impurities from water. It is used in water treatment plants to strip oil, heavy metals, and other impurities, providing clean and safe water for drinking and industrial use[14].

CONCLUSION :–

As a result of medicinal, nutritional, and many other advantages, walnut farming is very beneficial. India shipped 638.07 MT of Walnuts to the world in 2023-2024 worth Rs 20.02 crores or 2.41 USD million (stair.co: Exportimportdata.in). Uttaranchal needs to diversify its agricultural economy urgently, and walnut cultivation is a good opportunity. The walnut crop will assist in the development of employment opportunities and raise the income level of the masses. They will also give permanent green cover to the soil in addition to being a soil binder therapy to check soil erosion. The Nut and Dry Fruit Council of India (NDFC (I)) started a walnut plantation initiative at Chakrata in Uttarakhand. The campaign is aimed at increasing nut production, curbing imports, and benefiting local farmers (By B.L. Kochi Bureau.Updated –January 02, 2025 at 07:18 PM)[15].

REFERENCES :

1. M. L. Dewan; Jagdish, BahadurUttarakhand –Vision and Action Programme, 2005
2. Walnut Development -November 8, 2023. By ufrmpadmin Activities under UFRMP-JICA
3. S.P. Malhotra, D.L.McNeil; Economics of Walnut Production in India.Acta Hortic.2010.861.30
4. M. Belair, A. Picot, O. Lepais, C. Masson, M.N. Hébrard, A. Moronvalle, G. Comont, V.M. Gabri Martin, S. Tréguer, Y. Laloum, M.F. Corio-Costet Genetic diversity and population structure of Botryosphaeria dothidea and Neofusicoccum parvum on English walnut (Juglans regia L.) in France Sci. Rep., 14 (2024), Article 19817

5. T. Fukuda, H. Ito, T. Yoshida Antioxidative polyphenols from walnuts (Juglans regia L.) Phytochemistry, 63 (2003), pp. 795801
6. .M.Tindall,K.S.Petersen,A.C.Skulas-Ray, C.K. Richter, D.N. Proctor, P.M. Kris-Etherton Replacing saturated fat with walnuts or vegetable oils improves central blood pressure and serum lipids in adults at risk for cardiovascular disease: a randomized controlled-feeding trial J. Am. Heart Assoc., 8 (2019), Article e011512
7. K.R. Paudel, U.-W. Lee, D.-W. Kim Chungtaejeon, a Korean fermented tea, prevents the risk of atherosclerosis in rats fed a high-fat atherogenic diet J. Integr. Med.., 14 (2016), pp. 134-142
8. J.NogalesBueno, B. BacaBocanegra, J.M. HernándezHierro, R. Garcia, J.M. Barroso, F.J. Heredia, A.E. Assessment of total fat and fatty acids in walnuts using near-infrared hyperspectral imaging Front. Plant Sci., 12 (2021), Article 729880
9. K.S. Robbins, E.-C. Shin, R.L. Shewfelt, R.R. Eitenmiller, R.B. Pegg. Update on the healthful lipid constituents of commercially important tree nuts. J. Agric. Food Chem., 59 (2011), pp. 12083-12092
10. X Zhou, X. Peng, H. Pei, Y. Chen, H. Meng, J. Yuan, H. Xing, Y. Wu. An overview of walnuts application as a plant-based Front. Endocrinol., 13 (2022), Article 1083707
11. Z. Chaudhary, R.A. Khera, M.A. Hanif, M.A. Ayub, L. Hamrouni. Walnut Medicinal Plants of South Asia, Elsevier (2020), pp. 671-684
12. Munish Sharma, Munit Sharma, and Munish Sharma; A Comprehensive review on ethnobotanical, medicinal and nutritional potential of Walnut (Juglans regia L.), Pub Proc.Indian Natl. Sci. Acad. 2022 Sep 22;88(4):601–616. doi: 10.1007/s43538-022-00119-9
13. Gloria.Tsang, R.D.; July-02,2012.
14. https://www.petronaftco.com/uses-properties-walnut-shell/What are the uses and properties of the walnut shell? OCTOBER 28, 2022 Updated: July 26, 2023
15. B.L. Kochi Bureau..Updated –January 02, 2025, at 07:18 PM)16.
16. Munish Sharma, Munit Sharma, Sudam Charan Sahu, Deepak Sharma; Walnut as Functional Food and Nutraceutical: A Bibliometric study of research trends on nutritional potential, phytochemistry, and its health benefits. Food and Humanity; Vol-3, December 2024, 100387.
17. S.D.Sharma,K.Kumar(2001) Present Status and Problems of Walnut Cultivation in India;Acta Hortic544,599-604.

ADDRESS:- Dr. Bharti Bahuguna, GDC Haldwani Shehar, Gaulapar, Haldwani-263139
E-Mail: bahugunabharti@yahoo.in, Phone No. 9411164291

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 90-97

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Gender Equality in Indian Politics : An Exploration of Women's Reservation through a Constitutional Lens

ARCHANA JADON

Research Scholar, Jiwaji University, Gwalior.

Abstract :

Background : Gender equality in political representation is a vital issue in the Indian context. Although the Constitution guarantees equality through Articles 14, 15, and 16, women's political representation is historically constrained. After around 30 years of political advocacy and activism, the 73rd and 74th Amendments to the Constitution have taken an important first step towards gender equality in governance at the local level through reservations for women.

Purpose : The research explores women's reservation in Indian politics through a constitutional perspective, keeping in view its historical evolution, judicial interpretations of women's reservations, and challenges related to policy implementation including the Women's Reservation Bill.

Methodology : The research uses qualitative constitutional and policy analysis based on legislative history and judicial decisions as well as global comparative quota systems to analyze affirmative action for women's political representation.

Findings : The results showed that reservations for women have changed the face of grassroots governance and provided an emblematic value of empowerment for women, state and national legislative bodies continue to demonstrate inadequate women representation. While the

constitution has provided support for the Women's Reservation Bill, political inertia and an unfriendly institutional context have made it difficult to implement gender quotas for women.

Practical Implications : The study suggests that introducing constitutional or enabling quotas for women will not suffice in fostering equitable and inclusive governance. In addition to constitutional quotas, political reform, capacity development and learning from best practices at a global level are important components of equitable representation for both women and men.

Keywords : Gender Equality, Women's Reservation, Indian Politics, Constitutional Provisions, Political Representation

1. Introduction :

The debates in Indian politics in relation to equal rights for men and women have garnered a lot of attention, particularly in regard to the political representation of women through Constitutional provisions like reservations. The phrase political representation goes way beyond just filling in seats in legislatures; it provides women their rare opportunity to come to terms with governance, policy-making, or even assist in democratizing the institutions. Indian politics has historical issues of women being underrepresented. The relevant constitutional articles, e.g., 14, 15, and 16 maintain the spirit of equality before law, forbidding discrimination on the basis of sex, but political structures did not just evolve spontaneously to deliver on the promise of equal representation.[1] In democratic systems, political representation is a critical mechanism to provide visibility and voice to the marginalized sections. In India, through the "73rd and 74th Constitutional Amendments of 1992, one-third of all seats are reserved for women in the institutions of local governance namely Panchayati Raj and urban local bodies", this stay an important landmark in the exercise of political decentralization for democratizing participation.[2] The action has given momentum to tangible advances in "women's political participation at the grassroots", reflecting both symbolic and substantive gains. At the same time, unacceptably low representation remains at state and national levels where women constitute less than 15% of the Lok Sabha in 2019. A very significant move to address this undermatched representation is the proposed "Women's Reservation Bill, to reserve 33% of seats in Parliament and State

[1] R. Chaubey, *Gender Disparities in Political Participation: A Case Study of Indian Democracy* (Journal of East-West Thought [JET], 2025) 15(1): 230–242.
[2] B.V. Reddy, *Political Participation of Women and Representation in Politics – A Study* (2024).

Legislatures for women". Some hold that such affirmative action is warranted to change deeply embedded patriarchal norms and structural inequality.[3] The constitutional lens legitimizes and moralizes such actions, which makes representation not just representational, but one of empowerment. From a gendered lens, studying political representation in India requires studying the interrelationship of constitutional guarantees, institutional reforms, and the socio-cultural realities of the time. The women's reservation debate challenges our ability to critique the boundaries of representative democracy and, additionally, requires a reconsideration of citizenship and agency in the Indian political landscape.[4]

2. The Indian Constitutional Framework and Gender Justice :

From a gender justice perspective, the Indian Constitution provides an essential legal basis and is often praised for its favorable ideological stance towards equality. Articles 14, 15, and 16 guarantee the principles of equality before law, non-disadvantage on the ground of sex, and equality of opportunity, with respect to employment or appointment to any office under the state. These guarantees constitute the original basis for educating women's administrative participation in India. There are also express constitutional obligations for improving gender equality in political participation included in Articles 39(a) (equal right to an adequate means of livelihood for men and women) and 51A(e) (to renounce practices derogatory to the dignity of women).[5] However, on the ground, the realities of Indian politics often show that there are deep-seated inequalities regarding gender. The introduction of the 73rd and 74th "one-third reservations for women in panchayati Raj institutions" in 1992 was a significant contributions that not only allowed for women to access formalized political structures but also expanded the definition of participatory democracy.[6] These constitutional amendments afforded legal entitlement, institutional space, and rights for women to be represented, particularly for women from marginalized communities, and also aimed to redress past injustices arising from structural exclusion. In spite of these positive developments, the initial tussle for similar quotas for "women in the state assemblies and in the national Parliament continues to create a political

[3] Y. Modi & M. Kumar, *Bridging the Gap: Women's Reservation and the Right to Equality* (Jus Corpus L.J., 2024) 5: 413.
[4] K. Kamala & G. Kamalakar, *Gender Equality and Human Rights: A Contemporary Analysis* (Int'l J. Political Science, 2024) 6500(6000): 31.
[5] A. Kumar & P.K. Kulshrestha, *Examining the Contribution of the Judiciary in Promoting Gender Equality in India* (2023).
[6] N.K.S. Kori, *Strategies for Enhancing Women's Political Participation: Insights from Uttarakhand, India* (2024).

spark. Supporters of the Women's Reservation Bill, that as tabled in 1996, sought to reserve 33% of seats for women in legislatures, have not been able to get the proposed provision on to statute books". If one consideration has continued to dominate the arguments against reservations, it is the question of merit. It is primarily a question of merit. Both the supporters of the "Women's Reservation Bill" and the opposition have argued over whether the notion a reservation is contrary to meritocracy, with those in support of reservations saying that the Constitution provides an entitlement to equality between men and women and to equity and inclusion for women through constitutive action. According to the Oxford Research Encyclopedia, gender quota provisions have come into being because there is a global political consensus to revise institutions of governance that withhold equal political representation to some people.[7] Therefore, the Indian constitutional structure presents as aspirational and inclusive on the page, but it requires a lot of implementation and political will in order for its aspirations to become a reality when it comes to gender justice.[8]

3. Historical and Legislative Journey of the Women's Reservation Bill :

The "Women's Reservation Bill, which seeks to afford women 33% representation in the Parliament of India and State Legislative Assemblies", has had a fragmented legislative history up to this point. The bill is rooted in the legal requirements for impartiality as noted in Articles 14, 15 and 16, which prohibit discrimination based on sex and give equal opportunity. While the "73rd and 74th Constitutional Amendments of 1992 granted one-third reservations for women in local government (Panchayati Raj)" there has been a political hesitance by governments to pursue a quota for women in national politics.[9] The Women's Reservation Bill (The Constitution (81st Amendment) Bill) was first introduced into Lok Sabha in 1996, however due to lack of political consensus the Bill lapsed. The Bill was reintroduced in Lok Sabha in 1998, 1999, 2002, and 2003, but all these failed due to a lack of political consensus. Rajya Sabha passed a bill for the 108th Amendment in 2010, but even that lapsed due to dissolution of the Lok Sabha before final passage could be made. Now again recently passed the Constitution (106th Amendment) Bill in 2023 has rekindled national conversation on institutional gender equality, but

[7] R. Murray, *Quotas for Men: Reframing Gender Quotas as a Means of Improving Representation for All* (American Political Science Review, 2014) 108(3): 520–532.
[8] S. Sahu, *Gender, Violence and Governmentality: Legal and Policy Initiatives in India* (Routledge India, 2020).
[9] A.K. Ghosh, *Women's Representation in India's Parliament: Measuring Progress, Analysing Obstacles* (Observer Research Foundation, New Delhi, 2022).

implementation will depend on the timeline for next delimitation exercise, likely in 2026 or later.[10]

4. Judicial Interpretations and Policy Challenges :

Legal interpretations and policy measures related to women's reservation in India have sparked significant discussions about the applicability and enforcement of the constitutional provisions for gender equality. The Constitution of India allows affirmative action for women, specifically in Article 14 as well as 15(3) as appropriate. While the courts assume the position of Articles 14 and 15(3) with respect to affirmative action for women, they have also exhibited caution as regards the legal interpretations, if a reservation would impact the basic structure of the Constitution and equality amongst equals is guaranteed by constructions/interpretations of a reservation law.[11] The judiciary has actually legitimized quotas in panchayats and municipalities because of its endorsement of quotas under the 73rd and 94th amendments, but its silence or unresponsiveness to the channel of the long awaited "Women's Reservation Bill" at the national level and procedural inertia begs the question whether institutional inertia is at play. Some of the policy obstacles include intra-party resistance, a lack of political will, and the use of male proxies in the case of female politicians much the same as with male Relations, particularly in rural areas. The longer female politicians are the face of female leadership, this proxies' effect will erode, enhancing women in governance and female political engagement.[12] In addition, the quota based models will need to be supported by more expansive social interventions, such as education and legal literacy to enable meaningful participation.[13] In some cases, courts have also worried about the regularity of periodic review of reservation policies to ensure that new inequalities did not get entrenched. The courts' grappling over how to recognize and support affirmative action in ways consistent with democracy, has framed the context for females' administrative contribution in India.[14]

---

[10] J. Kaur, *Women Reservation Bill in Lok Sabha: A Century Long Struggle for Gender Equality* (2024).
[11] P. Rani, *Gender Equality and Women's Empowerment in Law in India* (Knowledgeable Research: A Multidisciplinary Peer-Reviewed Refereed Journal, 2023) 2(05): 20–35.
[12] R.R. Bhavnani, *Do Electoral Quotas Work After They Are Withdrawn? Evidence from a Natural Experiment in India* (American Political Science Review, 2009) 103(1): 23–35.
[13] M.C. Nussbaum, *Women and Human Development: The Capabilities Approach* (Cambridge University Press, 2000) Vol. 3.
[14] R.D. Gadkar, *Enhancing Women's Political Participation in Indian Democracy: Strategies for Achieving Gender Equality* (2023).

5. Impact of Reservation in Panchayati Raj Institutions :

The institution of "women's reservation in Panchayati Raj Institutions (PRIs)" has been one of the significant constitutional interventions of sex equivalence in Indian policymaking. The reservation, which mandated the requirement to reserve "one third of all seats in PRIs for women (including women from Scheduled Castes and Scheduled Tribes) was given effect through the 73rd Constitutional Amendment in 1992". This was a landmark policy intervention that not only extended democratic participation to women, but changed the rules of governance at the grassroots level. The randomized policy experiment conducted in West Bengal and Rajasthan, widely referred to in the literature, showed that having women in political leadership in the reserved constituencies shifted local policy priorities to public goods like water and roads, goods which were more immediate and relevant to women's lived experience.[15] In the opposition to women in leadership via quotas increased the likelihood that women would be elected even after reservations ended, as they had a lasting empowering impact on voters.[16] In addition, the reservation system created new role models for women while providing rightfulness for females' contribution in policymaking to challenge the normative sex structure.[17] "Proxy leadership," where an elected woman serves under the influence of a male relative, continues to exist, but repeated exposure appears to mitigate that trend over time.[18] Thus, the reservation system functioned as a structural equalizer by providing the sidelined women with an institutional path to participate politically and to participate in policy-making. By integrating gender equity in the process of local governance, the PRIs have been used not only as instruments of decentralization but also as mechanisms through which societal change occurs.[19]

6. Global Models and Comparative Analysis :

There is a need to remember that there exists a variety of gender quota arrangements used in the array of democracies that implement gender based quotas around the world in order to

---

[15] R. Chattopadhyay & E. Duflo, *Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India* (Econometrica, 2004) 72(5): 1409–1443.
[16] R. Pande & D. Ford, *Gender Quotas and Female Leadership* (World Bank, Washington D.C., 2012).
[17] V. Kumar, *Impact of Panchayati Raj Institutions in Women Empowerment in Bihar* (Int'l J. Interventional Research & Advanced Studies, 2016) 3(10): 74–77.
[18] S. Kaul & S. Sahni, *Study on the Participation of Women in Panchayati Raj Institution* (Studies on Home & Community Science, 2009) 3(1): 29–38.
[19] H. Paudel, *Understanding of Reservation System for Political Participation: A Case Study of Local Government, Nepal* (Doctoral diss., Kathmandu University School of Education, 2023).

surge females' administrative demonstration. The discussion in India surrounding the Women Reservation Bill resonates with what must be considered from other countries as well as with constitutional and cultural issues unique to India. While reservation at the level of Panchayati Raj has happened through approximately one-third since the 73rd Amendment (1992) in India, it has not yet been effectively implemented across India.[20] On the other hand, numerous countries such as Rwanda, Sweden, and Norway have effectively operationalized the principles of quotas with confirmed evidence of significant changes in the involvement of women in politics. Rwanda for instance, is an emerging case of a country pursuing a constitutional quota system whereby 30 percent of legislative seats are reserved for women which has enabled women's representation of over 60 percent in parliament, the worlds highest level.[21] In Sweden and Norway, quota systems of voluntary political parties contribute to parities in candidate lists, and as such model indicates that the mandatory and voluntary could indeed resonate affirmatively with regard to the structures of institutional and societal support.[22] Moreover, there are notions that India can position its appointed faces of patriarchal dominance in a cloned or proxy female leadership role. However, with reference to comparative perspectives, that claim is not valid. The longitudinal studies have confirmed that quota systems have over time, provided and created the body politic with leadership skills and independence of female politicians in as much as the imposed quota provided in Brazil and South African local governments.[23] The institutional arrangements, the political will, and positive legal structures should be defended as the supervening indicators of success of global quota template. Thus comparative reflections stipulate that the efficacy of constitutional duties should follow sound implementation systems and monitoring agencies. As a constitutional democracy with the distinction of having enacted the most affirmative action provisions in the world, India is well-placed to take in best practice from across the world. To properly operationalize a rights-based constitutional lens, the mandate of the Constitution cannot

[20] C.R. Bijoy, *Policy Brief on Panchayat Raj (Extension to Scheduled Areas) Act of 1996* (United Nations Development Programme, New Delhi, 2012).
[21] S. Habimana, *The Impact of Gender Quotas on Women's Socio-Economic Empowerment in Rural Rwanda* (Doctoral diss., Dublin City University, 2025).
[22] M.L. Krook & P. Zetterberg, *Electoral Quotas and Political Representation: Comparative Perspectives* (Int'l Political Science Review, 2014) 35(1): 3–11.
[23] J.M. Piscopo, *Do Women Represent Women? Gender and Policy in Argentina and Mexico* (Ph.D. diss., University of California, San Diego, 2011).

simply be viewed with remedy in mind but rather a democratic imperative to create an all-inclusive governance right that incorporates women and their reservation.[24]

7. Conclusion and Policy Recommendations :

The Constitutional journey as it relates to gender equality in Indian politics has been an uneven and aspirational one. While that equality is pledged somewhere in the basic legalese of the Constitution (namely Articles 14, 15 and 16), in reality the governmental and nationwide depiction of females in both the state and national space is skewed. The 73rd and 74th Amendments provided practical institutionalisation of reservations in Panchayati Raj Institutions (PRIs) to demonstrate the possibility of institutional levers to effect real change. Such localised change has provided a greater number of women, and changed agenda for governance with an emphasis on inclusivity to government service delivery. However, the indication that the Women Reservation Bill was delayed in both passage and enactment in Parliament has demonstrated there remains a chasm between political reality and the norms enshrined in the Constitution.

Policy recommendations in this regard should focus on alleviating this void, both through means of law (policy enactment) and system (reform of a given system). One, the 106th Amendment to the Constitution should be made operative without further delay, and this should be done in relation to delimitation. Second, in order to enable deeper transformations, political parties should be mandated to include a certain number of percentages of female candidates even when they are working within constitutional quotas. Third, proxy leadership should be overcome based on institutionalized capacity-building initiatives, legal literacy, and women-oriented leaders in politics, particularly in combination with rural and marginalized communities around tools like quotas. In addition, the mechanisms of judicial activism and constitutional evaluate should be mindful to ensure that the mechanisms of gender quotas are protected and effectuated in a genuine manner. Learning from examples of models in the world, India should landscape the legal requirements with the political will, the civic education, and institutional accountability. Only at the point when the reservation of women reminds a particular policy and becomes a genuine democratic practice, promoting the goal of equality and fair and inclusive governance.

archana6tarkar@gmail.com, 9589010669

[24] A.S. Zia, *A Policy Framework for Women's Equal Rights* (National Commission on the Status of Women [NCSW], Islamabad, 2010).

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 98-101

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

रांगेय राघव के उपन्यासों में स्त्री शोषण के रूप

लक्ष्मण कुमार

शोधार्थी (हिन्दी), महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रकृति का सबसे खूबसूरत जोड़ा स्त्री और पुरुष है। मानव जीवन का विकास दोनों के परस्पर संबंध पर टिका है, स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। परंतु समाज में स्त्री का वह महत्व नहीं जो पुरुषों का है। भारतीय समाज लंबे समय से पितृसत्तात्मक रहा है। स्त्री, पुरुषों की अपेक्षा कम स्वतंत्र रही है, उन्हें इज्जत, मर्यादा और संस्कृति के नाम पर सदैव एक परिधि में बाँध कर रखा गया है। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों को सिर्फ घर तक ही सीमित रखा गया, घर के कार्यों में ही जीवन की सार बताया गया, पति की सेवा को ही सबसे बड़ा कर्तव्य बताया गया। स्त्रियों को ना शिक्षित होने दिया गया ना ही अपने मन मुताबिक कार्य करने की छूट, जिस कारण स्त्रियों चेतना संपन्न होने से वंचित रही, वे अपने ऊपर हो रहे शोषण का विरोध भी नहीं कर पाती थी। पुरुषवादियों ने स्त्रियों को सदैव अपने अधिकार से वंचित रखा। सदियों से उनके लिए सब कुछ पुरुष ही तय करता आया है, समाज में अपना अधिकार बनाए रखने के लिए पुरुषों ने स्त्रियों को सदैव कमतर आँका। पुरुषवादी लोगों ने स्त्रियों को सदैव भोग्या मात्र समझा, इसी मानसिकता के कारण सदियों से वे उन पर शोषण और अत्याचार करते आये हैं। रांगेय राघव के उपन्यासों में प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय की स्त्री दशा का मार्मिक चित्रण है, रांगेय राघव समाज को बारीक नजर से देखने वाले लेखकों में हैं। उनके यहाँ स्त्री प्रश्न प्रमुखता से उभर कर आता है। सदियों से स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार और शोषण का भयानक रूप इनके उपन्यासों में देखने को मिलता है।

बीज शब्द :-

शोषण, स्त्री प्रश्न, पितृसत्तात्मक समाज, मार्मिक, सामंत।

मूल आलेख :-

रांगेय राघव ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपने उपन्यासों में स्त्री दशा का मार्मिक वर्णन किया है, उन्हें समय–समाज का गहरा बोध था। स्त्री प्रश्न उनके उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, प्राचीन समय से स्त्रियों के साथ होता आ रहा शोषण और अत्याचार का अनेकों रूप इनके उपन्यासों में देखने को मिलता है।

'मर्दों का टीला' एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें मोहनजोदड़ो के समाज में स्त्री दशा का मार्मिक रूप दिखाई पड़ता है। जहां स्त्रियों को मनुष्य ही नहीं समझा जाता था, स्त्रियां बाजारों में खरीदी और बेची जाती थी, उन्हें सिर्फ भोग्य वस्तु के समान देखा जाता था। बड़े–बड़े राजा स्त्रियों को खरीद अपने महल में दास बना कर रखते और एक से अधिक स्त्रियों के साथ संभोग करते स्त्रियों को दास रूप में सभी कष्टों को सहना पड़ता वह

उसका प्रतिकार भी नहीं कर पाती थी, किसी पशु के समान स्त्रियों की खरीद–बिक्री होती। महाश्रेष्ठी मणिबंध भी मिस्त्र से स्त्री (नीलोफर और हेका) दास लेकर आया था। ''जब जवान होने पर हम दोनों को स्त्रियों की एक पंक्ति में सिर से लेकर पांव तक नंगा खड़ा होना पड़ा था और उस दिन श्रेष्ठी मणि बंध ने उन्हें बछड़ों की तरह ठोंक–बजाकर दांत देखकर खरीदा था''।[1] नीलोफर मिस्त्री लड़की है उसे कई बार बेचा–खरीदा गया है, वह गायक से कहती है ''मैं बाजारों में नंगी बिक चुकी हूँ। कितने पुरुषों ने मुझसे विलास किया है स्वयं मुझे भी याद नहीं। विल्लिभितूर! मैं अपने आप से घृणा करती हूँ।''[2] उस समय के स्त्रियों की अपनी कोई अस्मिता नहीं रह गई थी, वह पुरुषों के लिए सिर्फ वस्तु मात्र थी।

'चीवर' में हर्षवर्धन के समय का वर्णन है जहां सामंत स्त्रियों को बलात या गुप्त रूप से उठा लेते थे, समाज में किसी नव वधू को अपने पति से पहले सामंतों का दास बनना पड़ता था। सामंत जिसे चाहते उठा लाते और उनके साथ बलात्कार करते। ''मित्तकामी ने अनेक स्त्रियों के साथ सामंतों को इसी प्रकार बलात्कार करते देखा था।.... मित्तकामी ने कहा स्त्री का भाग्य ही इतना है। इसमें दुख करने से लाभ ही क्या है? स्त्री तो पुरुष की वासना तृप्त करने के लिए ही पैदा हुई है। 'राज्यश्री ने देखा, मित्तकामी के नयनों में एक गहरी वेदना अपनी काली छाया डालने लगी थी।''[3] ''मित्तकामी की चमकदार आंखों में पानी भर आया और वह स्वयं पोंछ कर कहने लगीः मुझे सामंत देवक ने विवाह के बाद पकड़वाकर मेरी सुहागरात को बुला लिया था। मेरा पति छाते बनाता था। जब वह या ना देख सका तो विरक्त होकर भिक्षु हो गया।''[4] समाज में स्त्रियों के साथ सिर्फ बलात्कार ही नहीं होता बल्कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है, पुरुष निकृष्ट कार्य कर के भी मर्यादा में बना रहना चाहता है। 'आखिरी आवाज' में स्वतंत्र भारत के गाँव का चित्रण किया गया है, जहाँ स्त्रियों के साथ हो रहे शोषण और अत्याचार को रांगेय राघव ने रेखांकित किया है। निहारकौर की सहेली के साथ गाँव के हीं दबंग पंच और सरपंच के पुत्र ने मिलकर बलात्कार के उपरांत अपनी इज्जत और मर्यादा को छुपाये रखने के लिए उसकी हत्या कर दी। इज्जत जाने के उपरान्त निहारकौर की सहेली कहती है, ''ओह! भगवान तुमसे समझेगा। तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। तुमने मुझे बिगाड़ दिया। तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा। तुम समझते हो कि मैं चुप रह जाऊंगी! यह कहते हुए जैसे उसकी आंखों में शोले धड़क उठे और उसने फिर फुंकार भरते हुए कहा, तुमने मुझे अकेला जानकर ऐसा किया, लेकिन याद रखना कि ऊपर वाला सब– कुछ देख रहा था। तुम समझते हो कि यहां सन्नाटा था और कोई नहीं था? लेकिन मैं तुम्हें देख लूंगी। मुझे मरने से डर नहीं है, क्योंकि मर तो मैं चुकी। अब मेरे लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। तुमने मेरा धर्म बिगाड़ दिया।''[5]

प्राचीन समय से स्त्रियों के प्रति पुरुष हिंसक रहा है, अपनी मर्यादा और इज्जत के लिए उन्होंने स्त्रियों को सदैव पशु के समान रखा। रांगेय राघव ने समाज में स्त्री शोषण को बहुत हीं करीब से देखा था, उन्हें स्त्रियों के प्रति बेहद सहानुभूति थी। 'धूनी का धूआँ' में गोरखनाथ के समय में स्त्रियों के साथ हो रहे धर्म के आड़ में शोषण को देखा जा सकता है, गोरखनाथ के गुरु भी वासना के वशीभूत में लीन थे, स्त्रियों को केवल सम्भोग के पूर्ति के रूप में देखा जाता था, गोरखनाथ ने योनाचार का खुल कर विरोध किया।'' धर्म, माता! धर्म लोक रक्षक है। आत्मसिद्धि का, अंतलोक का परिष्कार है, अन्यथा मुझे गुरु को जगाने आने क्या आवश्यकता थी? गुरु लोक को भूल गए, इसलिए आया हूँ, माता। माता हो तुम। संभोग तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, माता तुम शक्ति हो तुम निर्बल नहीं हो। परंतु इस पुरुष को योनि। दास बनाना ही क्या तुम्हारा मातृत्व है? क्या पुरुष और ऊपर नहीं

उठ सकता? योगी क्यों ऐसा आचरण करे?''[6] गोरखनाथ ने स्त्रियों के साथ हो रहे योनाचार का विरोध किया और उन्हें भोग की वस्तु नहीं बल्कि जननी कहा।' यशोधरा जीत गई' में बुद्ध के समकालीन सामंती समाज में स्त्रियों की दशा को देखा जा सकता है, उस समय के समाज में विवाहित स्त्री गर्भधारण करती और पुरुष अपने मनोरंजन के लिए अलग से स्त्रियों को दास बना कर रखता था, पुरुष सत्तात्मक समाज में स्त्री चाह कर भी अपने पति का विरोध नहीं कर पाती थी, यह स्वतंत्रता पुरुषों को तो था पर स्त्रियों को नहीं। महाप्रजापति गौतमी यशोधरा से कहती है, ''उसे क्या दुख है? गर्भधारण के लिए तू है, विलास को असंख्य युवतियाँ है, पीने को मदिरा है, खाने को सुवासित मांस, आखेट के लिए वन्यकों का साथ है, युद्ध के लिए पड़ोसी एक राष्ट्र है, असंख्य वैभव है, बाडों में जीतने सूकर हैं, उतने ही दसों के ग्राम हैं।''[7] स्त्रियां कुलीन हो या निम्न जाति की समाज में उनकी स्थिति दयनीय और असहाय रही है, उसे घुट–घुट कर ही जीवन जीना पड़ा है, यशोधरा कहती है, ''क्या समझाऊं? पुरुष की जिज्ञासा तर्क से कब बुझी है, आर्ये! वह सबका मूल तो अपने को समझता है। हम सबको तो वह अपनी सामग्री गिनता है।''[8] सदियों से स्त्रियों की स्वतंत्रता और उनकी अस्मिता की चिंता करना पुरुष अनुचित समझना आया है। पुरुष ने कभी सहचरी का अधिकार नहीं दिया, सदैव उसे दासी स्वरुप ही समझा है। 'कब तक पुकारूं' में नट समाज की स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार और शोषण मार्मिक चित्रण देखा जा सकता है, किस प्रकार समाज के सत्ता आरुढ और प्रभावशाली लोग अपने अधिकार और वर्चस्व का डर और भय दिखा कर उनका शोषण करते हैं, वे नटों की स्त्रियों के शरीर पर अपना अधिकार समझते है।'' प्यारी ने कहा–''दरोगा मुझे दिन में घूर रहा था। मरे की तबीयत आ गई है। पर सुखराम तो नहीं मानेगा। ''औरत का काम औरत का काम है। उसमें बुरा–भला क्या? कौन नहीं करती? नहीं तो मार–मार कर खाल उड़ा देगा दरोगा। और तेरे बाप और खसम दोनों को जेल भेज देगा। फिर कमेरा न रहेगा तो क्या करेगी? फिर भी तो पेट भरने के लिए यही करना होगा?''[9]

सत्ता के प्रभावशाली लोग अपने शोषण के तरीके को बनाए रखने के लिए इसे नोटों के पेशे के रूप में जोड़ दिया, जिससे उनकी घृणित मासिकता छुपी रहे। नटों की स्त्रियों को डर और भय से इसे अपनाना पड़ा। रांगेय राघव ने सामंती समाज को करीब से देखा था, इसलिए उनके उपन्यास में स्त्रियों के शोषण के कई रूप दिखाई पड़ते हैं। अकाल में स्त्रियों के साथ हो रहे शोषण को भी उन्होंने रेखांकित किया है, 'विषाद मठ' में अकाल के दरमियान स्त्रियों को अपने पेट भरने के लिए अन्न मिलना मुश्किल हो गया था, भूख से लोग मर रहे थे, परंतु समाज के आर्थिक रूप से संपन्न लोग स्त्रियों ,बच्चियों को अपने हवस का शिकार बना रहे थे, उनसे वेश्यावृत्ति कराया जा रहा था, भीषण अकाल में जीवन बचाने के जद्दोजहद में वे विवश और मजबूर थी। ''बाहर बुढ़िया पड़ोसन से कहने लगी, ''बेटी, घर के घर, मुहल्ले के मुहल्ले सभी तो यही कर रहे हैं। बाप–बेटे सभी तो जानते हैं। न हो तो खाएंगे क्या? आखिर मरना भी तो इतना आसान नहीं है। और नहीं तो करें क्या? सड़क की कुतिया चिल्ला–चिल्लाकर पारस बन रही है। मगर बाबू लोग भी ऐसी कच्ची कौड़ी नहीं खेले। तुम ही कहो? मैंने गलत किया?''[10]

इस उपन्यास में रांगेय राघव ने अकाल में अवसर ढूंढने वाले आर्थिक सम्पन्न लोगों के चरित्र को दिखाया है, स्त्रियां अपने बुरे वक्त में भी एक खिलौने की तरह खेली जाती है, आज भी समाज में ऐसे मौकापरस्त लोग हैं जो स्त्रियों पर अत्याचार और शोषण कर रहे हैं। रांगेय राघव के उपन्यासों में स्त्री शोषण का मार्मिक रूप देखने

को मिलता है। आज भी समाज में ऐसी घटनाएं यदा–कदा देखने को मिल जाती है, जो पुरुषों की घिनौनी मानसिकता का पर्दाफाश करती है।

निष्कर्ष :–

रांगेय राघव ने अपने उपन्यासों में स्त्रियों के साथ हो रहे शोषण और अत्याचार को बखूबी दिखाया है, स्त्रियां सदियों से शोषित होती आरही है, पितृसत्तात्मक समाज में उसकी भागीदारी पुरुषों के समान नहीं रही है, उन्हें सदैव उपेक्षा और हिंसा का शिकार होना पड़ा है, रांगेय राघव ने समाज में स्त्रियों के साथ हो रहे अन्याय को वास्तविक रूप में दर्ज किया है, चाहे मोहनजोदड़ो का समय का समाज हो, या बुद्ध के समय का सामंती समाज हो, या हर्षवर्धन, या गोरखनाथ, या 'कब तक पुकारूँ' में नटों की स्त्रियों के जीवन की दास्ताँ या बंगाल के अकाल की भीषण स्थिति हो, या 'आखिरी आवाज' में आजादी के बाद का समाज हो सदैव स्त्रियों के साथ अत्याचार और शोषण होता रहा है, रांगेय राघव ने हर समय के समाज में स्त्रियों की दशा का मार्मिक रूप दिखाया है। उनके उपन्यास में स्त्रियों पर हो रहे शोषण के कई रूपों का वर्णन है, सदियों से स्त्रियाँ शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से शोषित होती आई है। पुरुषों ने स्त्रियों को सदैव अपनी जागीर समझ उनपर जुल्म ढाया है, रांगेय राघव स्त्री प्रश्न को अपनी रचना के केंद्र में लाकर पुरुषों के शोषण करने के इतिहास का भी पर्दाफाश किया है। रांगेय राघव कल्पनाओं की उड़ान की अपेक्षा यथार्थ समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देते है, उनके उपन्यास में समाज का यथार्थ दिखाई पड़ता है।

संदर्भ :–

1. रांगेय राघव, मर्दों का टीला, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023, पृष्ठ संख्या 18
2. रांगेय राघव, मर्दों का टीला, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023, पृष्ठ संख्या 241
3. रांगेय राघव, चीवर, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023, पृष्ठ संख्या 33
4. रांगेय राघव, चीवर, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023, पृष्ठ संख्या 34
5. रांगेय राघव, आखिरी आवाज, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023, पृष्ठ संख्या 11
6. रांगेय राघव, धूनी का धूआँ, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023, पृष्ठ संख्या 99
7. रांगेय राघव, यशोधरा जीत गई, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023, पृष्ठ संख्या 29
8. रांगेय राघव, यशोधरा जीत गई, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023, पृष्ठ संख्या 29
9. रांगेय राघव, कब तक पुकारूँ, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023, पृष्ठ संख्या 42
10. रांगेय राघव, विषाद मठ, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023, पृष्ठ संख्या 99

फोन न –7903619102

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 102-109

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

National Policy on Education (NPE) 1986 and National Education Policy (NEP) 2020: A Comparative Study

Dr. Pramod Kumar Yadav

Assistant Professor, Department of Teacher Education

Baba Saheb Ambedkar Education University, Kolkata-19

(Erstwhile David Hare Training College)

Abstract :

Education is very important for the growth of any country. In India, the government has made policies to improve education for all. This paper compares two important education policies: the **National Policy on Education (NPE) 1986** and the **National Education Policy (NEP) 2020**. The **NPE 1986** aimed to give equal education to everyone, especially to poor children, girls, and children from backward communities. It focused on making primary schools better, training teachers, and starting vocational education. It helped increase the number of children going to school and made people more aware of the value of education. After many years, the **NEP 2020** was made to match today's needs. It brings new ideas like a new school system (5+3+3+4), teaching in the mother tongue till Class 5, and the use of technology in learning. It also wants children to learn useful skills and be creative and confident.

This paper compares the main points of both policies and explains how NEP 2020 is different and more modern. While NPE 1986 helped in expanding education, NEP 2020 focuses on improving its quality. It hopes to give every child in India a better and brighter future through modern and flexible learning.

Key Words : NEP 2020, NPE 1986**,** Educational Reforms**,** Curriculum Development**,** Inclusive Education.

Introduction :

Education shapes the character, vision, and future of a country. In a diverse and developing country like India, a coherent education policy is essential to meet the educational needs of a large and varied population. The National Policy on Education (NPE) 1986 was one of the most

comprehensive policy frameworks formulated post-independence, addressing issues of access, equity, and quality in education. More than three decades later, the **National Education Policy (NEP) 2020** was introduced to reform and rejuvenate the Indian education system with a futuristic and learner-centric outlook. This study aims to explore how these two landmark policies reflect the socio-political and educational paradigms of their respective times and how they have shaped, or will shape, the Indian education landscape.

Objectives of the Study :

The primary objectives of this comparative study are :

- To review the salient features of NPE 1986 and NEP 2020.
- To compare the structure, vision, and components of both policies.
- To analyze how NEP 2020 builds upon or diverges from NPE 1986.
- To assess the implications of NEP 2020 for learners, educators, and policy makers.

3. Methodology :

This research employs a **qualitative and analytical** methodology based on **secondary data** sources such as official government policy documents, academic articles, expert opinions, policy reviews, and research journals. A comparative framework is used to identify similarities, differences, and changes between NPE 1986 and NEP 2020.

Historical Background of Education Policies in India :

India's journey in education policy began with the **University Education Commission (1948)** and the **Kothari Commission (1964–66)**, which recommended a national policy on education. Following this, two major education policies were formulated :

- **NPE 1968**: Emphasized national integration and equal educational opportunities.
- **NPE 1986 (modified in 1992)**: Focused on education for all, adult education, and women's empowerment.

The NEP 2020 is the first education policy of the 21st century and replaces the NPE 1986.

Overview of National Policy on Education (NPE) 1986 :

The National Policy on Education 1986, introduced under the leadership of **Prime Minister Rajiv Gandhi**, aimed to promote equality and eliminate disparities in educational access and achievement. It emphasized **universal elementary education**, **adult literacy**, and **teacher training**.

Key Features :

- Focus on **universal access to education**.
- Launch of **Operation Blackboard** for improving primary school infrastructure.
- Introduction of **Navodaya Vidyalayas** to nurture rural talent.

- Emphasis on **education for SCs, STs, minorities**, and women.
- Promotion of **vocational education** at the secondary level.
- Creation of **District Institutes of Education and Training (DIETs)**.
- Policy modified in **1992** for decentralization and privatization elements.

Achievements and Challenges :

The **National Policy on Education (NPE) 1986** helped improve education in many ways. One of the biggest achievements was that **more children started going to school**. The number of students in schools increased, especially in villages and among girls. The policy also helped in **improving literacy**—that means more people learned how to read and write. Special programs were started for adults who did not go to school earlier. The government also set up **Navodaya Vidyalayas** to give quality education to talented children from rural areas. Teacher training centers like **DIETs (District Institutes of Education and Training)** were started to improve how teachers teach in schools. Vocational education was also added so that students could learn work-related skills in school. But along with these good results, there were many **challenges** too. The **quality of education** was not the same everywhere. Many schools had **fewer teachers**, and many of them were not properly trained. There were still many **children who dropped out** of school, especially in poor and backward areas. Also, not all schools had good buildings, toilets, or learning materials.

So, while NPE 1986 did many good things, some problems continued that needed better planning and new solutions.

Overview of National Education Policy (NEP) 2020 :

The National Education Policy 2020, launched by the **Ministry of Education (formerly MHRD)**, is a landmark reform aimed at transforming the education system to meet the demands of the 21st century. The policy emphasizes holistic and multidisciplinary education, flexibility in curriculum, technology integration, and outcomes-based learning.

Key Features :

- Structural reform: **5+3+3+4** pattern replacing 10+2.
- Strong focus on Foundational Literacy and Numeracy (FLN).
- Mother tongue/regional language as medium of instruction till Grade 5.
- Vocational education from Grade 6 onwards.
- Establishment of Higher Education Commission of India (HECI).
- Multidisciplinary colleges with exit options in higher education.
- Introduction of National Educational Technology Forum (NETF).
- Integration of artificial intelligence and coding from early stages.

Vision :

- Ensure equitable and inclusive education.
- Promote flexible curricular structures.
- Achieve 100% GER (Gross Enrollment Ratio) in school education by 2030.
- Make India a global knowledge superpower.

Comparative Analysis of NPE 1986 and NEP 2020 :

Parameter	NPE 1986	NEP 2020
Time Period	1986 (modified 1992)	2020
Structure	10+2	5+3+3+4
Foundational Stage	Not emphasized	High priority (ECCE)
Language Policy	Three-language formula	Three-language + regional language emphasis till Grade 5
Curriculum	Knowledge-based, rigid	Competency-based, flexible
Technology	Limited role	Core element (NETF, online learning)
Vocational Education	Secondary level	Starts from Grade 6
Higher Education	Degree-focused, rigid	Multidisciplinary, flexible exit
Teacher Training	DIETs, B.Ed	4-year integrated B.Ed compulsory by 2030
Assessment	Exam-focused	Holistic, formative
Governance	Centralized	Collaborative with greater institutional autonomy
Inclusivity Focus	SC, ST, women	Disadvantaged Groups + Gender Inclusion Fund
Implementation Strategy	Scheme-based	Mission mode (e.g., NIPUN Bharat, PM SHRI Schools)

Philosophical and Pedagogical Foundations :

The **National Policy on Education 1986 (NPE 1986)** was deeply rooted in the philosophies of human resource development, nation-building, and social equity. Education was perceived as a means to empower individuals and uplift marginalized sections of society. The pedagogical orientation during this period was largely teacher-centered, emphasizing rote memorization, textbook-driven instruction, and a uniform curriculum with limited scope for creativity or student autonomy.

In contrast, the **National Education Policy 2020 (NEP 2020)** is based on constructivist,

learner-centered, and experiential approaches to education. It emphasizes the holistic development of the learner by fostering critical thinking, creativity, and inquiry-based learning. The pedagogical shift under NEP 2020 moves away from passive knowledge transmission towards active, discussion-based, and competency-driven learning. Students are viewed as active participants in the learning process, encouraged to question, explore, and construct their own understanding.

This philosophical and pedagogical transformation signifies a move from a standardized and input-driven system to one that values **outcomes, flexibility, inclusivity, and lifelong learning**. NEP 2020 reflects global educational trends while remaining rooted in Indian values, aiming to prepare learners for the demands of a dynamic and knowledge-based global society.

Impact on Various Stakeholders :

The **National Education Policy 2020 (NEP 2020)** brings many changes in the education system. It affects students, teachers, schools and colleges, and the whole society. Below is a simple explanation of its impact :

1. Impact on Students :

- **More learning choices:** Students can now choose subjects they like. This gives them freedom and builds confidence.
- **Learning in mother tongue:** Up to Grade 5, children will learn in their own language, which helps them understand better.
- **Focus on skills:** Instead of just memorizing facts, students will learn to think, solve problems, and develop real-life skills.

2. Impact on Teachers :

- **New teaching methods:** Teachers will need training to use modern and creative ways of teaching.
- **4-year B.Ed. course:** By 2030, all teachers must complete a 4-year B.Ed. degree to improve teaching quality.

3. Impact on Schools and Colleges :

- **More freedom:** Institutions will have more control over how they teach and assess students.
- **Interdisciplinary learning:** Subjects will be connected with each other to help students learn in a better way.
- **Use of technology:** More digital tools, online classes, and smart classrooms will be used.

4. Impact on Society :

- **More equality:** Children from all backgrounds will get equal chances to study.
- **Lifelong learning:** The policy supports learning at all ages, not just in school.

- **Global skills:** Students will be ready for jobs and opportunities in the global world.

Innovations and Forward-Looking Aspects in NEP 2020 :

The **National Education Policy 2020 (NEP 2020)** includes many new ideas that aim to make education modern, flexible, and future-ready. These innovations help students gain useful skills for life and prepare them for a changing world.

1. Academic Bank of Credits (ABC) :

- This is a digital system that keeps a record of students' academic achievements.
- It allows students to collect and transfer credits between colleges and universities.
- It gives flexibility to complete a degree in different institutions and at their own pace.

2. NIPUN Bharat Mission :

- NIPUN Bharat stands for **National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy**.
- It aims to make all children in Grades 1 to 3 strong in reading and basic maths.
- The goal is to build a strong foundation for future learning.

3. Global Exposure and International Collaboration :

- NEP promotes tie-ups with international universities.
- Students and teachers will get more opportunities to study, teach, or collaborate globally.
- This helps improve the quality of education and increases global competitiveness.

4. Integration of AI, Coding, and 21st-Century Skills :

- From school level, students will learn about **Artificial Intelligence (AI)**, **coding**, and modern skills.
- This prepares them for new-age careers and technology-driven jobs.

5. Focus on Emotional and Moral Development :

- NEP 2020 promotes **value-based education**.
- It aims to build **empathy, ethics, discipline, and respect** in students.
- Emotional and moral growth is considered as important as academic learning.

Relevance in the Context of Sustainable Development Goals (SDGs) :

NEP 2020 aligns with the **UN SDG 4** (Quality Education) by ensuring inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities. It promotes :

- Access and affordability.
- Quality and equity.
- Relevance and skill development.

Conclusion :

The comparison between the **National Policy on Education (NPE) 1986** and the **National Education Policy (NEP) 2020** shows a big change in how India looks at education. NPE 1986 focused on giving **more access** to education. It helped more children, especially girls and those from poor and backward areas, to go to school. It worked towards making education fair and equal for all.

On the other hand, NEP 2020 focuses more on the **quality of education**. It wants students to not just study, but also to **think, question, and learn new skills**. It talks about making learning fun, useful, and connected to real life. It also brings **flexibility**, so students can choose subjects they like. The use of **technology** and **digital learning** is also an important part of this policy.

While NPE 1986 built the foundation of the Indian education system, NEP 2020 is trying to make it **strong, modern, and future-ready**. If this new policy is followed properly in every part of India, it can bring a big change in how children learn and grow. It can help India become one of the most advanced countries in education.

Suggestions :

- **Improve teacher training** so teachers can understand and follow the ideas of NEP 2020.
- **Give all schools internet and digital tools**, especially in villages, to reduce the gap between rich and poor areas.
- **Explain the new education policy to parents and students** so they know what is changing and why.
- **Check regularly how the policy is being used** in schools, using honest and open methods.
- **Provide enough money** for schools and colleges to make the changes needed for NEP 2020.
- **Train school leaders and principals** to support new teaching and learning methods.
- **Encourage local communities to take part** in improving schools and helping with the policy work.
- **Make sure every child gets equal chances**, no matter their background or area.
- **Use technology in teaching**, but also train teachers to use it well.
- **Start small pilot projects** before applying big changes everywhere, so that mistakes can be corrected in time.

15. References :

1. Ministry of Education (1986). *National Policy on Education.* Government of India.
2. Ministry of Education (2020). *National Education Policy 2020.* Government of India.
3. NCERT (2021). *Position Papers and Curricular Frameworks.*

4. Rani, G. (2021). "Education Reforms in India: A New Dawn." *Journal of Indian Education.*
5. Saini, M. (2022). "Comparative Analysis of NPE 1986 and NEP 2020." *Indian Educational Review.*
6. Singh, A. (2020). "National Education Policy 2020: A Revolutionary Roadmap." *Economic and Political Weekly.*
7. UNESCO (2015). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives.*

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 110-113

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Influence of Technological Innovation on Students' Academic Performance and Psychological Impact : A Review

Nikhil Sidana, Assistant Registrar,
Narender Yadav, Assistant Registrar,
Tantia University, Sriganganagar, Rajasthan.

Abstract :

Technological innovation has dramatically transformed the educational landscape by introducing novel teaching tools, digital platforms, and smart learning environments. While its influence on academic performance has largely been positive, there are growing concerns about its psychological implications for students. This review explores the dual impact of technological innovation—academic and psychological—by analyzing recent research, identifying both benefits and challenges, and offering insights for future educational policy and practice.

1. Introduction :

The 21st century has witnessed an unprecedented surge in the integration of technology in education. From interactive whiteboards and online learning platforms to AI-based tutoring and virtual labs, technological innovations have reshaped how students learn and teachers teach. However, while these tools enhance access and learning efficiency, they also bring psychological challenges such as screen fatigue, anxiety, and social isolation. This review investigates the complex relationship between educational technology, academic outcomes, and student mental well-being.

2. Understanding Technological Innovation in Education :

Technological innovation in education refers to the implementation of new tools, systems, or methods that enhance teaching and learning. Key innovations include :

- **E-learning platforms** (e.g., NPTEL, MOOCs, SWAYAM, Google Classroom)
- **Artificial Intelligence and adaptive learning tools**
- **Gamification and Virtual Reality**

- **Flipped classrooms and smartboards**
- **Mobile learning apps**

3. Academic Impact of Technological Innovation

3.1 Enhanced Learning Outcomes :

Several studies confirm that technology-integrated learning improves comprehension, retention, and engagement. According to Tamim et al. (2011), students exposed to educational technology showed a significant increase in performance compared to those in traditional classrooms.

3.2 Personalized Learning :

AI-driven platforms allow customized content delivery based on students' individual pace and proficiency. This personalization reduces learning gaps and fosters autonomy in students (Zawacki-Richter et al., 2019).

3.3 Improved Collaboration and Engagement :

Tools like discussion forums, collaborative documents, and virtual classrooms enhance peer interaction and knowledge-sharing, improving teamwork and communication skills (Johnson et al., 2016).

3.4 Support for Special Needs :

Assistive technologies (e.g., text-to-speech, screen readers) have significantly improved access and participation for students with disabilities (Al-Azawei et al., 2017).

4. Psychological Impact of Technology Use in Education

4.1 Increased Screen Time and Mental Fatigue :

Prolonged use of digital devices contributes to eye strain, mental exhaustion, and reduced concentration. A survey by Twenge & Campbell (2018) linked excessive screen time with increased depressive symptoms in adolescents.

4.2 Anxiety and Pressure :

The constant connectivity, immediate feedback, and performance monitoring can create pressure and performance anxiety in students (Andrade, 2020).

4.3 Social Isolation :

Remote learning and reduced face-to-face interaction have led to social disconnect and feelings of loneliness among students, especially during the COVID-19 pandemic (Bao, 2020).

4.4 Digital Addiction and Distraction :

Mobile apps, games, and social media often distract students during study time, affecting academic performance and mental focus (Kuss & Griffiths, 2017).

5. Balancing Academic Benefits and Psychological Risks

5.1 Digital Well-being Policies :

Educational institutions should implement screen-time guidelines, promote healthy tech habits, and offer digital detox periods.

5.2 Training and Digital Literacy :

Equipping students and faculty with digital literacy skills helps optimize technology use and reduces misuse or overuse.

5.3 Blended Learning Approach :

Combining online and in-person interactions balances the benefits of technology with the emotional and social needs of students.

5.4 Mental Health Support Systems :

On-campus counseling, mindfulness programs, and peer support networks can help students cope with tech-related stress.

6. Future Directions :

- **AI for mental health tracking :** Use of AI-based mood trackers and chatbots for early detection of psychological distress.
- **User-friendly EdTech design :** Development of less intrusive, more intuitive platforms focused on student well-being.
- **Research in long-term effects :** Longitudinal studies on how prolonged tech use affects academic motivation and psychological development.

7. Conclusion :

Technological innovation has revolutionized education, offering powerful tools for personalized, inclusive, and engaging learning. However, its psychological impact cannot be overlooked. While it enhances academic performance, excessive or unregulated use may lead to anxiety, fatigue, and social disconnection. A balanced approach that maximizes academic benefits while safeguarding mental health is essential for sustainable educational success.

References :

1. Tamim, R. M., Bernard, R. M., Borokhovski, E., et al. (2011). What forty years of research says about the impact of technology on learning. *Review of Educational Research*, 81(1), 4–28.
2. Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 39.
3. Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., & Freeman, A. (2016). *NMC Horizon Report:*

2016 Higher Education Edition. Austin, TX: The New Media Consortium.

4. Al-Azawei, A., Serenelli, F., & Lundqvist, K. (2017). Universal design for learning (UDL): A content analysis of peer-reviewed journal papers from 2012 to 2015. *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*, 17(3), 67–84.
5. Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2018). Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based study. *Preventive Medicine Reports*, 12, 271–283.
6. Andrade, M. S. (2020). Online learning: Best practices to promote student engagement. *Journal of Educators Online*, 17(2).
7. Bao, W. (2020). COVID-19 and online teaching in higher education: A case study of Peking University. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(2), 113–115.
8. Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2017). Social networking sites and addiction: Ten lessons learned. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(3), 311.
9. Narender Yadav and Dr. Pawan Kuma (2023), UNEMPLOYMENT AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF DEPRESSION: A COMPREHENSIVE ANALYSIS Leadership, Education, Personality: An Interdisciplinary Journal ISSN: 2524-6178 www.sibe.rpress.co.in, Vol. 18, Issue 12 December 2023, UGC CARE 1 1462 By : School of International Business and Entrepreneurship (SIBE)
10. Narender Yadav, et al. (2024) The Psychological Impact Of Rising Unemployment On Youth Depression: A Comprehensive Review With Global And Indian Perspectives; Educational Administration: Theory and Practice 2024, 30(1), 4040-4044 ISSN: 2148-2403. https://doi.org/10.53555/kuey.v30i1.7727

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 114-118

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Role of Teachers in Transforming Forthcoming Education System in view of NEP, 2020

Dr. Manisha Sharma

Principal, Rajasthan Shikshak Prashikshan Vidyapeeth.

Abstract :

The main aim of NEP 2020 is to modernize and transform India's education system to be more inclusive, equitable, and aligned with the needs of the 21st century .A teacher, also called formally an educator, is a person who helps students to acquire knowledge, competence, or virtue, via the practice of teaching. National Education Policy (NEP), 2020, anticipates to recognizing, identifying, and fostering the unique capabilities of each student, by sensitizing teachers as well as parents to promote each student's holistic development in both academic and non-academic spheres. Teachers demonstrate the appropriate behaviour of their students by their actions. Teachers must have healthy attitude and should possess rich values. Teaching is all about attitude positive/negative towards their job of imparting quality education. Teacher should act as a friend, philosopher and guide. A teacher's role should be that of a facilitator of learning, a mentor, and a guide to students to encourage critical thinking and problem-solving, personalize teaching methods, use technology in education, and continuously update their skills and knowledge. National Curriculum Framework for Teacher Education (NCFTE), will guide the development of teacher education programs in the country. National Professional Standards for Teachers (NPST), will define the knowledge, skills, and values that teachers should possess.

National Research Foundation (NRF), to promote research in education and to develop evidence-based practices. Thus, by transforming the role of teachers in the education system, the NEP, 2020 aims to create a more learner-centered, inclusive, and holistic education system that can meet the changing needs of society and the economy.

The National Education Policy (NEP) 2020, which was approved on 29th July, 2020, by the Union Cabinet of India, aims to transform the education system in India and provide access to high-quality education to all. One of the key components of this policy is: the role of teachers in the education system and need to develop their professional skills, provide them with adequate training, and create conducive environment for them to teach effectively. The policy also aims to enhance the status of teachers in society and to attract the best talent to the profession.

A teacher, also called formally an educator, is a person who helps students to acquire knowledge, competence, or virtue, via the practice of teaching. Teachers demonstrate the appropriate behaviour of their students by their actions. Teachers must have healthy attitude and should possess rich values. Teaching is all about attitude positive/negative towards their job of imparting quality education. Teacher should act as a friend, philosopher and guide. National Education Policy (NEP), 2020, anticipates to recognizing, identifying, and fostering the unique capabilities of each student, by sensitizing teachers as well as parents to promote each student's holistic development in both academic and non-academic spheres.

The policy recognizes that teachers are the cornerstone of the education system and play a crucial role in creating an enabling and enriching learning environment for students. The role of teachers is crucial in implementing the policy at the ground level. Here are some of the key roles and responsibilities of teachers in the implementation of NEP, 2020. Here are some key highlights of the role of a teacher in transforming forthcoming education system as per the NEP, 2020. These are as follows :-

Facilitator of Learning :

The NEP, 2020 emphasizes the need for teachers to act as facilitators of learning rather than just providers of knowledge. The traditional approach of imparting knowledge through lectures and rote learning is no longer sufficient to meet the challenges of the 21st century. Instead, teachers should encourage students to engage in critical thinking, problem-solving, and creative activities. This requires a shift from a teacher-centered to a learner-centered approach, where the focus is on the individual needs and interests of the student.

Mentor :

The NEP, 2020 also emphasizes the role of teachers as mentors and a guide to students. Teachers should act as guides and provide support to students in their personal and academic pursuits. They

should encourage for critical thinking and problem-solving, and help students to pursue their interests, passion and develop life skills, such as communication, teamwork, and leadership, which are essential for success in the modern world. By acting as mentors, teachers can help students realize their potential and achieve their goals.

Personalize Teaching Methods :

The NEP, 2020 recognizes that each student has unique learning needs, interests, and abilities. Teachers should be equipped with the necessary skills and knowledge to teach and assess students in a holistic manner. Therefore, teachers should personalize their teaching methods based on the individual needs of their students. This requires teachers to be trained in differentiated instruction, which involves adapting teaching methods and materials to meet the diverse learning needs of students. Personalizing teaching methods can help students engage more deeply in their learning, leading to better academic outcomes.

Use of Technology/Integration of Technology :

The NEP, 2020 recognizes the importance of use of technology in education and emphasizes the need for teachers to be trained in the use of technology, Teachers should experience of students. This requires teachers to be trained in digital literacy, which involves the ability to use technology to access, evaluate, and create information. By using technology, teachers are expected to integrate technology into their teaching methods and use it to enhance the learning outcomes of their students. Teachers can create more interactive and engaging learning experiences for students.

Continuous Professional Development :

The NEP, 2020 emphasizes the importance of continuous professional development and training for teachers to enable them to meet the evolving needs of the education system. Teachers should be encouraged to participate in training programs, workshops, and conferences to enhance their knowledge and skills. This requires a shift from the traditional approach of one-time teacher training to a continuous learning model. By continuously updating their skills and knowledge, teachers can provide the best possible learning experience for students.

Curriculum Design and Implementation :

Teachers are expected to play a key role in the design and implementation of the new curriculum framework outlined in the NEP, 2020. This involves identifying and incorporating relevant local and regional content into the curriculum, as well as using innovative pedagogical methods to ensure

effective learning outcomes.

Assessment and Evaluation :

Teachers are responsible for ensuring that the new assessment and evaluation system outlined in the NEP, 2020 is implemented effectively. This includes the use of formative and summative assessments to provide feedback to students, as well as the implementation of competency-based assessment methods.

Equity and Inclusion :

The NEP, 2020 emphasizes the need for equity and inclusion in education, and teachers are expected to play a key role in ensuring that all students, regardless of their socio-economic background, gender, or caste, have equal access to quality education.

National Mission on Foundational Literacy and Numeracy (NMFLT) :

The policy has proposed several measures to strengthen the role of teachers in the education system. One of the key measures is the establishment of a National Mission on Foundational Literacy and Numeracy (NMFLN), which aims to ensure that every child in the country achieves basic literacy and numeracy skills by Grade 3. The policy recognizes that teachers play a critical role in achieving this goal and has proposed several measures to provide them with the necessary training and support.

National Curriculum Framework for Teacher Education (NCFTE) :

The critical measure proposed in the NEP 2020 is the creation of a National Curriculum Framework for Teacher Education (NCFTE), which will guide the development of teacher education programs in the country. The NCFTE will ensure that teacher education programs are aligned with the goals of the NEP 2020 and will provide teachers with the knowledge and skills they need to implement the new curriculum effectively.

National Professional Standards for Teachers (NPST) :

NEP 2020 has proposed several other measures to strengthen the role of teachers in the education system. These include the creation of a National Professional Standards for Teachers (NPST), which will define the knowledge, skills, and values that teachers should possess.

National Research Foundation (NRF) :

The policy also proposes the establishment of a National Research Foundation (NRF) to promote research in education and to develop evidence-based practices that can improve the quality of education in the country.

On the whole, the role of teachers is crucial in the successful implementation of the new curriculum, promoting the use of technology in education to provide the best possible learning experience for students and achieving the goals of the policy. Teachers need to be proactive in adopting new teaching methods and approaches, and work closely with the government and other stakeholders to ensure that the goals of the policy are achieved. By transforming the role of teachers in the education system, the NEP, 2020 aims to create a more learner-centered, inclusive, and holistic education system that can meet the changing needs of society and the economy.

References :

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Teacher
2. National Education Policy 2020, Published by Ministry of Human Resource Development, Government of India.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 119-122

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

नई शिक्षा नीति 2020 : विशेष संदर्भ हरियाणा

रेनु अत्री, Net दिसम्बर 2022
सहायक प्रोफसर, कॉलेज रामप्रसाद अत्री इंडस कॉलेज आफ एजुकेशन, रोहतक।

प्रस्तावना :–

भारत की शिक्षा व्यवस्था सदैव परिवर्तनशील रही है। प्राचीन काल के गुरुकुल, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, मध्यकाल के मदरसे और मकतब, औपनिवेशिक काल की मैकॉले प्रणाली तथा स्वतंत्रता के बाद बनी विभिन्न शिक्षा नीतियाँ, ये सभी शिक्षा के बदलते स्वरूप को दर्शाते हैं। स्वतंत्र भारत में 1968 और 1986 की शिक्षा नीतियों के बाद, तीसरी बार 'नई शिक्षा नीति (NEP) 2020' लाई गई। यह नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को लचीला, कौशल–आधारित और शोधोन्मुख बनाने का प्रयास करती है।

हरियाणा जैसे राज्य, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में पिछले तीन दशकों में उल्लेखनीय प्रगति की है, के लिए यह नीति और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा का बड़ा अंतर है, साथ ही तकनीकी, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा में चुनौतियाँ भी सामने आती रही हैं। ऐसे में नई शिक्षा नीति हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने में सक्षम प्रतीत होती है।

नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदु :–

नई शिक्षा नीति 2020 को समझना हरियाणा की संदर्भगत स्थिति के लिए आवश्यक है। इसके मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं :

1. **विद्यालय शिक्षा (School Education) :–**
   * 10+2 की जगह 5+3+3+4 संरचना' (Foundational, Preparatory, Middle और Secondary स्तर)।
   * प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना।
   * सार्वभौमिक शिक्षा (Universal Education) को 2030 तक सुनिश्चित करना।
   * ड्रॉपआउट दर को कम करना और डिजिटल शिक्षा पर बल देना।
2. **उच्च शिक्षा (Higher Education) :–**
   * बहुविषयक शिक्षा प्रणाली।
   * उच्च शिक्षा संस्थानों का 'विलय और संरचनात्मक सुधार'।
   * एकल विषयक संस्थानों की जगह बहुविषयक विश्वविद्यालय।
   * स्नातक पाठ्यक्रम लचीला (3 या 4 वर्ष) और क्रेडिट बैंक की व्यवस्था।

3. **शोध एवं नवाचार :–**

* नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) की स्थापना।
* अनुसंधान एवं नवाचार को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाना।

4. **व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास :–**

* व्यावसायिक शिक्षा को कक्षा 6 से अनिवार्य रूप से जोड़ा गया।
* इंटर्नशिप और स्थानीय व्यवसायों से छात्रों को जोड़ना।

5. **शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण :–**

* 2030 तक न्यूनतम '4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.एड.' को शिक्षक बनने की अनिवार्यता।
* शिक्षक प्रशिक्षण और प्रदर्शन आधारित पदोन्नति।

6. **डिजिटल शिक्षा :–**

* ऑनलाइन और ई–लर्निंग को शिक्षा का अंग बनाना।
* डिजिटल डिवाइड को कम करने पर जोर।

हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था : वर्तमान परिदृश्य :–

हरियाणा, जो 1966 में अस्तित्व में आया, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार करता रहा है।

* 'साक्षरता दर' (Census 2011 के अनुसार) : लगभग 76.64%। पुरुषों की साक्षरता दर 85.38% जबकि महिलाओं की 66.77% रही।
* स्कूली शिक्षा : राज्य में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए सरकारी और निजी विद्यालयों का बड़ा नेटवर्क है।
* उच्च शिक्षा : कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (रोहतक), चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय (भिवानी), केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ सहित दर्जनों निजी विश्वविद्यालय भी हैं।
* तकनीकी शिक्षा : आईआईटी दिल्ली के विस्तार के रूप में सोनीपत में IIIT, NIT कुरुक्षेत्र, कई इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट कॉलेज।

चुनौतियाँ :–

* ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता का अभाव।
* सरकारी विद्यालयों में अधोसंरचना और शिक्षकों की कमी।
* ड्रॉपआउट दर, विशेषकर लड़कियों में।
* कौशल–आधारित शिक्षा की कमी।

नई शिक्षा नीति 2020 और हरियाणा में संभावनाएँ :–

1. विद्यालयी शिक्षा सुधार :–

नई शिक्षा नीति का सबसे बड़ा प्रभाव प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर होगा।

* हरियाणा के ग्रामीण अंचलों में बच्चों को मातृभाषा हरियाणवी या हिंदी में शिक्षा मिलने से उनकी समझ बेहतर होगी।
* 5+3+3+4 संरचना से बचपन से ही विद्यार्थियों की 'कौशल और समझ–आधारित नींव' मजबूत होगी।

* ड्रॉपआउट रोकने में मध्याह्न भोजन योजना, डिजिटल क्लासरूम और बालिका शिक्षा कार्यक्रम महत्वपूर्ण होंगे।

2. व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास :–

हरियाणा औद्योगिक राज्य है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, पानीपत, हिसार जैसे शहर उद्योग और स्टार्टअप हब हैं।

* कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा जोड़ने पर छात्र–छात्राएँ स्थानीय उद्योग, कृषि और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव ले पाएंगे।
* यह नीति बेरोजगारी दर कम करने में सहायक होगी।

3. उच्च शिक्षा में सुधार :–

* हरियाणा में विश्वविद्यालयों की भरमार है, लेकिन शोध का स्तर अपेक्षाकृत कम है।
* नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुविषयक शिक्षा और NRF की स्थापना से शोध को बढ़ावा मिलेगा।
* क्रेडिट बैंक से छात्र अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने पर भी आगे बढ़ सकेंगे।

4. डिजिटल शिक्षा :–

* कोविड–19 के समय हरियाणा ने ऑनलाइन शिक्षा का प्रयोग किया, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल गैप दिखा।
* NEP के अंतर्गत डिजिटल शिक्षा से यह अंतर कम करने का प्रयास होगा।
* हरियाणा डिजिटल शिक्षा प्रोजेक्ट जैसे राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को गति मिलेगी।

5. शिक्षक शिक्षा :–

* हरियाणा के शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण अभी भी चुनौती है।
* 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.एड. लागू होने से शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार होगा।

हरियाणा सरकार के प्रयास :–

* 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान' ने बालिका शिक्षा में क्रांति की।
* 'सुपर–100 योजना' : मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विशेष प्रशिक्षण।
* 'हरियाणा सुपर–150 (नीट/जेईई)' कोचिंग कार्यक्रम।
* 'स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल शिक्षा' हेतु सरकारी विद्यालयों में निवेश।
* 'स्किल यूनिवर्सिटी पलवल' (वर्ल्ड स्किल्स यूनिवर्सिटी) की स्थापना।

चुनौतियाँ :–

नई शिक्षा नीति को हरियाणा में लागू करने में कुछ कठिनाइयाँ भी सामने आएँगी :–

1. ग्रामीण व शहरी शिक्षा में असमानता।
2. डिजिटल डिवाइड : इंटरनेट व स्मार्टफोन की कमी।
3. गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण।
4. व्यावसायिक शिक्षा के लिए पर्याप्त उद्योग–शिक्षा सहयोग की आवश्यकता।
5. शिक्षा बजट में वृद्धि।

भविष्य की दिशा :–

* हरियाणा सरकार को शिक्षा पर खर्च बढ़ाकर जीडीपी का 6% सुनिश्चित करना होगा।
* उद्योग–शिक्षा समन्वय से युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा दी जा सकती है।
* डिजिटल ढाँचा मजबूत करने के लिए गाँव–गाँव इंटरनेट और टैबलेट जैसी सुविधाएँ पहुँचानी होंगी।
* शोध और नवाचार की संस्कृति विकसित करनी होगी।
* निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता पर नियंत्रण हेतु सख्त नियमन की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष :–

नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक युगांतकारी परिवर्तन का संकेत देती है। हरियाणा जैसे राज्य, जहाँ शिक्षा का विस्तार तो हुआ है परंतु गुणवत्ता और कौशल विकास में अभी भी चुनौतियाँ हैं, के लिए यह नीति आशा की नई किरण है।

यह नीति हरियाणा में :–

* प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा आधारित शिक्षा।
* व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार।
* उच्च शिक्षा में शोधोन्मुख दृष्टिकोण।
* डिजिटल शिक्षा का प्रसार।

और शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार :–

सभी पहलुओं को नई दिशा देगी।

यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाए तो हरियाणा न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श बन सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. 'भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय' : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (Government of India, Ministry of Education, National Education Policy 2020).
2. 'भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय' : नई शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन ढाँचा (Implementation Plan, MoE).
3. 'यूनिसेफ इंडिया' : भारत में शिक्षा : चुनौतियाँ और संभावनाएँ (Education Reports on India, UNICEF).
4. 'हरियाणा शिक्षा विभाग' : हरियाणा शिक्षा का परिदृश्य : आँकड़े और उपलब्धियाँ (Statistical Reports, School Education Department, Haryana).
5. 'हरियाणा उच्च शिक्षा निदेशालय' : उच्च शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट (Annual Report, Directorate of Higher Education, Haryana).
6. 'नरेंद्र देसाई, एम.' : भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास और नई शिक्षा नीति (राजकमल प्रकाशन, 2021).
7. 'डॉ. नरेश कुमार सिहाग' : शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन (अनुसंधान लेख, 2023)।

ई–मेल –renupan 220@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 123-128

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

उर्वशी में मिथकीय चेतना : एक साहित्यिक और सांस्कृतिक विश्लेषण

अतुल अग्निहोत्री

शोधार्थी, हिन्दी विभाग, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार।

प्रस्तावना :–

उर्वशी, भारतीय साहित्य और संस्कृति का एक ऐसा नाम है, जो समय की सीमाओं को पार कर हर युग में जीवंत रहा है। वह केवल एक अप्सरा नहीं, बल्कि मानव भावनाओं, आकांक्षाओं और दैवीयता के बीच की एक कड़ी है। ऋग्वेद की काव्यात्मक पंक्तियों से लेकर कालिदास के विक्रमोर्वशीयम् के नाटकीय मंच तक, उर्वशी की कहानी सौंदर्य, प्रेम और मानवीय द्वंद्वों की गहरी अभिव्यक्ति है। यह चरित्र केवल मिथक नहीं, बल्कि भारतीय चेतना का एक दर्पण है, जो हमें हमारे भीतर की आध्यात्मिक और भावनात्मक खोज की ओर ले जाता है। इस लेख में उर्वशी के चरित्र के माध्यम से मिथकीय चेतना को साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया जाएगा। उर्वशी का नाम सुनते ही मन में एक ऐसी छवि उभरती है, जो अलौकिक सौंदर्य, स्वतंत्रता और प्रेम की प्रतीक है। वह न केवल एक पौराणिक चरित्र है, बल्कि मानव मन की उन गहरी इच्छाओं और तनावों की अभिव्यक्ति भी है, जो दैवीय और सांसारिक के बीच संतुलन की तलाश में भटकता है। ऋग्वेद में पुरुरवा के साथ उनकी प्रेम कहानी मानव और दैवीय संसार के बीच की नाजुक डोर को दर्शाती है, जहां प्रेम और वियोग एक साथ सांस लेते हैं। कालिदास ने इसे और गहराई दी, जहां उर्वशी का चरित्र केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि भावनात्मक जटिलता और स्वतंत्रता की खोज का प्रतीक बन गया।

आधुनिक साहित्य और कला में उर्वशी को नए संदर्भों में देखा गया है। वह नारीत्व, आत्म–अभिव्यक्ति और सामाजिक बंधनों से मुक्ति की प्रतीक बनकर उभरी है। नृत्य, संगीत और चित्रकला में उनकी उपस्थिति भारतीय संस्कृति की जीवंतता को दर्शाती है। यह विश्लेषण उर्वशी के मिथकीय चरित्र को केवल पौराणिक कथा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतना के रूप में देखता है, जो परंपरा और आधुनिकता को जोड़ती है। उर्वशी की कहानी हमें यह सिखाती है कि मिथक केवल कहानियां नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की गहरी समझ का माध्यम हैं। इस लेख के माध्यम से हम उर्वशी के चरित्र के विविध आयामों को खोजेंगे, जो भारतीय साहित्य और संस्कृति में उनकी अमर उपस्थिति को रेखांकित करते हैं।

बीज शब्द :– सांस्कृतिक, अभिव्यक्ति, आध्यात्मिक, नाटकीयता, भावनात्मक, विरासत।

मिथकीय चेतना का अर्थ और संदर्भ :-

मिथकीय चेतना मानव मन का वह अनमोल कोना है, जहां कहानियां, प्रतीक और विश्वास मिलकर हमारे अस्तित्व को अर्थ देती हैं। यह केवल पुरानी कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक जीवंत दर्पण है, जो हमें हमारी जड़ों, आकांक्षाओं और जीवन के गहरे सवालों से जोड़ता है। भारतीय संदर्भ में मिथकीय चेतना वह सेतु है, जो मानव, प्रकृति और दैवीय शक्तियों के बीच संवाद बनाती है। यह वह चेतना है, जो ऋग्वेद की ऋचाओं से लेकर कालिदास के नाटकों और आज के साहित्य तक में सांस लेती है। यह हमें बताती है कि हम कौन हैं और हमारा विश्वास किस दिशा में हमें ले जाता है। मिथकीय चेतना का अर्थ है वह नजरिया, जो मिथकों के माध्यम से जीवन की जटिलताओं को समझने की कोशिश करता है। यह केवल कहानियां सुनाने का माध्यम नहीं, बल्कि उन कहानियों में छिपे प्रतीकों मूल्य और नैतिकता का जीवंत चित्रण है। उर्वशी जैसे मिथकीय चरित्र इस चेतना का प्रतीक हैं, जो सौंदर्य, प्रेम और मानव–दैवीय द्वंद्व को व्यक्त करते हैं। उनकी कहानी केवल प्रेम और वियोग की कथा नहीं, बल्कि मानव मन की आध्यात्मिक खोज का प्रतीक है।

इस चेतना का सांस्कृतिक संदर्भ भी गहरा है। यह हमें सामाजिक मूल्यों, परंपराओं और विश्वासों से जोड़ती है। उर्वशी की कहानी, जो ऋग्वेद से लेकर आधुनिक कला तक में गूंजती है, हमें सिखाती है कि मिथक केवल काल्पनिक कथाएं नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं। यह चेतना समय के साथ बदलती है, फिर भी अपने मूल को संजोए रखती है। उदाहरण के लिए, उर्वशी का चरित्र आज नारी स्वतंत्रता और आत्म–अभिव्यक्ति की प्रतीक बन गया है, जो आधुनिक समाज की नई व्याख्याओं को दर्शाता है। मिथकीय चेतना हमें अतीत और वर्तमान के बीच एक संवाद स्थापित करने का मौका देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का हिस्सा हैं। यह चेतना हमें अपने भीतर की खोज के लिए प्रेरित करती है, जहां हम अपने मूल्यों, विश्वासों और सपनों को नए सिरे से समझ सकते हैं।

1. प्रतीकात्मकता : उर्वशी का सौंदर्य और दैवीय-मानवीय द्वंद्व :-

उर्वशी का नाम भारतीय मिथक और साहित्य में एक ऐसी चमक लिए हुए है, जो सौंदर्य, प्रेम और आध्यात्मिकता को एक साथ बुनता है। वह केवल एक अप्सरा नहीं, बल्कि मानव मन की गहरी आकांक्षाओं और सीमाओं का प्रतीक है। उनका सौंदर्य सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि उस अनुभूति का प्रतीक है, जो मानव को दैवीय की ओर खींचता है। ऋग्वेद में उर्वशी और पुरुरवा की प्रेम कहानी इस द्वंद्व को जीवंत करती है, एक ऐसी प्रेम कथा, जहां मानव और दैवीय एक–दूसरे को चाहते हैं, मगर उनकी प्रकृति उन्हें अलग करती है। यह द्वंद्व मिथकीय चेतना का मूल है, जो हमें हमारी सीमाओं और अनंत की खोज के बीच की जद्दोजहद दिखाता है।

उर्वशी का सौंदर्य केवल आंखों को लुभाने वाला नहीं, बल्कि यह प्रेम और कामुकता के बीच की महीन रेखा को दर्शाता है। वह उस इच्छा की प्रतीक हैं, जो हर इंसान के भीतर दबी होती है, कुछ ऐसा पाने की, जो उसकी पहुंच से परे हो। कालिदास के विक्रमोर्वशीयम् में उर्वशी का चरित्र इस प्रतीकात्मकता को और गहरा करता है। यहां वह न केवल सौंदर्य की मूर्ति हैं, बल्कि एक ऐसी नारी भी, जो अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन तलाशती है। उनका दैवीय स्वभाव और मानवीय भावनाएं एक–दूसरे से टकराती हैं, जो हमें यह सोचने

पर मजबूर करता है कि क्या सच्चा प्रेम बंधनों से मुक्त हो सकता है।

उर्वशी का यह द्वंद्व हमें अपने जीवन से जोड़ता है। हम सभी कहीं न कहीं उस दैवीय स्पर्श को चाहते हैं, मगर हमारी मानवीय सीमाएं हमें रोकती हैं। उर्वशी इस सत्य को उजागर करती है कि प्रेम और आकांक्षा हमें ऊंचा उठा सकते हैं, लेकिन वे हमें हमारी जड़ों से भी जोड़े रखते हैं। उनकी प्रतीकात्मकता हमें याद दिलाती है कि सौंदर्य और प्रेम केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की खोज का हिस्सा हैं, जो हमें मानव और दैवीय के बीच की यात्रा पर ले जाता है।

2. कथानक : साहित्यिक चित्रण में उर्वशी :–

उर्वशी की कहानी भारतीय साहित्य में एक ऐसी नदी की तरह बहती है, जो हर युग में नए रंग और गहराई लिए हुए उभरती है। ऋग्वेद में उनकी कहानी संक्षिप्त मगर मार्मिक है, पुरुरवा के साथ उनका प्रेम और फिर वियोग, मानो जीवन की नश्वरता और अनंत की टकराहट हो। यह कथानक सादगी में गहरा है, जो प्रेम की ताकत और उसकी सीमाओं को बयां करता है। उर्वशी का चरित्र यहां एक अप्सरा के रूप में उभरता है, जो मानव हृदय को छूती है, मगर अपने दैवीय स्वभाव के कारण उससे बंध नहीं पाती। कालिदास के विक्रमोर्वशीयम् में यह कथानक और जीवंत हो उठता है। यहां उर्वशी का चरित्र मानवीय भावनाओं से भरा है, वह प्रेम करती है, पीड़ा सहती है और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती है। कालिदास उनकी कहानी को नाटकीयता और भावनात्मक गहराई के साथ पेश करते हैं, जहां प्रेम और कर्तव्य, स्वतंत्रता और बंधन के बीच का तनाव कथानक का केंद्र बनता है। उर्वशी की यह यात्रा हमें हमारे अपने जीवन की जटिलताओं से जोड़ती है, जहां हम भी अपने दिल की चाहत और दुनिया की मांगों के बीच फंसते हैं।

आधुनिक साहित्य में उर्वशी को नए रूप में देखा गया है। रवींद्रनाथ टैगोर जैसे कवियों ने उन्हें नारी स्वतंत्रता और आत्म–अभिव्यक्ति के प्रतीक के रूप में चित्रित किया। उनकी कहानी अब केवल प्रेम और वियोग की नहीं, बल्कि एक ऐसी नारी की है, जो अपनी पहचान तलाशती है। यह कथानक हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मिथक केवल अतीत की कहानियां नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान की सच्चाइयों का आलम हैं। उर्वशी का साहित्यिक चित्रण हमें याद दिलाता है कि कहानियां समय के साथ बदलती हैं, मगर उनका मूल भाव मानव मन की खोज हमेशा जीवित रहता है।

3. सांस्कृतिक संदर्भ : उर्वशी का सामाजिक प्रभाव :–

उर्वशी का नाम भारतीय संस्कृति में एक ऐसी धुन की तरह गूंजता है, जो दिल को छू लेती है। वह केवल एक मिथकीय अप्सरा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना का एक जीवंत हिस्सा है, जो साहित्य, कला और सामाजिक मूल्यों में गहरे तक समाई हुई है। जब हम किसी भरतनाट्यम या कथक प्रदर्शन में उर्वशी की कहानी देखते हैं, तो वह सिर्फ नृत्य नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं और परंपराओं की एक जीवंत तस्वीर बन जाती है। उर्वशी का चरित्र हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, और साथ ही वह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा समाज सौंदर्य, प्रेम और स्वतंत्रता को कैसे देखता है। उर्वशी का सामाजिक प्रभाव भारतीय कला और संस्कृति के हर रूप में दिखता है। नृत्य और संगीत में उनकी कहानी को बार–बार जीवंत किया जाता है, जो हमें प्रेम और वियोग की गहरी भावनाओं से जोड़ता है। उदाहरण के लिए, जब एक नृत्यांगना उर्वशी के दैवीय सौंदर्य

और मानवीय प्रेम को मंच पर उतारती है, तो वह दर्शकों को न केवल मनोरंजन देती है, बल्कि उन्हें अपने भीतर की भावनाओं की खोज के लिए प्रेरित करती है। यह प्रभाव चित्रकला और मूर्तिकला में भी दिखता है, जहां उर्वशी का चित्रण सौंदर्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक बनता है।

उर्वशी का चरित्र सामाजिक मूल्यों को भी आकार देता है। वह नारीत्व की एक ऐसी छवि प्रस्तुत करती है, जो शक्ति, स्वतंत्रता और भावनात्मक गहराई का मिश्रण है। भारतीय समाज में, जहां नारी को अक्सर परंपरागत भूमिकाओं में देखा जाता है, उर्वशी हमें यह याद दिलाती है कि नारीत्व केवल बंधनों तक सीमित नहीं, बल्कि यह स्वतंत्रता और आत्म–अभिव्यक्ति की खोज भी है। उनकी कहानी सामाजिक संवाद को बढ़ावा देती है, जहां प्रेम और कर्तव्य, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी जैसे विषयों पर विचार किया जाता है। यह प्रभाव केवल अतीत तक सीमित नहीं है। उर्वशी की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है, क्योंकि वह हमें परंपरा और आधुनिकता के बीच की कड़ी दिखाती है। वह एक ऐसी शख्सियत है, जो हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को गर्व से अपनाने और साथ ही बदलते समय के साथ उसे नए अर्थ देने की प्रेरणा देती है। उर्वशी का सामाजिक प्रभाव इस बात का सबूत है कि मिथक केवल कहानियां नहीं, बल्कि हमारे जीवन और समाज का एक अभपदद हिस्सा हैं।

उर्वशी और समकालीन प्रासंगिकता :–

उर्वशी, एक मिथकीय चरित्र, जो सदियों से भारतीय साहित्य और संस्कृति में जीवित है, आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। वह केवल एक अप्सरा की कहानी नहीं, बल्कि उन गहरी मानवीय भावनाओं और संघर्षों की प्रतीक है, जो आधुनिक समाज में भी हमें छूती हैं। उर्वशी की कहानी प्रेम, स्वतंत्रता और अपने अस्तित्व की खोज आज की नारीवादी और सामाजिक चर्चाओं में एक नया अर्थ लेती है। वह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने समय में प्रेम, स्वतंत्रता और सामाजिक बंधनों को कैसे देखते हैं। आधुनिक संदर्भ में उर्वशी का चरित्र नारीवाद के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी, जो ऋग्वेद में पुरुरवा के साथ प्रेम और वियोग की कथा से शुरू होती है, आज की नारी की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की खोज को दर्शाती है। उर्वशी का दैवीय स्वभाव और मानवीय भावनाओं का द्वंद्व हमें यह याद दिलाता है कि हर इंसान, खासकर नारी, अपनी इच्छाओं और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच संतुलन तलाशता है। आज, जब हम लैंगिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, उर्वशी एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरती है, जो अपनी शर्तों पर जीने की प्रेरणा देती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं, बल्कि अपने भीतर की आवाज को सुनना भी है।

उर्वशी का समकालीन महत्व कला और साहित्य में भी दिखता है। आधुनिक लेखक, कवि और कलाकार उर्वशी को नए संदर्भों में पुर्नव्याख्या करते हैं। वह अब केवल प्रेम की प्रतीक नहीं, बल्कि आत्म–अभिव्यक्ति और सशक्तिकरण की मिसाल हैं। उदाहरण के लिए, समकालीन नृत्य और सिनेमा में उर्वशी की कहानी को नारी की शक्ति और उसकी जटिल भावनाओं को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह हमें दिखाता है कि मिथक केवल अतीत की कहानियां नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान के सवालों का जवाब देने का जरिया भी हैं। उर्वशी की प्रासंगिकता इस बात में भी है कि वह हमें परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद की प्रेरणा देती है। वह हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपनाने और उसे आज के संदर्भ में नया अर्थ देने का रास्ता दिखाती है। उर्वशी

की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी जड़ें हमें ताकत देती हैं, और हमारा समय हमें उन्हें नए रंगों से सजाने का मौका देता है।

निष्कर्ष :-

उर्वशी का चरित्र भारतीय साहित्य और संस्कृति में एक ऐसी रोशनी है, जो सदियों से हमारे दिलों को रोशन करती आ रही है। वह केवल एक मिथकीय अप्सरा नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं, आकांक्षाओं और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। उनकी कहानी प्रेम, वियोग और स्वतंत्रता की खोज मिथकीय चेतना का एक जीवंत रूप है, जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और वर्तमान में नई प्रेरणा देती है। उर्वशी का महत्व केवल साहित्यिक कथानकों तक सीमित नहींय वह कला, नृत्य और सामाजिक मूल्यों में भी जीवित है, जो हमें हमारी जड़ों और सपनों के बीच की कड़ी को समझने में मदद करती है। ऋग्वेद की पंक्तियों से लेकर कालिदास के विक्रमोर्वशीयम् और आधुनिक साहित्य तक, उर्वशी का चरित्र समय के साथ बदलता रहा, मगर उसका मूल भाव मानव और दैवीय के बीच का तनाव, प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व अटल रहा। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मिथक केवल पुरानी कथाएं नहीं, बल्कि हमारे जीवन के गहरे सवालों का जवाब देने का जरिया हैं। भरतनाट्यम, कथक या चित्रकला में उनकी उपस्थिति हमें हमारी सांस्कृतिक जीवंतता से जोड़ती है, जो हमें गर्व और प्रेरणा देती है।

आज के समय में उर्वशी की प्रासंगिकता और भी गहरी है। वह नारी स्वतंत्रता और आत्म–अभिव्यक्ति की प्रतीक बनकर उभरती हैं, जो आधुनिक समाज में लैंगिक समानता और व्यक्तिगत पहचान की चर्चाओं को नया आयाम देती हैं। उर्वशी हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत हमें न केवल ताकत देती है, बल्कि उसे नए संदर्भों में ढालने का रास्ता भी दिखाती है। उनकी मिथकीय चेतना हमें यह सिखाती है कि हमारी कहानियां हमें अपने भीतर और समाज में गहरे अर्थ खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। उर्वशी का चरित्र एक ऐसी प्रेरणा है, जो हमें परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ने का हौसला देता है। वह हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि मिथक हमारे जीवन को समझने और समृद्ध बनाने का एक अनमोल रास्ता हैं।

संदर्भ सूची :-

1. शर्मा, हरिशंकर, 2005, भारतीय लोक संस्कृति, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 56।
2. मिश्रा, रामचंद्र, 2010, संस्कृत साहित्य का इतिहास, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, पृ. 89।
3. पट्टनायक, देवदत्त, 2006, मिथ = मिथ्या, पेंगुइन बुक्स, नई दिल्ली, पृ. 123। उ
4. सिंह, उपेंद्र, 2012, संस्कृत साहित्य में नारी, साहित्य भवन, इलाहाबाद, पृ. 45।
5. जैन, मीना, 2008, भारतीय संस्कृति में मिथक, लोकभारती प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 78।
6. भट्टाचार्य, सुकुमारी, 1995, भारतीय मिथक कथाएँ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 102।
7. शास्त्री, जे.एल., 2000, प्राचीन भारतीय साहित्य, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, पृ. 67।
8. नारायण, रघुनाथ, 2015, भारतीय मिथक और संस्कृति, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली, पृ. 34।
9. रामचंद्रन, टी.एन., 2007, भारतीय नृत्य और नाटक, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, पृ. 91।

10. पांडे, राजबली, 1998, हिंदू मिथक और परंपराएँ, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. 112।
11. वर्मा, सुधा, 2018, आधुनिक हिंदी साहित्य में मिथक, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 65।
12. गुप्ता, रमेश, 2003, भारतीय कला और संस्कृति, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, पृ. 88।
13. तिवारी, भोलानाथ, 2011, संस्कृत नाटक और काव्य, साहित्य भवन, इलाहाबाद, पृ. 72। कालिदास के विक्रमोर्वशीयम् में उर्वशी का नाटकीय चित्रण।
14. मल्होत्रा, अनिता, 2016, भारतीय नृत्य परंपराएँ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 49।
15. यादव, रामप्रसाद, 2009, वैदिक साहित्य और संस्कृति, भारतीय साहित्य संग्रह, दिल्ली, पृ.।

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 129-133

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

FUZZY TOPOLOGICAL SPACE

Dr. Brajesh Kumar

Assistant Professor, Department of Mathematics

G.M.R.D. College, Mohanpur, Samastipur, L.N.M.U., Darbhanga

ABSTRACT

The notion of a fuzzy set, which was introduced by Zadeh, provides a natural framework for generalizing the notions of general topology which may be called Fuzzy Topology. The concept of "Fuzzy Topological Space" was propounded by C. L. chang in 1968 and is regarded as the generalization of the notion of topological space. The concept of fuzzy topological space grew out of the study of the membership function and lindelof space and the study of function spaces.

Introduction

The definition of a Fuzzy Topological Space that is now standard was a long time in being formulated. Various mathematicians Frechet, Hausdorff and others - proposed different definitions over a period of years during the first decades of this century, but is took quite a while before mathematician settled on the one that seemed most suitable. They wanted, of course, a definition that was as broad as possible, so that it would include as special cases all the various examples that were useful in Mathematics - lindelof space and the function spaces among them - but they also wanted the definition to be narrow enough that the standard

theorems about these familiar spaces would hold for Fuzzy Topological spaces in general.

Materials and Methods

L.A. Zadeh in 1965 introduced the concept of "Fuzzy set" on the basis of membership function on defined as:

$$\mu : x \longrightarrow \{0,1\} ;$$

where $\mu(x) = 1$, means full membership;

$\mu(x)=0$, means non-membership;

$O < \mu(x) < 1$, means intermediate membership.

Due to Zadeh's work, a theory of fuzziness is now fully developed.

If X be a non-empty set, then a fuzzy set A in X is defined by the following set of pairs:

$$A = \{(x, \mu_A(x)) \mid x \in X\}$$

where $\mu_A : X \longrightarrow [0,1]$ is a function known as the membership function of A and $\mu_A(x)$ is the degree of membership or degree of belonginess or grade of membership of $x \in X$ in A.

If X be a non-empty set and I^X be a fuzzy set consisting of all pairs of elements of X with their degrees of membership and if ... be a family of subsets of I^X such that

F_1. $\Phi , I^X \in \tau$;

F_2. The intersection of an two (any finite number of) members of τ is a member of τ ;

F_3. The union of any family of members of τ is a member of τ ;

then τ is called a Fuzzy Topology on I^X and (I^X , τ) is called a Fuzzy

Topological Space. I^X will be known as the Fuzzy Ground Set for the Fuzzy Topological (I^X , τ).

If X is a set of all pairs of elements with their degrees of membership and if τ is a family of subsets of X, then we say that (X , τ) is a Fuzzy Topological Space

Results and Discussion

(A) FUZZY SET

A fuzzy set is a set of pairs consisting of a particular element of the universe an it's degree of membership.

'A' can be written as

$$A = \{(x_1, \mu_A(x_1)) , \{(x_2, \mu_A(x_2)) , \dots \{(x_n, \mu_n(x_n))\}$$

Symbolically, we write

$$A = \left\{\frac{x_1}{\mu_A(x_1)}, \frac{x_2}{\mu_A(x_2)}, \dots, \frac{x_n}{\mu_A(x_n)}\right\}$$

(B) Intervals determined by a & b.

Let X be a non-empty set having a simple order relation '<'. Let a, b ∈ be given such that a < b . Then there are four subsets of X called the intervals determined by a & b as follows:

$$(a, b) = \{ x \mid a < x < b \}$$

$$[a, b) = \{ x \mid a \leq x < b \}$$

$$(a, b] = \{ x \mid a < x \leq b \}$$

$$[a, b] = \{ x \mid a \leq x \leq b \}$$

(C) Ordered Topological Space

If X be a non-empty set with a simple order relation and

If $\mathbb{B}$ be a family of subsets of X such that

(i) All open intervals of X belong to $\mathbb{B}$;

(ii) All intervals of the form $[a_0, b)$; where a_0 is the smallest element (if any) of X belong to $\mathbb{B}$;

(iii) All intervals of the form $(a, b_0]$; where b_0 is the largest element (if any) of X belong to $\mathbb{B}$;

then $\mathbb{B}$ is called a basis for a topology on X which is called the order topology and $(X, \mathbb{B})$ is called Ordered Topological Space.

(D) Let us consider

$X = \{p,q\}$.

Let A be a fuzzy set on X defined as

$A(p)=0.6, A(q)=0.4$

Then $\mathcal{T} = \{0,A,1\}$ is a fuzzy topology and $(X, \mathcal{T})$ is a fuzzy topological space.

(E) The intersection of an arbitrary collection of fuzzy topologies for X is itself a fuzzy topology for X .

Conclusions

In this paper, membership function with degrees has been introduced such that Fuzzy Topological Space can be defined. Also Ordered Topological Space has be defined in this paper such that Basis for a topology on the ground fuzzy set can be introduced. The fuzzy weight of F(X) is equal to the weight of X. Some connections between the topological properties of X and the properties of fuzzy topology on F(X) are established.

References

1. B. Hutton (1975): Normality in Fuzzy Topological Space, J. Math. Anal. Appl. Appl. 58.
2. C. L. Chang (1968): Fuzzy Topological spaces, J. Math. Anal. Appl. 24.
3. Pu. Pao. Ming (1980): Fuzzy Topology - I, J. Math. Anal. Appl. 76.
4. R. Lower (1976): Fuzzy Topological Spaces & Fuzzy Compactness, J. Math. Anal. Appl. 56.
5. E. Michael (1957): Topology on space of sub-sets, Trans. Amer, Math Soc, 71.
6. L. A. Zadeh (1965): Fuzzy Sets, Information and Control 8.
7. S. A. Gaal (1964): Point Set Topology, Academic Press, New York.
8. J. G. Brown (1971): A note on fuzzy sets, Information and Control 18.
9. Hu Cheng-Ming (1982): Fuzzy Uniform Spaces, I. Fuzzy Math. 2.
10. T. Lowen (1982): Fuzzy Neighbourhood Spaces, Fuzzy Sets and Systems 7.

E-mail : drbrajeshhskanti@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 134-138

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Take of Shashi Deshpande of Alice Walker on Feminism in their works

Priya (Research Scholar Ph.D)
Dr. Farah Naz Farrukh (Assistant professor)
Om Sterling Global University, Hisar

Abstract :-

This paper tries to critically analyse the works of Shashi Deshpande, who is a famous Indian English writer and Alice Walker, an afro-American writer and view them in the light of feminist perspective. Women since ancient times have been discussed and portrayed by different writers according to their thoughts, the culture they were born in and the time period in which they existed. Shakespeare's portrayal of women is quite complex — who challenges the traditional roles and also presents the expectations of that time. Alexander Pope born years later comments on societal norms that restrict women as well as ridicules them for being conniving, illogical and presents them as inferior to men. Writers of different ages, times present women in different shades, shapes, colors and sizes. This paper tries to examine the portrayal of women by two women writers who are acknowledged, widely read & celebrated among literary circles.

Keywords :- Shashi Deshpande, Feminism, Alice Walker, Shakespeare, Women, Women portrayal.

Introduction :-

Literature is said to be the mirror of the society capturing the issues prevalent in which it is written. It is a social commentary which is not separate from society. In this view, it would not be wrong to say or put forth that writers observe the society, societal norms, beliefs – all these things shapes their writing. Shashi Deshpande an Indian writer is a famous novelist who won Sahitya Academy award for her work "That Long Silence". In it she portrays the life of Indian women through protagonist. In her varied works it is found that the portrayal of characters has been beautifully & very innovatively done. Alice Walker on the other hand is an Afro American writer, who is also quite realist in the presentation of things in her works. The portrayal of different characters is not fictitious one but is deeply rooted in reality. She takes up the themes related to the society and on that plain she draws the

lively character. Walker for her work "The Color Purple" won Pulitzer Prize in which the theme, characterization, plot construction, style – everything was spic & spank but what made the novel a masterpiece was the beautiful and accurate presentation of woman's life.

Ms. Shashi born in 1938 saw the plight of women in her house, neighbours & other adjacent women who came in her contact. She drew the intricate family relationship offering a lens through which one can peep inside the complex roles which a woman in the society as well as at home is expected to play. In her thirteen novels there is rigorous presentation of internal struggles and societal constraints faced by young, educated women who are trapped in the dilemma of leading a traditional role or to seek an independent life.

Walker born 6 years later is an Afro American social activist, novelist and poet. They both share same age but fight for same things. Black women of her community are too suppressed & down trodden, they do not have their own rights & identity, thus Alice, being an educated individual raises voice for them. She actively participates in different movements and expresses her deepest feelings in her works.

Feminist Point of View of Shashi Deshpande :

Shashi Deshpande plays vital role in the field of feminism. Her works are often women centric exploring their aspirations, relationships and struggles. The limitations which are imposed on a woman by the patriarchal society are deeply explored. There is a nuanced understanding of feminist consciousness & its complexities in Shashi. Her female characters deal with the issues like societal expectations, their personal desires, gender inequality; there is a tension between tradition & one's own freedom. Females in her works challenge and navigate the patriarchal norms with which limits them and sets up their autonomy on females. Shashi delves into complexities of relationships, emotions, gender identity & power dynamics. *Roots & Shadows* is a work exploring the journey of self discovering of the protagonist Indu. The protagonist fights to understand her identity with societal expectations of traditional family dynamics. She goes into her family history and stories trying to connect with ancestry and understanding how it is shaping her. She says – "I want to be somebody… I want to have an identity of my own."

That Long Silence is a work in which gender is reimagined, feminist consciousness is examined through the journey of protagonist, the struggles and triumphs of the protagonist presents gender dynamics as well as feminist thoughts. Jaya confronts patriarchal norms and seeks for her own autonomy. She declares "I have found to my voice. I will not be silenced." She says she will work for her personal fulfillment of self expression and won't be accepting the role meekly.

"I have to be myself. I have to find a way of being myself in a world that wants me to be

someone else."

The traditional way of dealing with a man has been rejected. Jaya decides to live in the marriage but she will keep her points, desire, emotions in front of Mohan. She decides to speak & listen.

Dark Holds No Terror is again a novel which talks about a woman's freedom of identity. The protagonist Sarita wants personal freedom and fulfilment. She says "I want to be myself, no more no less". This statement shows her eagerness, zest to break free from societal expectations of set standards. She is seen questioning herself again & again – "Who am I? Who am I, really?". Sarita rejects the set norms and says "I am not a shadow, I am not an echo, I am not a reflection of others." Deshpande here in the novel does not speak on outer plain but she goes deeper beyond the surface, exploring gender roles, selfhood and presenting them in multiple dimensions. A very thought provoking exploration into the complexities has been done. Shashi which makes the novel *Dark Holds No Terror* a powerful testament to trying to transform the life of women.

Shashi Deshpande in her novels use the theme of rebellion & resistance against the structures which suppress women. The feminist consciousness as depicted in her novels evolves from the portrayal of women as passive victims to empowered individuals who are able to fight for their rights. The novelist tries to give a message that there is a need of balance between tradition & modernity. She does not reject tradition entirely but suggests a redefinition of gender roles within the cultural context.

Feminist Point of View of Alice Walker :

Alice Walker's works reflect her commitment to feminist ideals, particularly intersectionality and inclusivity. She addresses issues such as racial and gender inequality, oppression, self-identity & personal empowerment. Walker coined the term "Womanism" to describe her form of feminism which focuses on the experiences of black women. Her works are deeply rooted in the culture, history and struggles of African American women.

In her famous work *The Color Purple*, Walker's feminist perspective is vividly illustrated. The novel's protagonist Celie undergoes a remarkable transformation from a passive, abused woman to an independent, self-assured individual. Celie's journey is one of self-discovery and empowerment. She learns to assert herself, to find joy in her own existence, and to build strong, supportive relationships with other women. Through Celie, Walker emphasizes the importance of self-love, resilience, and the power of female solidarity in overcoming oppression.

Walker's *Meridian* is another work in which feminist ideals are presented by the novelist. The protagonist Meridian Hill challenges traditional gender roles and societal expectations. She is a young African American woman involved in the Civil Rights Movement, and her journey reflects the struggles

and triumphs of women fighting for equality and justice. Meridian's dedication to social change, despite personal sacrifices, underscores Walker's belief in the power of women to effect meaningful change in society.

Walker's essays, collected in works such as *In Search of Our Mothers' Gardens*, further elaborate her feminist vision. In these essays, she celebrates the creativity, strength, and resilience of black women, often highlighting the ways in which their contributions have been overlooked or undervalued. Walker's womanist perspective is inclusive, advocating for the liberation of all oppressed people, and recognizing the interconnectedness of various forms of discrimination.

Both Shashi Deshpande and Alice Walker, though from different cultural backgrounds, share a commitment to portraying the lives of women with authenticity and depth. Their works challenge patriarchal norms and advocate for the empowerment of women, making significant contributions to feminist literature.

Conclusion :–

The comparative study of Shashi Deshpande and Alice Walker's works reveals their shared commitment to feminist ideals, despite their different cultural contexts. Both writers focus on the personal and social struggles of women, highlighting issues such as gender inequality, identity, and empowerment. Deshpande's narratives often center around the internal conflicts of Indian women navigating the pressures of tradition and modernity, while Walker's works address the intersecting oppressions faced by African American women, advocating for both racial and gender justice.

Through their respective literary contributions, Deshpande and Walker provide nuanced portrayals of women's lives, emphasizing the importance of self-discovery, resilience, and solidarity. Their characters' journeys from oppression to empowerment reflect a broader feminist vision that transcends cultural boundaries. This study underscores the enduring relevance of their works in contemporary discussions on gender and equality, illustrating the power of literature to challenge societal norms and inspire change.

References :

1. Deshpande, Shashi. *That Long Silence*. Penguin Books India, 1989.
2. Deshpande, Shashi. *Roots and Shadows.* Disha Books, 1983.
3. Deshpande, Shashi. *Dark Holds No Terrors.* Penguin Books India, 1990.
4. Walker, Alice. *The Color Purple.* Harcourt Brace Jovanovich, 1982.
5. Walker, *Alice. Meridian.* Harcourt Brace Jovanovich, 1976.
6. Walker, Alice. *In Search of Our Mothers' Gardens: Womanist Prose.* Harcourt Brace Jovanovich, 1983.

7. Rajan, Rajeswari Sunder. *Real and Imagined Women: Gender, Culture and Postcolonialism.* Routledge, 1993.
8. Hooks, Bell. *Ain't I a Woman: Black Women and Feminism.* South End Press, 1981.
9. Kumar, Radha. *The History of Doing: An Illustrated Account of Movements for Women's Rights and Feminism in India* 1800–1990. Zubaan, 1993.
10. Mohanty, Chandra Talpade. *Feminism Without Borders: Decolonizing Theory,* Practicing Solidarity. Duke University Press, 2003.
11. Spivak, Gayatri Chakravorty. *In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. Routledge*, 1987.
12. Beauvoir, Simone de. *The Second Sex. Vintage* Books, 1949.
13. Showalter, Elaine. *A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing.* Princeton University Press, 1977.
14. Millett, Kate. *Sexual Politics.* Doubleday, 1970.
15. Gilbert, Sandra M., and Susan Gubar. *The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination.* Yale University Press, 1979.

Priyaa20133@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 139-146

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

India's Relations with Major Powers

Dr. Ravi

Assistant Professor, Department of Political Science,
Shivaji College, University of Delhi.

Introduction :

India is a country full of wonders, inspiring stories, and traditions. It has been a strong, diverse, and powerful country for centuries, setting an example to the rest of the world with its incredible history and culture. India declared independence in 1947 and has since become a prosperous country making great strides in trade and development. It is the second most populous country with a population of more than 1.41 Cr. Soul, the seventh largest country in the world, covers an area of ??approximately 3287,263 square kilometres. India has come a long way since its independence in 1947, when it was an agriculturally backward country.

The emergence of India as a new country is very significant due to the negative impact of politics in the last few decades. George Curzon, 1st Marquees of Kedleston (former Governor-General of India) explained the importance of India to the British Empire in a speech in 1909: India's base, its capital Rich, its people, its good commercial facilities, its military resources. The fact that the regular army is capable and effective enough to defeat the enemy anywhere in Asia and Africa is very valuable. In the West, India was supposed to preside over the fate of Iran and Afghanistan; in the north, it can veto all dissidents in Tibet; in the northeast … can cause trouble for China and is one of the guardians of the autonomous forest of Siam. – Lord Curzon, India, United States (1909).

India's Foreign Policy :

Every country in the world has a full responsibility to create a foreign policy that will provide the best .Do the way their country loves. Always considered important Section Characteristics of International Justice. The twin issues of "sovereignty" and "security" support. Use of applicable forever, with the recent transmissible. The world is the dominant force in world politics, foreign policy Section has been analysed by many political experts. Kenneth Waltz, founder of the New School Article Realism has categorically said that international political decisions are no longer a thing.

Main concerns of states because their behaviour can be explained by the interaction between powers Article of the law.

Constitution Act Article 51 of the Constitution of India provides for certain applications of national law for the promotions of national law for the promotion of international peace and security. To preserve justice and respect relations between nations. To promote the settlement of international disputes by judicial arbitration According to the agreement signed between the Tibet Region of China and India on 29 April 1954, the two governments "have agreed to sign this Agreement as follows :-

- Respect for each other's territory.
- Justice and freedom.
- Mutual discord.
- Mutual conflict.
- Equality and harmony of peace.

The aim of the conflict is to ensure the independence of the country in foreign relations. Conflict is neither neutral impartial, nor exclusive. This is a dynamic concept. The Non- Aligned Movement was born and developed from the collapse of the colonial system and the struggle for freedom of the peoples of Africa, Asia, Latin America and other parts of the world. Anti- colonialism India has a history of being against colonialism and racism. When injustice arises, India will fight against it; for example, in 1947 he supported the Indonesian people in their fight against Dutch colonialism, and South Africa's illegal occupation of Namibia.

Therefore, India is a supporter of the process of decolonization. These are clear evidence of India's resistance to diplomacy. Asia- African Union India developed good relations with other newly independent countries in Asia and Africa during the 1940s and 1950s. It is important that Nehru was a supporter of Asian unity. Therefore, under his leadership, India organized the Asian Relations Conference in March 1947. As mentioned earlier, India also justified Indonesia's early independence from the Dutch colonial territory. Additionally, India organized an international conference in 1949 to support Indonesia's freedom struggle. Additionally, the Asian Conference (commonly known as the Bandung Conference) held in Bandung, Indonesia in 1955, marked India's cooperation with newly independent Asian and African countries.

Later, the Bandung conference led to the establishment of the non- Aligned Movement. Anti-racism India believes in equality for all. Policies against all forms of racial discrimination. India strongly opposes South Africa's controversial policy. India not only cut ties with South Africa in 1949, but also decided to use its influence to (later) wipe out South Africa's white nationalists. Foreign Economic Assistance after independence, India realized the importance of economic development.

Moreover, he knows his limits. India lacks capital, know- how and technology. India can kill two birds with one stone by implementing its neutrality policy. Surprisingly, India has the best of both worlds. Also, India sought help from the Soviet Union and the USA, which went well for India. Additionally, the United States produced rice during the famine of 1965.

Economic Development :

Economic development of India over the years, India has emerged as one of the most developed economies in the world using advanced technology and solutions. New challenges to become a global leader in business, technology and digital innovation. India's economic growth has been driven by advances in science and technology, investments in infrastructure and human capital, and increased foreign investment.

Social and Political Reforms :

Today's social and political reforms in India have given rise to new entrepreneurs, innovators, thinkers and citizens around the world. Indian democracy remains strong, powerful and inclusive and is accepted by all sections of Indian society. The country has introduced many laws and initiatives to provide equal rights to all citizens regardless of sex and gender. These laws lead to the emergence of democracy and integration.

Cultural Exchange :

India has a long history of cultural exchange with the rest of the world, especially Asia, and its cultural influences include Jainism, Buddhism, Hinduism, Sikhism, etc. It is expressed through religious beliefs such as. Many religions that emerged outside the Indian subcontinent (Islam, Christianity, Judaism, Zoroastrianism, Baha'i Faith) have followers in India. Indian culture was spread abroad by itinerant traders, philosophers and foreigners.

Army :

The Indian Army plays an important role in combating terrorism and maintaining law and order in the Kashmir region. India has also participated in United Nations security operations on multiple occasions and is currently the largest contributor to United Nations peacekeeping forces and the second largest contributor to the United Nations Democracy Fund after the United States.

India was one of the founders of the Non-Aligned Movement and had good relations with Western countries such as the Soviet Union. It played a regional role in South Asian affairs such as the Bangladesh War of Liberation and the use of Indian peacekeeping forces in Sri Lanka. India played at that time an important role in the development of relations between African and Asian countries. India is a leading member of the Commonwealth and the WTO. The growth of economic activities in the West and Asia is affecting India's way of thinking, gradually moving it away from integration with

the global economy. New Delhi is also seen as slow, cautious and often reluctant to take on the role unknown to Beijing in one of Asia's two main political seats. In the long run, some thinkers from the subcontinent are also considering the creation of a free trade zone, or even a South Asian version of a union, where South Asian countries would abandon all past struggles and go big. Kettle. – Subcontinental phenomenon. India has established good relations with world powers such as England, European Union, Japan, Russia and the USA. It also has good relations with the African Union (especially South Africa), the Arab world, Southeast Asia, Israel and South American countries (especially Brazil). India's image among Western countries improved significantly and it signed a civil nuclear agreement with the United States in March 2006. India's role in maintaining global peace and stability in the Indo-Pacific region is becoming increasingly important. India is investing in its relations with China to create a conducive environment for economic growth. He also promised to develop good relations with Pakistan.

- India is one of the largest countries in the world.
- India has become a major player in the world economy and politics.
- India's young population, increased trade and growth in foreign direct investment are the drivers of growth.
- India's digital infrastructure continues.
- India's main export industries are pharmaceuticals, automobiles, textiles and clothing, IT services and software, and diamonds and jewellery.
- The government implemented various reforms to promote India as an economic power.
- Indian Defence Force is the most powerful in the world with advanced weapons and technology.
- India's space program is one of the most ambitious and advanced programs in the world.
- India has always had good relations with major powers.
- India has some of the best universities, business schools and research institutes.

Relations between India and the United States :

India and the United States, two of the world's largest democracies, have much in common. Beginning Episode during the Cold War, America's attitude was hostile and against Indian occupation Aid from the Soviet Union. This suspicion was further increased when India created the Bad Partnership the United States side declares that those who are not with us are soldiers against us. Relations between India and the United States. There have been many ups and downs in the relations between the two great countries of the world. Until In 1960, India took a hostile attitude towards the USA and relations between the two countries began in real terms. Was created and strengthened under the leadership of Rajiv Gandhi. The INDO-US Civil Signature during Manmohan Singh's tenure as Prime

Minister. The nuclear agreement signed in 2012 created new relations, and the visits of the leaders strengthened the relations between the two countries. Indicates a new era in relations. The Narendra Modi government has taken this to the next level Signed many military and economic agreements with the United States.

In general, the trend in relations with the United States has been on the rise over the last few years. There have been some resentments in the relations between the two countries since. United States of America gives India defence partner status, putting India on equal footing with NATO allies. There is one in India Section. The growing importance of the United States is based not only on trade but also on the needs of the United States. India plays a role in balancing China in Asia. USA expects India to cooperate, India's cooperation with the USA, Japan, Australia and other countries in the region to work in cyber security services Pacific covers issues such as maritime security, freedom of navigation, piracy and disaster Administration. The unstated goal is to ensure that Chinese expansion flourishes, especially in China. South China Sea, China is carrying out construction work on disputed islands. In short, India-US relations have improved recently, leading to many visits. Despite The United States, with its historical baggage, is not considered an "intervening party"4 India. One reason for this may be the presence of a non-Congress government in New Delhi. India is considered Harassment words. China is also seen as a reliable and capable partner in Asia if US relations deteriorate and China.

India-Russia Relations :

Relations continue to develop and strengthen based on five important points :

Similar political views and similar views : Do India and Russia share the same worldview?

Intensive Military-Technical Cooperation : Defence cooperation between the two countries has been strengthened.

Strong Economic Ties : Relations between India and Russia have always been strong.

Deep technological cooperation : India and Russia have significant cooperation in science and technology.

Cultural Exchanges : The relationship between the people of India and Russia is characterized by cultural exchange and mutual understanding. Level of political dialogue BRICS Summit and SCO Summit: Provide a platform for bilateral discussions and discuss regional issues.

Regular high-level interaction : India and Russia through the International Trade, Industry, Science, Cooperation and Culture Committee (IRIGC -TEC) and Military-Technical Cooperation Committee (IRIGC-MTC).

Visible defence agreement : India should enter into a visible, effective defence trade

agreement with Russia and maintain close military ties.

Participation in the Eurasian Economic Union : India's accession to the Eurasian Economic Union has the potential to benefit all members of the bloc.

Establishment of rupee-rubble payment system : A new rupee-rubble payment system should be established to promote business in local currency, circumvent US sanctions and increase competitiveness.

Promotion of trilateral cooperation : Joint cooperation between Russia, China and India (RIC) should be encouraged to reduce trust between India and China. Stabilizing Afghanistan: India and Russia should work together to ensure stability and security in Afghanistan through an "Afghan-led, Afghan-owned" peace process. Seize the opportunity in the defence industry: Russia should seize the opportunity to become a major player in the Indian defence industry within the scope of the "Make in India" initiative. India and Russia have a long-standing relationship that is important to India's economy, power and regional interests. Improving this relationship and coming up with a new idea for the "special relationship" are goals that both parties should go out and pursue with pleasure.

India- UK Relations :

India's system of government is similar as British Parliamentary system. However, it was never a copy of the British system and differed in the following points : In, India received a republic to replace the British Empire. So, in India, the head of state (i.e. president) is elected, while in England the head of state (i.e. king or queen) prefers the former position. The British system is based on the principle of parliamentary sovereignty whereas the Indian Parliament is not the best and is willing to limit and limit powers due to its written constitution, federal system, judicial review and important rules. In the United Kingdom, the Prime Minister must be a member of the Parliament's Executive Committee (Ministry of Labour). In India, the Prime Minister can be a member of both houses of Parliament. In England, only MPs are generally elected to parliament. In India, non-members of parliament can also be appointed as ministers, but the maximum tenure is six months.

There is a system of civil liability in the United Kingdom, but no such system in India. Unlike Britain, leaders in India do not need to challenge the work of the head of state. The "shadow cabinet" is a special organization in the British cabinet system. It was created by the opposition in an attempt to balance the ruling party and organize future party members. There is no such school in India. As stated by the Defence and Security Council, India is an important partner of the UK in the Indo-Pacific region in terms of both trade and defence. Cooperation was signed between India and the UK in 2017. 2015. For the UK, a successful trade deal with India would support its ambitions for a "British world" as it aims to expand its business beyond Europe since Brexit. The United Kingdom

has sought to seize the opportunity for economic growth in the Indo-Pacific region to consolidate its position on the international stage as a major player in the world. England will be able to achieve this better through bilateral relations with India. For India: It is a regional power in the Indo-Pacific region as it has military bases in Britain, Oman, Singapore, Bahrain, Kenya and the British Indian Ocean Territory. The UK also confirmed that the UK International Investment Corporation will provide US$70 million to support the use of renewable energy in India; this will help build renewable energy and build solar power in the region. In addition to the tariff agreement on labour-intensive exports, India also wants trade facilitation for Indian fisheries, pharmaceuticals and agricultural products.

Conclusion :

India has made remarkable progress since its independence in 1947 and has become an important model for developing countries. China's efforts to manage economic development have been successful, and remarkable achievements have been achieved in the economic, social, and political fields. This beautiful country embodies a variety of cultures and values ??that make it one of the most unique and prosperous countries in the world. A new and controversial idea in the region, debated in the West in the early 21st century, is whether India should be trusted/helped to become an independent world citizen, a balancer of the responsive and powerful but not independent. , to make the world more stable. In general terms, this issue is discussed in the context of the foreign policy adopted by the USA. As the global landscape changes, the US's Indo-Pacific strategy supports India's rise and leadership in the region. India has everything it needs to become a superpower, but there are still some problems Article Roads to be crossed. The government's latest steps such as demonetization have also been taken Enactment of the Benaim Transaction Act shows the interest and attitude of the government Article Promote the development of India and make it a world superpower. But it recently appeared good behaviour brought good prospects. Small changes in people's behaviour can lead to this there is still a long way to go to make India a superpower. Domestic commerce. For example, they should not bribe corrupt officials pay taxes, etc. to the state. They have to pay. These small changes in public opinion could play an important role in making India a world superpower.

References :

1. Abraham, Itty. From Bandung to Non-Alignment: Non-Alignment and Indian Foreign Policy, 1947-65. Political and Comparative Law 46.2 (2008).
2. Episode Bajpai, Kanti, Selina Ho and Manjari Chatterjee Miller, editors. Routledge Handbook of China-India Relations (Barckjohn, 2020).
3. Rajesh Basrur. Domestic Politics and India's Foreign Policy (University Press, 2023). ISBN 9781647122843

4. Budhwar, Prem K. et al. "India-Canada Relations: a Roller-Coaster Ride." Indian Foreign Affairs Journal 13.1 (2018): 1–50.
5. Essays by seven experts.online Archived 3 March 2019 at the Wayback Machine Chacko, Priya. Indian Foreign Policy: Post-Colonial Identity Politics, 1947-2004 (Routledge, 2013).
6. Cohen, Stephen P. and S. Dasgupta. Arming Without Aiming: India's Military Modernisation (2010) excerpt and text search Fonseca, Rena. "Nehru and the Diplomacy of Nonalignment." The Diplomats, 1939-1979 (Princeton University Press, 2019) pp. 371–397.
7. Ganguly, Sumit. "Has Modi changed India's foreign policy?" Washington March 40.2 (2017): 131-143.
8. G, A. Harold, The Southeast Asian Story: The Frist Sixty Years of U.S. Relations with India and Pakistan (SAGE Publications India, 2010).
9. Gupta, Surupa. India After Gandhi: The History of the World's Greatest Crime (2008).
10. India's Foreign Policy Under Modi: Rebranding or Repackaging? International Studies 20.1 (2019).
11. New Economic focus on the power of the International Monetary fund, Mmegi Online 26 October, 2007.

Email- ID: ravijaitammahendra@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 147-149

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

भारत में महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान

रामचन्द्र, शोधार्थी, रिचर्स स्कोलर
डॉ. अमिता, शोध पर्यवेक्षक, आचार्य (शिक्षा)
भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर।

सारांश :-

यह प्रस्तुति भारत में महिलाओं के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर गहन चर्चा करेगी, उनके विकास का पता लगाएगी और प्रमुख चुनौतियों की खोज करेगी।

प्रस्तावना :-

भारत में महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और लैंगिक असमानता स्वतंत्रता–पूर्व – महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी तक सीमित पहुँच के साथ महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा।

स्वतंत्रता के बाद – संविधान का उद्देश्य विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से समानता स्थापित करना और महिलाओं को सशक्त बनाना था। भारतीय संविधान महिलाओं सहित सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।

महिलाओं के लिए मौलिक अधिकार :-

समानता का अधिकार – अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों के लिए कानून की समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है, लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है।

स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद 19 महिलाओं पर समान रूप से लागू होने वाली अभिव्यक्ति, सभा, संघ और आंदोलन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, महिलाओं के लिए सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करता है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार – अनुच्छेद 23 तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है, महिलाओं को शोषण से बचाता है।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत :-

समान वेतन – अनुच्छेद 39(डी) समान काम के लिए समान वेतन, वेतन अंतर को संबोधित करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का आदेश देता है।

बाल देखभाल सुविधाएँ – अनुच्छेद 42 राज्य को कामकाजी माताओं के लिए बाल देखभाल सुविधाएँ

प्रदान करने का निर्देश देता है, जिससे कार्यबल में भागीदारी को सुविधाजनक बनाया जा सके।

महिला स्वास्थ्य – अनुच्छेद 47 महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार के लिए राज्य की जिम्मेदारी पर जोर देता है।

शिक्षा और कल्याण – अनुच्छेद 45 लड़कियों सहित सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आह्वान करता है, जिससे समान अवसर सुनिश्चित होते हैं।

महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष कानून :–

दहेज निषेध अधिनियम – इस अधिनियम का उद्देश्य दहेज प्रथा और उससे जुड़ी सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाना है, महिलाओं को वित्तीय दबाव से बचाना है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम – यह कानून महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को संबोधित करने, सुरक्षा और निवारण प्रदान करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

महिलाओं का अभद्र चित्रण (निषेध) अधिनियम – यह कानून मीडिया और विज्ञापन में महिलाओं के अभद्र चित्रण को प्रतिबंधित करता है, उनकी गरिमा और छवि की रक्षा करता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम – यह अधिनियम अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं के लिए कानूनी निवारण प्रदान करता है, एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करता है।

सरकारी योजनाएँ और पहल :–

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ – यह कार्यक्रम लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देता है, लैंगिक असंतुलन को दूर करता है और महिलाओं को सशक्त बनाता है।

उज्ज्वला योजना – यह योजना महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है, स्वच्छ ईंधन तक पहुँच में सुधार करती है और घरेलू वायु प्रदूषण को कम करती है।

महिला शक्ति केंद्र – ये केंद्र कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता सहायता प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाते हैं।

सुकन्या समृद्धि खाता – यह योजना लड़कियों की शिक्षा और विवाह के लिए बचत को प्रोत्साहित करती है, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ :–

सामाजिक मानदंड – गहरी जड़ें जमाए हुए पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और सामाजिक मानदंड महिलाओं के अधिकारों और समानता की पूर्ण प्राप्ति में बाधा डालते हैं।

न्याय तक पहुँच – जागरूकता, संसाधनों की कमी और कलंक के डर के कारण महिलाओं को अक्सर कानूनी सेवाओं तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

आर्थिक सशक्तिकरण – महिलाओं को आर्थिक अवसरों तक पहुँचने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

सुरक्षा और संरक्षण – महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक बड़ी चिंता बनी हुई है, जिसके लिए मजबूत कानूनी ढाँचे और प्रभावी प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता है।

भविष्य का रास्ता और सिफारिशें :-

शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण – लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता दें, आलोचनात्मक सोच, नेतृत्व कौशल और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दें।

कानूनी ढाँचे को लागू करें – मौजूदा कानूनों के कार्यान्वयन को मजबूत करें और महिलाओं के लिए प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खामियों को दूर करें।

सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दें – जागरूकता अभियान, शिक्षा और सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और मानदंडों को चुनौती दें।

सामूहिक प्रयास – अधिक न्यायसंगत समाज बनाने के लिए सरकार, नागरिक समाज और व्यक्तियों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करें।

निष्कर्ष :-

महिलाओं के प्रति कानूनी अधिकारों का विषय हमारे समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन अधिकारों ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया है। महिलाओं के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन से ही लैंगिक असमानता, हिंसा, भेदभाव और अन्याय जैसी समस्याओं का समाधान संभव हो पाता है। इसलिए, समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों का सम्मान, जागरूकता, और कानूनी संरक्षण आवश्यक है ताकि वे स्वतंत्र, सुरक्षित, और गरिमामय जीवन जी सकें। महिलाओं के कानूनी अधिकार केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लोकतांत्रिक और प्रगतिशील विकास के लिए एक बुनियादी आधार हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारती, अनिता (2005) उदियमान भारतीय समाज एवं शिक्षा : अग्रसेन शिक्षा प्रकाशन, जयपुर।
2. मीना, डॉ जनक सिह (2010) भारत में मानव अधिकार और महिलाऐं : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
3. पाण्डेय, डॉ रामशकल (2009) शिक्षा के मूल सिद्धान्त : विनोद प्रस्तक मन्दिर, आगरा।
4. शर्मा, डॉ कालूराम, व्यास, डॉ प्रकाश (2004) भारतीय संस्कृति के मूल आधार : पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
5. शर्मा, डॉ सरोज, (2007) उदियमान भारतीय समाज में शिक्षा : श्याम प्रकाशन, जयपुर।
6. सिंह, डॉ रामजी सिंह– शिक्षा : शान्ति का आधार।
7. भारतीय शोध पत्रिका (जुलाई– दिसम्बर 2007) : भारतीय शिक्षा शोध संस्थान, सरस्वती कुंज, निराला नगर, लखनऊ, अंक 2
8. पारीक, रमेश– फरवरी (2006) : शिविरा पत्रिका, पृ. सं. 11

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 150-155

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

डॉ. सत्यनारायण के डायरी साहित्य में अस्तित्व की तलाश एवं जिजीविषा

डॉ. महेन्द्र सिंह, व्याख्याता
पीएम श्री नंदलाल जोशी रा.उ.मा.वि, मोही, राजसमंद (राज.)

आधुनिक गद्य साहित्य की नवीन विधाओं में डायरी लेखन भी हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाली एक प्रमुख विधा है। डायरी को हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी और रोजनामचा भी कहा जाता है। व्यक्ति जब प्रतिदिन की घटनाओं और स्वयं के अनुभवों को प्रभावी ढ़ंग से लिखता है तो उस रचना को डायरी कहते हैं। इस प्रकार नित्यप्रति के व्यक्तिगत अनुभवों एवं विचारों की लिखित रूप में अभिव्यक्ति ही डायरी है। डायरी साहित्य एक आत्मकथात्मक और भावप्रवण गद्य विधा है। डायरी का संबंध मुख्यतः एक व्यक्ति से होने के कारण इसमें निजी अनुभवों एवं वैयक्तिकता की प्रधानता होती है।

अपने लेखकीय अवदान के द्वारा राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. सत्यनारायण आधुनिक हिंदी साहित्य की कथेतर विधाओं के अंतर्गत आने वाली डायरी विधा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। डॉ. सत्यनारायण ने अपने डायरी साहित्य में अपने दैनिक अनुभवों, भेंटवार्ताओं, स्थानों, घटनाओं आदि का विवरण प्रस्तुत करने के साथ ही अपने आत्मचिंतन एवं अपने भोगे हुए यथार्थ को भी लिपिबद्ध किया है। इन्होंने दीर्घकाल तक 'कथादेश' पत्रिका में 'यायावर की डायरी' नामक स्थायी स्तंभ में रिपोर्ताज लेखन किया। डॉ. सत्यनारायण का डायरी साहित्य अब तक कुल दो पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हुआ है। यथा – 'तारीख की खंजड़ी' (2010 ई.) एवं 'दुःख किस काँधे पर' (2019 ई.)।

अपने संस्मरणों में भी इन्होंने अपनी डायरी का उल्लेख किया है कि– 'छोरी के मेरे अपने जीवन से जाने के बाद कई दिनों तक मैं बावला हुआ डोलता रहा। उन दिनों डायरी में कुछ न कुछ लिखता रहता था।'[1] इसी तरह अपने संस्मरणों में डॉ. सत्यनारायण ने 'लवलीन की डायरी', 'रघुजी की डायरी', 'हसन जमाल की डायरी' आदि का उल्लेख भी किया है।

डॉ. सत्यनारायण उन विरले साहित्यकारों में से एक है जिन्होंने 'साँच की आँच' में तपते हुए भी अपने लेखन को डायरी रूप में सार्वजनिक किया है। उनकी डायरी विधा की पहली प्रकाशित पुस्तक 'तारीख की खंजड़ी' अत्यंत सराही गई है। प्रभात ने 'तारीख की खंजड़ी' के अनुशीलन के बाद इसे स्वयं से संवाद का माध्यम और अनावश्यक सांसारिक झँझटों से मुक्ति का साधन स्वीकार किया है। वे 'तारीख की खंजड़ी' शीर्षक डायरी की साहित्यिक विशेषताओं को उजागर करने के क्रम में कहते हैं कि– 'इस डायरी को पढ़कर यह समझ

भी बनती है कि डायरी खुद से संवाद का माध्यम भी है। खुद से ऐसा संवाद जो इंसान को दुनिया के तमाम गैर–जरूरी पचड़ों में पड़ने से बचाता है। आत्म–संघर्ष में किसी हमसफर की तरह आपका साथ देता है। अपने आप से संवाद कई बार आपको गिरने से बचा लेता है। यह गहन संवाद एक आत्मीय की तरह आपको टूटने से बचा लेता है। टूटना कई बार ताकत दे जाता है, लेकिन कई बार इतना तोड़ जाता है कि उबरना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में डायरी एक नर्स की तरह आपको सम्हालती है।'[2] इस प्रकार डायरी व्यक्ति के मुश्किल समय में पारिवारिक सदस्य की तरह संबल प्रदान करने के साथ उसे जीवन की विविध समस्याओं का आत्मविश्वास पूर्वक मुकाबला करने की प्रेरणा देती है।

अपनी कुछ किताबों के शुरू में एवं कहीं–कहीं अपनी डायरी में भी डॉ. सत्यनारायण ने अपने समकालीन अथवा पूर्ववर्ती लेखकों के विचार उद्धृत किए हैं। फ्रांज काफ्का ने डायरी लेखन के जो लाभ बताए थे, डॉ. सत्यनारायण ने उनको भी अपनी डायरी में 'नोट' किया है– 'डायरी रखने से एक लाभ है कि हम अपने परिवर्तनों की यातनाओं से सही ढंग से परिचित हो लेते हैं। हमें डायरी में वे तमाम साक्ष्य भी मिल जाते हैं, जो हमें अपने उस समय की याद दिलाते हैं जब हमनें जीवन किन्हीं लिखने योग्य स्थितियों में जिया था। अपने पूर्व जीवन का डायरी के जरिए हम जायजा लेते हैं और उससे हमारे संघर्षों में निहित हमारे अज्ञान की परतें भी खुलती हैं।'[3] स्पष्ट है कि डायरी के द्वारा हम अपने पूर्व जीवन की घटनाओं एवं कार्यों का सिंहावलोकन एवं परीक्षण करते हुए अपने भविष्य के जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। इस प्रकार अपनी दोनों ही प्रकाशित डायरियों में डॉ. सत्यनारायण ने 'डायरी लेखन' की प्रवृत्ति पर महत्त्वपूर्ण 'टीप' लिखे हैं।

यह सामान्य धारणा है कि किसी लेखक के मूल भावों को पकड़ने में डायरी बहुत ही मददगार होती है। डॉ. सत्यनारायण की दृष्टि में 'डायरी लिखना अपनी खोह में दुःखों के साथ दुबकना होता है। 'रचना परख' में सम्मिलित विभिन्न आलेखों के अनुशीलन के आधार पर ज्ञात होता है कि – 'उनकी डायरी में उनके जीवन की गहरी पीड़ा दर्ज है जो उन्होंने बाहरी और भीतरी संसार से पाई है। अपनी कहानियों व रिपोर्ताजों में पात्रों से घिरे सत्यनारायण डायरी में नितांत अकेले, प्रेम के लिए जूझते हुए नजर आते हैं। उन्हीं के शब्दों में– प्रेम मेरे लिए कभी न खत्म होने वाली एक लंबी प्रार्थना की तरह रहा है।'[4] इस प्रकार 'प्रेम' डॉ. सत्यनारायण के लिए ईश्वरीय आराधना के समान है।

डॉ. सत्यनारायण की डायरी विधा पर केंद्रित पहली पुस्तक 'तारीख की खंजड़ी' (2010 ई.) को आर. के. शर्मा[5] ने 'एक बेचैन आत्मा का राग–विराग' की संज्ञा दी है तो प्रेमकुमार[6] ने इसे 'पीर की बाँसुरी' बताया है। रमेश खत्री[7] ने इसे 'अंतर्मन की पीड़ा का दस्तावेज' कहा है तो राजकुमार[8] ने इसे 'अपनी गवाही आप' की संज्ञा दी है। इस प्रकार 'रचना परख' में इस 'तारीख की खंजड़ी' नामक पुस्तक पर केंद्रित 10 समीक्षा आलेखों के अतिरिक्त डॉ. रमेश उपाध्याय[9] ने भी 'सत्यनारायण के रिपोर्ताज, डायरी और कहानियाँ' शीर्षक से अपने एक अंतर्विधापरक समीक्षा आलेख में उनके कथा साहित्य और कथेतर साहित्य में अंतर्संबंधों की ओर संकेत किया है। यह समीक्षा 'कथादेश' नवंबर, 2012 के अंक में प्रकाशित हो चुकी है।

इस प्रकार डॉ. सत्यनारायण की डायरी में अकेलेपन और व्यक्तिगत जीवन की तमाम त्रासदियों को उजागर करने वाले मार्मिक व्यथा भरे सूक्ष्म सूत्र उपलब्ध हैं। अपनी डायरी में उन्होंने पारिवारिक और सामाजिक

परिवेश का मर्मस्पर्शी सांकेतिक विवरण प्रस्तुत करने के साथ ही यथास्थान प्रेम के प्रति अपने व्यापक दृष्टिकोण का भी परिचय दिया है। इस डायरी में समाज के हाशिये के लोगों के प्रति संवेदना से परिपूर्ण लेखक अपने अस्तित्व की तलाश में जिजीविषा से डटे हुए साफ नजर आते हैं। इस प्रकार डॉ. सत्यनारायण के डायरी साहित्य का अनुशीलन करने के दौरान हम इन्हीं पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए आगे बढ़ेंगे।

अस्तित्व मानव केंद्रित दृष्टिकोण है। सभी विचार या चिंतन सिद्धांत व्यक्ति की चेतना के ही परिणाम हैं। सर्वप्रथम चिंतन करने वाला व्यक्ति अस्तित्व में आया, अतरू व्यक्ति अस्तित्व ही प्रमुख है। वैसे तो संसार में प्रायः पेड़–पौधे, पशु–पक्षी, जीव–जंतु आदि सभी का अस्तित्व होता है किंतु मनुष्य का अस्तित्व सर्वाधिक विचारणीय एवं स्वीकार्य है। व्यक्ति इस संसार में जन्म के बाद से ही विभिन्न सांसारिक परिस्थितियों के समक्ष निरंतर अपने आत्म–संघर्ष को जारी रखते हुए स्वयं को स्थापित करने का प्रयास करता है। अस्तित्व शब्द मनुष्य की सक्रियता तथा चलनात्मकता को भी संकेतित करता है। मनुष्य सदैव अपनी वर्तमान स्थिति एवं वर्तमान अस्मिता से उच्चतम सोपान की ओर उन्मुख एवं गतिशील रहता है। मानव जीवन का सार ही मानव का अस्तित्व है। अस्तित्व न केवल विचारधारा है अपितु यह मानवीय चिंतन एवं विकास की बौद्धिक संभावना है इस प्रकार व्यक्ति का अपने स्वत्व के अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए अपनी स्थिति की तलाश में जागरूक रहना ही 'अस्तित्व की तलाश' है।

डॉ. सत्यनारायण ने अपनी डायरी में कहीं पर भी 'अस्तित्व', 'वजूद' अथवा 'एक्जिस्टेंस' जैसे साहित्य–जगत् में प्रयुक्त होने वाले जटिल शब्दों का उपयोग नहीं किया है। फिर भी डायरी में समय–समय पर लिखी गई उनकी 'टीप' (नोट्स) में वे अपने अस्तित्व की तलाश करते नजर आ जाते हैं।

'तारीख की खंजड़ी' से ऐसी ही एक 'टीप' यहाँ प्रस्तुत करने योग्य है जिसमें 17 मार्च, 1998 को लेखक कहते हैं कि– 'मैं चाहता था, वह मेरी सब सुनें। कुछ ऐसी, जो मैं अब तक नहीं कह पाया। मैं चाहता था उसके पास बैठकर रोऊँ, जो अब तक नहीं रो पाया। मैं चाहता था यहाँ से इस तरह जाऊँ कि कभी लौटकर नहीं आना पड़े। मैं चाहता था उसके सामने इस तरह चिल्लाऊँ, जो जंगल में कभी अकेले नहीं चिल्ला सका। मैं चाहता था उसके पास एक बच्चे की तरह बिलखूँ। मैं चाहता था .....मैं चाहता था .....पर मैं चाहता ही रह गया।'[10] यहाँ लेखक ने अपने अस्तित्व को लेकर मन मे उठ रहे अंर्तद्वंद्व एवं प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया है।

गाँव और शहर के बीच अपने समूचे 'वजूद' को खो देने वाले डॉ. सत्यनारायण ने स्वयं को 'नो मेंस लैंड' पर खड़ा मानते हुए 9 जनवरी, 1998 को अपने डायरी की एक 'टीप' में अपने 'वजूद' को लेकर हुए मोहभंग के विषय में लिखा हैं– 'मैं कही का नहीं हो पाया। न शहर का, न गाँव का। एक जंगल से दूसरे जंगल। गाँव लौटने के रास्ते अब बंद हो चुके हैं जबकि आज भी सपने मुझे उसी के आते हैं और यहाँ शहर में? किसी ने दरवाजा तो दूर खिड़की खोलकर किसी ने झाला भी नहीं दिया कि थोड़ी देर सुस्ता सकूँ। जब भी अपनी तरफ किसी हाथ को झाला समझा और नजदीक गया तो पता चला, वह मेरे लिए नहीं था। न आगे जा सकता था और न वापस लौट सकता था। शायद इसीलिए मैं नो मैंस लैंड पर खड़ा हूँ, जिसे कोई अपनाने को तैयार नहीं।'[11] यहाँ गाँव एवं शहर के बीच अपने अस्तित्व को लेकर किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाने या अनिर्णय की स्थिति लेखक के हृदय को उद्वेलित करती हुई जान पड़ती है।

15 अगस्त, 1997, गाँव– 'आज सुबह से बादल छाए हुए थे। शाम को वे एकाएक इतने छा गए कि अँधेरा–सा हो गया। फिर बरसे तो जैसे फट पड़े लेकिन एक घंटे बाद एकदम खाली। नदी की तरफ गया। वह बह रही थी, बिना किनारों की परवाह किए, उन्हें तोड़ती–फोड़ती। मेढ़कों की टर्र–टर्र। मन को भीतर तक भिगो देने वाली आवाजें। सब जैसे एक स्वर में बरसात का स्वागत कर रहे हों। किसी का दूसरे के जीवन में कोई दखल नहीं। मैं देर तक रोकता रहता हूँ मेरे अपने बोल। मैं भी जोर से चिल्लाता हूँ। इन्हीं के बीच एक रामरोला।'[12] इससे स्पष्ट है कि लेखक का अकेलापन उनके जीवन की सभी स्थितियों को प्रभावित कर रहा है। यह अकेलापन ही उनके अस्तित्व को बार–बार चुनौती दे रहा है।

इस तरह डॉ. सत्यनारायण ने इस स्वार्थ भरी दुनिया में अपने नितांत अकेलेपन को दूर करने में प्रकृति के साहचर्य को महत्त्व दिया है। हालाँकि जीवनयापन के लिए धौलपुर, जयपुर एवं जोधपुर में नौकरी करते हुए उन्होंने जो कुछ भी कमाया, उसमें से अधिकांश हिस्सा भाई–बहनों के खरचों–करजों में चुका दिया और आज स्वयं सीमित पेंशन पर जीवन जीने को विवश हैं।

डॉ. सत्यनारायण जब 'साठ पार' होकर सेवानिवृत्त होने के कगार पर थे, तब भी उनकी अपने अस्तित्व की तलाश अभी जारी थी। उनको रघुजी की सलाह याद आती है कि– 'यहाँ (जोधपुर में) एक मकान कसवा लो।' परंतु सरलहृदयी डॉ. सत्यनारायण ने अधिकांश कमाई अपने भाइयों के खरचे–करजे चुकाने में ही बिता दी। अब वे परिजनों के द्वारा ही निर्वासित हैं। उनकी यह ऊहापोह डायरी के इस अंश में स्पष्ट है– 'लोग पूछते हैं साठ के बाद क्या करोगे? मैं कहता हूँ जी पाया तो देखूँगा। सामान तो कुछ है नहीं, पर इस काया को पटकूँगा। जयपुर या जोधपुर या ... । ... क्या यही नरक नहीं है कि आपका अपना आपा भी आप तय नहीं कर पाते।'[13] इससे स्पष्ट है कि परिजनों द्वारा निर्वासित किए जाने से भी डॉ. सत्यनारायण के हृदय में अस्तित्व तलाश की पीड़ा का जन्म हुआ है। इस प्रकार डॉ. सत्यनारायण ने विभिन्न तिथियों पर बेतरतीब ढंग से अपनी डायरी में स्वयं द्वारा लिखी हुई टिप्पणियों के माध्यम से अपने अस्तित्व की तलाश के लिए की गई संघर्ष यात्रा पर प्रकाश डाला है।

जिजीविषा का शाब्दिक अर्थ है– जीवन जीने की इच्छा। मनुष्य अपने जीवन में निष्ठा पूर्वक प्रबल इच्छा शक्ति को जगाए रखे या जीवन के प्रति रागात्मकता को उत्पन्न करे, तभी उसका जीवन जीने योग्य बनता है। जीवन तो सबको मिलता है लेकिन जीवन जीने की कला सबके पास नहीं होती। इस प्रकार जिजीविषा का विस्तृत अर्थ होगा–सुखमय जीवन जीने की प्रबल इच्छा। यह तभी संभव है जब व्यक्ति के मन में प्रेम का भाव हो, लोगों के प्रति आत्मीयता एवं अपनत्व की भावना हो और लोगों को अपना बनाकर चलने की कला हो।

डॉ. सत्यनारायण की डायरी विधा की दोनों ही रचनाओं के गहन अनुशीलन के उपरांत यह बात तो साफ नजर आती है कि उनके जीवन में से 'माँ' और 'उर्मि' दोनों के ही निकल जाने पर भी कतिपय अनुरागी सरलहृदयी साहित्यकार मित्रों के बल पर वे जैसे–तैसे इस जीवन को आगे तक जी पाए हैं। समय–समय पर उनके करीबी मित्र भी एक–एक कर क्रूर काल के कराल हाथों में समाहित होते गए और डॉ. सत्यनारायण के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ती हुई झुर्रियों में तब्दील होती रही फिर भी उनके हृदय में जीवन को जीने की यह अदम्य जिजीविषा आज भी विद्यमान है।

उन्होंने अपनी डायरी में मित्रों के अपार स्नेह का उल्लेख किया है। 04 मार्च, 2016 को बीमार मित्र रामानंद राठी से मिलने गए तो उसने भी असीम 'जिजीविषा' का परिचय दिया– 'महीनों पहले जब एक बीमारी न जाने किस रंध्र से उसके (रामानंद राठी) शरीर में घुसी और खोखला कर दिया। पता चलते ही उसके पास गया। वही पहले–सी हँसी पर बहुत जर्जर। ...थकी काया के बावजूद वह बस स्टैंड तक छोड़ने आया। मेरे दोनों हाथ पकड़ते हुए उसने कहा, चिंता मत कर मैं हूँ न। बस में बैठा मैं देर तक सोचता रहा। आखिर क्या है यह आदमी ? जिजीविषा? यह आत्मविश्वास? एक हमसफीर, एक फकीर या कोने में अकेला तापता जोगी।'[14] लेखक के अनुसार जीवन जीने के लिए आत्मविश्वास या आत्मबल आवश्यक है। जीवन की समस्याओं से संघर्ष करने का यह आत्मबल ही जिजीविषा को उत्पन्न करता है। व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों को पूरा करने के लिए उसमें जिजीविषा का होना आवश्यक है।

अपने गाँव में 16 अगस्त, 1995 को प्रकृति से ही जुड़ी गाँव की पुरानी स्मृतियों का स्मरण करते हुए उन्होंने अपनी डायरी की एक 'टीप' में लिखा हैं कि– 'दरख्त मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। घने और छायादार पेड़ देखते ही मैं पुलकित हो उठता हूँ। स्कूल के रास्ते में आते वे तमाम दरख्त अब भी वैसे ही खड़े हैं। पक्षियों की बीटों से लदी डालियाँ। गोबर से भरी उनके नीचे की जमीन। जड़ों पर झूलते उधमी बच्चे। आज जब अपनी ढाणी से गाँव गया तो रास्ते में खड़े उन पेड़ों के नीचे देर तक बैठा रहा। अतीत की समूची गंध नथुनों में समा गई। मैं जिनको बहुत चाहता हूँ या जिनकी स्मृतियाँ मुझे टीसती हैं, मैं अक्सर उनसे बचता हूँ। शायद इसीलिए मैं गाँव बहुत कम आता हूँ, ताकि एक सपने की तरह वे मेरे भीतर जस की तस जीवित रहें।'[15]

इस प्रकार डायरी में अन्यत्र भी डॉ. सत्यनारायण ने अपनी और अपने पात्रों की अदम्य 'जिजीविषा' की ओर संकेत किए हैं। डॉ. सत्यनारायण की कहानियों में जिस प्रकार प्रकृति–प्रेम के उदाहरण मिलते हैं, उसी प्रकार उनकी डायरी में भी गाँव के चरागाह, नदी–तट, टीले, जंगल, पेड़–पौधे, पशु–पक्षी, गाय–भैंस, ऊँट आदि ढ़ोर–डाँगर, बादल, लू, आँधी इत्यादि प्राकृतिक उपादानों का प्राचुर्य है। इन सभी प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से भी उनकी 'जिजीविषा' झलकती है।

संदर्भ :–

1. सत्यनारायण : यादों का घर, बोधि प्रकाशन, जयपुर, 2015, पृ. 122
2. प्रभात (सं.) : राजस्थान साहित्यकार प्रस्तुति – 94 : डॉ. सत्यनारायण, राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर, 2014, पृ. 28
3. वही, पृ. 28
4. मंदाकिनी शेखावत (सं.) : रचना परख, रॉयल पब्लिकेशन, जोधपुर, 2022, भूमिका, पृ. 4
5. वही, पृ. 221
6. वही, पृ. 226
7. वही, पृ. 243
8. वही, पृ. 246
9. वही, भूमिका, पृ. 145

10. सत्यनारायण : तारीख की खंजड़ी, बोधि प्रकाशन, जयपुर, 2010, पृ. 88
11. वही, पृ. 82
12. वही, पृ. 71
13. सत्यनारायण : दुःख किस काँधे पर, बोधि प्रकाशन, जयपुर, 2019, पृ. 64
14. वही, पृ. 101
15. सत्यनारायण : तारीख की खंजड़ी, बोधि प्रकाशन, जयपुर, 2010, पृ. 30

ईमेल – mhendrasingh660@gmail.com
मो नं. – 9079664461
पता – गाँव/पोस्ट – घेनड़ी, वाया – खिंवाड़ा
तह– रानी, जिला – पाली (राज.) 306502

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
August 2025 Page No. : 156-159

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

मानव वन्य जीव सह-अस्तित्व एवं संघर्ष

डॉ. नीरज कारगवाल

सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय, बीबीरानी, अलवर।

परिचय :-

पृथ्वी केवल मनुष्यों का ही घर नहीं है, बल्कि असंख्य जीव–जंतुओं और वनस्पतियों का भी निवास स्थान है। सदियों से मानव और वन्यजीव एक–दूसरे के साथ रहते आए हैं। यह संबंध कभी सामंजस्यपूर्ण रहा है तो कभी संघर्षपूर्ण। हाल के दशकों में, यह संघर्ष चिंताजनक रूप से बढ़ा है, जो न केवल मानव जीवन और आजीविका के लिए खतरा बन गया है, बल्कि वन्यजीवों के अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस जटिल मुद्दे को समझने और इसका समाधान खोजने के लिए मानव–वन्यजीव संघर्ष के कारणों, परिणामों और सह–अस्तित्व की संभावनाओं पर गहराई से विचार करना आवश्यक है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार, मानव–वन्यजीव संघर्ष को ''मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच किसी भी तरह की अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मानव सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक जीवन, वन्यजीव आबादी के संरक्षण या पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है''। यह संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब वन्यजीवों की उपस्थिति या उनका व्यवहार मानव हितों के लिए खतरा बन जाता है, जिससे लोगों, जानवरों, संसाधनों और आवासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष के बढ़ते कारण :-

मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष के पीछे कई जटिल और एक–दूसरे से जुड़े हुए कारण हैं। इनमें से प्रमुख कारण मानवीय गतिविधियों का विस्तार और प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन है।

- **प्राकृतिक आवासों का विनाश और विखंडन :** बढ़ती मानव जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि, औद्योगीकरण, शहरीकरण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (जैसे सड़क, रेल नेटवर्क) का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसके कारण वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास सिकुड़ रहे हैं और खंडित हो रहे हैं। आवास की हानि वन्यजीवों को भोजन और पानी की तलाश में मानव बस्तियों और कृषि क्षेत्रों की ओर आने के लिए मजबूर करती है, जिससे संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। एक अनुमान के अनुसार, भारत में लगभग तीस प्रतिशत बाघों का क्षेत्र– संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है।
- **वन्यजीव गलियारों का अवरुद्ध होना :** वन्यजीव गलियारे वे प्राकृतिक रास्ते होते हैं जिनका उपयोग जानवर एक जंगल से दूसरे जंगल में जाने के लिए करते हैं। सड़कों, रेलवे लाइनों, नहरों और अन्य विकास परियोजनाओं के निर्माण से ये गलियारे अवरुद्ध हो गए हैं। इससे जानवरों की आवाजाही बाधित होती है और

वे अक्सर मानव बस्तियों में भटक जाते हैं, जो संघर्ष का एक प्रमुख कारण बनता है।

- **वन्यजीवों की आबादी में वृद्धि :** संरक्षण के प्रयासों के परिणामस्वरूप, कुछ प्रजातियों, जैसे कि बाघ और हाथी, की आबादी में वृद्धि हुई है। जबकि यह एक सकारात्मक विकास है, यह सीमित और खंडित आवासों में संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाता है, जिससे संघर्ष की घटनाएं बढ़ती हैं।
- **भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव :** फसल पैटर्न में बदलाव भी वन्यजीवों को आकर्षित कर सकता है। उदाहरण के लिए, गन्ने जैसी फसलें हाथियों और अन्य शाकाहारी जानवरों के लिए आकर्षक हो सकती हैं, जिससे फसलों को भारी नुकसान होता है।
- **मानवीय हस्तक्षेप :** वनों में अवैध शिकार, लकड़ी की कटाई और अन्य मानव निर्मित दबाव वन्यजीवों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और उन्हें अधिक आक्रामक बना सकते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन :** जलवायु परिवर्तन भी पारिस्थितिक तंत्र को बदल रहा है और वन्यजीवों के व्यवहार, वितरण और भोजन की उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है। इससे जानवरों की गतिविधियों में परिवर्तन हो सकता है, जिससे मानव के साथ उनके संपर्क की संभावना बढ़ जाती है।

संघर्ष के विविध रूप और उनके परिणाम :–

मानव–वन्यजीव संघर्ष के कई रूप हैं, जो स्थान और इसमें शामिल प्रजातियों के आधार पर भिन्न होते हैं।

- **फसल और संपत्ति का नुकसान :** हाथी, जंगली सूअर, नीलगाय और बंदर जैसे शाकाहारी जानवर अक्सर खेतों में घुसकर फसलों को नष्ट कर देते हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। हाथी घरों और अन्य संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- **पशुधन पर हमले :** बाघ, तेंदुए और भेड़िये जैसे मांसाहारी जानवर अक्सर मवेशियों, बकरियों और अन्य पालतू जानवरों का शिकार करते हैं, जिससे पशुपालकों की आजीविका प्रभावित होती है।
- **मानव जीवन को खतरा :** सबसे गंभीर परिणाम मानव जीवन की हानि है। हाथी, बाघ, तेंदुए और भालू जैसे बड़े जानवरों के हमलों में लोग घायल हो जाते हैं और कभी–कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। आंकड़ों के अनुसार, 2018–19 और 2020–21 के बीच, हाथियों के हमलों में 1,500 से अधिक लोगों की जान गई। इसी अवधि में, बाघों के हमलों में सौ से अधिक लोगों की मौत हुई।
- **वन्यजीवों पर प्रतिशोध :** संघर्ष की घटनाओं के जवाब में, लोग अक्सर प्रतिशोध यानि बदले की भावना में वन्यजीवों को मार देते हैं। यह अवैध शिकार या जहर देने के रूप में हो सकता है, जो पहले से ही संकटग्रस्त प्रजातियों की आबादी को और कम कर देता है।
- **मनोवैज्ञानिक प्रभाव :** वन्यजीवों के साथ लगातार संघर्ष और मुठभेड़ों से प्रभावित समुदायों में भय, चिंता और तनाव का माहौल बन जाता है।
- **संरक्षण प्रयासों में बाधा :** मानव–वन्यजीव संघर्ष संरक्षण के प्रति स्थानीय समुदायों के समर्थन को कम कर सकता है, जिससे संरक्षण के प्रयास जटिल हो जाते हैं।

भारत में मानव–वन्यजीव संघर्ष : एक गंभीर चुनौती :–

भारत, अपनी विशाल जैव विविधता और घनी मानव आबादी के साथ, मानव–वन्यजीव संघर्ष के लिए एक

हॉटस्पॉट है। यहां हाथियों, बाघों, तेंदुओं, भालुओं, साँप और अन्य जानवरों के साथ संघर्ष की घटनाएं आम हैं।

- **मानव–हाथी संघर्ष :** यह भारत में संघर्ष का सबसे व्यापक और गंभीर रूप है। हाथी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने और मानव मृत्यु के लिए जाने जाते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि कर्नाटक, असम, केरल, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हाथियों के हमलों से सैकड़ों लोगों की मौत हुई है।
- **मानव–बाघ संघर्ष :** बाघों की आबादी बढ़ने के साथ, विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्रों के बाहर, मानव–बाघ संघर्ष भी बढ़ा है। सुंदरबन, मध्य भारत और पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में यह एक बड़ी चिंता का विषय है।
- **मानव–तेंदुआ संघर्ष :** तेंदुए अक्सर मानव बस्तियों के पास पाए जाते हैं, जिससे पालतू जानवरों और कभी–कभी मनुष्यों पर भी हमले होते हैं।

संघर्ष से सह–अस्तित्व की ओर : समाधान और रणनीतियाँ :–

मानव–वन्यजीव संघर्ष को पूरी तरह से समाप्त करना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन इसे प्रबंधित करने और कम करने के लिए एक बहुआयामी और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। लक्ष्य संघर्ष को कम करके सह–अस्तित्व की स्थिति को बढ़ावा देना होना चाहिए।

- **आवास संरक्षण और बहाली :** वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना और उन्हें बहाल करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसमें वनों की कटाई को रोकना, वनीकरण को बढ़ावा देना और खंडित आवासों को फिर से जोड़ना शामिल है।
- **वन्यजीव गलियारों का निर्माण और सुरक्षा :** जानवरों के सुरक्षित आवागमन के लिए वन्यजीव गलियारों की पहचान, निर्माण और सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इससे जानवर मानव बस्तियों में प्रवेश किए बिना एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकेंगे।
- **प्रभावी मुआवजा योजनाएं :** सरकार द्वारा फसल और पशुधन के नुकसान के लिए त्वरित और पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने से प्रभावित लोगों को राहत मिलती है और प्रतिशोध में जानवरों को मारने की घटनाओं को कम करने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के तहत फसल क्षति के लिए मुआवजे का प्रावधान एक सकारात्मक कदम है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग :** आधुनिक तकनीक संघर्ष को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पूर्व चेतावनी प्रणाली, सैटेलाइट कॉलरिंग, ड्रोन निगरानी और कैमरे के जाल का उपयोग करके जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है और स्थानीय समुदायों को समय पर सचेत किया जा सकता है।
- **सामुदायिक भागीदारी :** संघर्ष के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। संरक्षण प्रयासों में उन्हें शामिल करने, जागरूकता अभियान चलाने और उनकी पारंपरिक जानकारी का उपयोग करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 'हाथी मित्र' जैसी पहल सामुदायिक भागीदारी का एक सफल उदाहरण है, जो मानव–हाथी संघर्ष को कम करने में मदद कर रही है।
- **बाधाएं और निवारक उपाय :** खेतों के चारों ओर बाड़ लगाना, विशेष रूप से सौर ऊर्जा से चलने वाली बाड़, और मधुमक्खी के छत्ते जैसी बाड़ लगाना (क्योंकि हाथी मधुमक्खियों से डरते हैं) जैसे उपाय जानवरों को फसलों से दूर रखने में प्रभावी हो सकते हैं।

- **भूमि–उपयोग की योजना :** प्रभावी भूमि–उपयोग की योजना बनाकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि विकास परियोजनाएं वन्यजीवों के आवासों और गलियारों को न्यूनतम रूप से प्रभावित करें।
- **सरकारी नीतियां और कानून :** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 जैसे कानूनों का सख्ती से कार्यान्वयन और मानव–वन्यजीव संघर्ष को संबोधित करने के लिए विशिष्ट नीतियों का निर्माण आवश्यक है। सरकार ने मानव–वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के माध्यम से सलाह जारी की है, जिसमें ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने जैसे उपाय शामिल हैं।

निष्कर्ष :–

मानव–वन्यजीव संघर्ष एक जटिल और बढ़ती हुई चुनौती है जिसके गहरे सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक परिणाम हैं। यह केवल वन्यजीवों की समस्या नहीं है, बल्कि मानव विकास और पर्यावरण के बीच बिगड़ते संतुलन का प्रतिबिंब है। इस संघर्ष का समाधान केवल जानवरों को दोष देने या उन्हें खत्म करने में नहीं है, बल्कि एक ऐसे दृष्टिकोण को अपनाने में है जो मानव और वन्यजीव दोनों की जरूरतों को संतुलित करता हो।

सह–अस्तित्व की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह असंभव नहीं है। आवास संरक्षण, सामुदायिक भागीदारी, वैज्ञानिक प्रबंधन और सहानुभूतिपूर्ण नीतियों के माध्यम से, हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां मनुष्य और वन्यजीव शांतिपूर्वक सह–अस्तित्व में रह सकें। यह न केवल हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व और इस ग्रह के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी पर जीवन का ताना–बाना इन सभी प्रजातियों के एक साथ रहने से ही बना है और किसी एक धागे के टूटने से पूरी संरचना कमजोर हो सकती है।

संदर्भ :–

1. MAN & ANIMAL CONFLICTS IN INDIA by C. SEKHAR, K. BARANIDHARAN
2. Resolving Human&Wildlife Conflicts by Michael R- Conover
3. Human–Wildlife Interactions ¼Turning Conflict into CoeÛistence½ Edited by F- Beatrice
4. https%//wildlifedrones-net/preventing&human&wildlife&conflict/
5. https%//visionias.in/current&affairs/2024/environment/human&animal&conflict
6. https%//thefurbearers-com/our&work/living&with&wildlife/what&is&co&eÛistence/
7. https%//www-hwctf-org/about
8. https%//en-wikipedia-org/wiki/Human%E2%80%93wildlife_conflict
9. https%//www-drishtiias-com/hindi/daily&news&analysis/human&wildlife&conflict&2

Email : neeraj.karagwal@gmail.com

M. 9460132100